छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष–2010–2011

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2010–2011

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2010–11'' **नामक प्रस्तुत प्रकाशन में राज्य की आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन का यह ग्यारहवॉ अंक है।**

इस प्रकाशन के दो भाग है। प्रथम भाग में शासन की नीतियों के संदर्भ में प्रदेश की सामाजार्थिक एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास की गतिविधियों का विवेचनात्मक अध्ययन है। भाग–2 में संबधित सांख्यिकी तालिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकाशन हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए हम उनके आभारी है। संचालनालय के वे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।

आशा है, प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान सामाजार्थिक स्थिति एवं विकास की गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा। प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु सुझावों का सहर्ष स्वागत है।

रायपुर,
दिनांक : फरवरी, 2011

(पी. सी. मिश्रा)
(आई.एफ.एस.)
आयुक्त, सह–संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

भाग–एक

आर्थिक विवेचना

–:: विषय सूची ::–

भाग–एक (आर्थिक विवेचना)

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति –एक समीक्षा	1–4
2	राज्यीय आय	5–8
3	कृषि	9–23
4	भाव स्थिति	24–28
5.	पशुपालन एवं डेयरी विकास	29–32
6.	मत्स्य विकास	33–35
7.	वानिकी	36–41
8.	जल संसाधन	42–48
9.	विद्युत उर्जा	49–61
10.	उद्योग	62–76
11.	खनिज	77–79
12	परिवहन सुविधायें	80–83
13.	श्रम एवं रोजगार	84–89
14	सामाजिक सेवायें	90–119
15.	सहकारिता	120–120
16.	बचत एवं विनियोजन	121–127
17.	संस्कृति एवं पर्यटन	128–134
18.	नगरीय निकाय	135–140
19.	पंचवर्षीय योजना	141–146

अध्याय–1

आर्थिक स्थिति–एक समीक्षा

वर्ष 2008–2009 में प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 93,17,971 लाख रू. था जिसमें 17.86 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2009–10 में 1,09,82,343 लाख रू. अनुमानित है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें, खनिज (प्राथमिक) क्षेत्र में वृद्धि दर 2008–09 की तुलना में वर्ष 2009–10 में 10.04 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 17.54 एवं तृतीयक में 25.13 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

इसी प्रकार स्थिर (वर्ष 2004–05) भावों पर वर्ष 2008–09 में सकल घरेलू उत्पाद 67,97,171 लाख रू. था, जो 11.93 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2009–10 में 76,07,792 लाख रू. अनुमानित है। इस तरह क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में 7.27 द्वितीयक क्षेत्र में 13.16 एवं तृतीयक क्षेत्र में 14.38 प्रतिशत है।

बाक्स नं–1.1

प्रगति की संभावनायें

- कृषि क्षेत्र में प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2009–10 में 19,54,172 लाख रू. की तुलना में वर्ष 2010–11 में 21,72,418 लाख रू. संभावित है।
- यह अनुमान किया गया है कि उद्योग क्षेत्र के प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष 2009–10 के 52,04,247 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 62,54,446 लाख रूपये होने की संभावना है।
- अनुमान किया गया है कि वर्ष 2009–10 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर लगभग 18.11 प्रतिशत की वृद्धि होकर वर्ष 2010–11 में 1,29,71,754 लाख रूपये होने की संभावना है, तथा स्थिर भावों (वर्ष 2004–05) पर 11.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2009–10 के 76,07,792 लाख रू. की तुलना में 84,87,986 लाख रू. संभावित है। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति (निवल राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2009–10 में 38,059 रू. से बढ़कर वर्ष 2010–11 में रू. 44,097 हो जाने की संभावना है।

2. वर्ष 2009-10 खरीफ में 4,640.90 हजार हेक्टेयर में एवं 1,542.84 हजार हेक्टेयर में रबी की बोनी हुई, जो गत वर्ष 2008-09 से (-) 2.93 प्रतिशत कम खरीफ में तथा (–) 4-45 प्रतिशत रबी में कम हुई है। वर्ष 2009-10 में 5,674.66 हजार मी.टन खरीफ एवं 1,349.41 हजार मी.टन का उत्पादन रबी में हुआ जो गत वर्ष से (–) 8.88 प्रतिशत खरीफ एवं (–) 8.57 प्रतिशत रबी में कमी परिलक्षित करता है।

3. वर्ष 2009-10 में प्रान्तीय कर के संग्रहण लक्ष्य 2,950.00 करोड़ रू. के विरूद्ध मार्च 2009 तक 3,085.12 करोड़ रू प्राप्त हुआ। इस प्रकार बजट लक्ष्य के विरूद्ध 104.58 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसका मुख्य कारण डीजल, पेट्रोल, सीमेंट, चार पहिया/दो पहिया वाहन, दवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से प्राप्त राजस्व में वृद्धि है। वर्ष 2010-11 में प्रान्तीय कर के अंतर्गत 3,800.00 करोड़ रू. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरूद्ध माह सितंबर 2010 तक 1,673.67 करोड़ रू. राजस्व प्राप्तियॉ हो चुकी हैं। वर्ष 2009-10 केन्द्रीय विक्रय कर में बजट लक्ष्य 530.00 करोड़ रू. के विरूद्ध 681.00 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, इस प्रकार बजट लक्ष्य के विरूद्ध 128.49 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। जिसका कारण अंतर्राज्यीय बिक्री बढ़ने से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2010-11 में केन्द्रीय विक्रय कर हेतु 620.00 करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध माह सितंबर 2010 तक 283.34 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्तियॉ हो चुकी हैं। वर्ष 2009-10 में प्रवेश कर के 560.00 करोड़ रू. लक्ष्य के विरूद्ध 696.10 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है जो लक्ष्य से 124.30 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2010-11 में प्रवेश कर अंतर्गत 616.00 करोड़ रू. लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2010 तक 288.56 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्तियॉ हो चुकी हैं। वर्ष 2009-10 में वृत्तिकर के अंतर्गत बजट लक्ष्य 6.00 करोड़ रू. के विरूद्ध 7.00 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 116.67 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2010-11 में वृत्ति कर अंतर्गत लक्ष्य 8.00 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2010 तक 3.68 करोड़ की राजस्व प्राप्तियॉ हो चुकी हैं। वर्ष 2009-10 में होटल कर अंतर्गत बजट लक्ष्य 0.70 करोड़ रू. के विरूद्ध 1.46 करोड़ रू. राजस्व प्राप्त हुआ जो कि निर्धारित लक्ष्य से 189.61 करोड़ रू. अधिक है। वर्ष 2010-11 में होटल कर अंतर्गत बजट लक्ष्य 1.90 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2010 तक 0.73 करोड़ रू. राजस्व वसूली हो चुकी है।

4. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वर्ष 2009-10 में कुल उपलब्ध राशि रू. 1,617.34 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 1,303.74 करोड़ व्यय कर 1,041.56 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 20.25 लाख परिवारों को रोजगार

प्रदाय किया गया। वर्ष 2010-11 में माह सितंबर 2010 तक योजना में कुल उपलब्ध राशि रू. 1,482.53 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 944.70 करोड़ व्यय कर 714.82 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 19.56 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया।

5 . दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा वर्ष 2009-2010 में 5.37 मिलियन टन हाट मेटल, 5.11 मिलियन टन क्रूड स्टील, 4.37 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया जो कि, पिछले वर्ष के उत्पादन से क्रमशः 14.3, 30.2 एवं 38.6 प्रतिशत अधिक है। संयत्र ने वर्ष 2009-2010 में 4,270.48 करोड़ रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष 2009-2010 में भारत एल्युमीनियम कम्पनी, कोरबा द्वारा 54173 मी. टन इग्नाईट एवं 148280 मी. टन प्रॉपजी राड्स तथा 65972 मी. टन रोल्ड उत्पादन किया गया।

6. वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 13545.786 मिलियन यूनिट (तापीय 13292.908 मिलियन यूनिट, जलीय 247.150 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 5.728 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ एवं ताप विद्युत संयंत्रों का वार्षिक PUF 85.25% रहा जो सर्वकालिक अधिकतम है। जो कि गत वर्ष के कुल विद्युत उत्पादन से 29.889 मिलियन यूनिट अधिक है अर्थात 0.22% की विद्युत उत्पादन में वृद्वि हुई। गत वर्ष कुल विद्युत उत्पादन 13515.897 मिलियन यूनिट हुआ था। मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो विगत 10 वर्ष में अर्थात दिसम्बर, 2010 के अंत में बढ़कर 1924.70 मेगावाट हो गई हैं। इसमें 1780 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पादन) की स्थापित क्षमता है।

7. वर्ष 2009-10 के अंत की स्थिति में 19132 ग्राम विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2009-10 में कुल 19 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से मंडल द्वारा एवं 63 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा किया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य में 82 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 96.90 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 34934 पंपों के लिए लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 31016 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया।

8. प्रदेश में न्यादर्श पंजीयन प्रणाली अनुसार वर्ष 2009 में जन्म दर 25.7 और मृत्यु दर 8.1 तथा शिशु मृत्यु दर 54 प्रति हजार आंकी गई है। न्यादर्श पंजीयन प्रणाली के वर्ष 2009 को आधार माने तो राज्य में वर्ष 2009 में प्राविधिक रूप से जन्म पंजीयन का स्तर 61.79 प्रतिशत एवं मृत्यु पंजीयन का स्तर 71.11 तथा शिशु मृत्यु का स्तर 11.41 प्रतिशत निर्धारित होता है। स्थानीय स्तर पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थाना

के स्थान पर पंचायत प्रणाली 1 जनवरी, 2008 से कर रही है। नगरीय क्षेत्र में यह कार्य नगरीय निकायों द्वारा पूर्ववत जारी है।

9. वर्ष 2009-10 में प्राथ. शाला 01, माध्य. शाला 404, हाई स्कूल 09, उच्च. मा. शाला 31 इस प्रकार कुल 445 शालाएं प्रारंभ की गई हैं।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में 165 शासकीय 210 अशासकीय अनुदान अप्राप्त एवं 16 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालयों में 104800 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जिसमे 15233 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति 23315 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 45477 छात्र हैं।

10. राज्य 2010-11 की स्थिति में 50 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिसकी प्रवेश क्षमता 20250 है। राज्य में 23 पालिटेक्निक संस्थायें हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 3520 है। इसके साथ 24 एम.बी.ए, 01 आर्किटेक्चर एवं 10 एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हैं।

11. माह मार्च 2010 तक सभी 72775 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य में अब तक 208152 हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2010-11 में निर्धारित लक्ष्य 11738 के विरूद्ध अब तक 2412 बसाहटों में सफल नलकूप खनित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2010-11 में 4662 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक 436 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा चुकी है।

अध्याय– 2

राज्यीय आय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2008–09 में 9317971 लाख़ रू. अनुमानित है, जिसमें 17.86 % की वृद्धि होकर वर्ष 2009–10 के त्वरित अनुमान 10982343 लाख रू. आंकलित किये गये। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार हैः–

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2006–07	2007–08	2008–09 (प्रा.)	2009–10 (त्व.)	गत वर्ष से 2009–10 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	2141668	2658477	2690455	2960590	10.04
2	द्वितीयक क्षेत्र	2370103	2764879	3571495	4197829	17.54
3	तृतीयक क्षेत्र	2175718	2602155	3056021	3823924	25.13
	सकल रा.घ.उ.	**6687489**	**8025511**	**9317971**	**10982343**	**17.86**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	28825	34006	38664	44826	15.94

स्थिर (वर्ष 2004–2005) भावों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2008–09 में 6797171 लाख रू. अनुमानित किया गया हैं। जिसमें 11.93 % की वृद्धि होकर वर्ष 2009–10 में यह 7607792 लाख रू. आंकलित किया गया हैं।

स्थिर (2004–2005) भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2006–07	2007–08	2008–09 (प्रा.)	2009–10 (त्व.)	गत वर्ष से 2009–10 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1836872	1980108	1911184	2050187	7.27
2	द्वितीयक क्षेत्र	2069351	2237650	2542970	2877635	13.16
3	तृतीयक क्षेत्र	1953594	2146618	2343017	2679970	14.38
	सकल रा.घ.उ.	**5859816**	**6364377**	**6797171**	**7607792**	**11.93**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	25258	26968	28204	31052	10.10

छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2009–10 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में **प्रतिशत वितरण** क्रमशः 26.96, 38.22, एवं 34.82 रहा जबकि इसी अवधि में स्थिर (वर्ष 2004–2005) भावों के आधार

पर उपरोक्त क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण क्रमशः 26.95, 37.82 तथा 35.23 अनुमानित प्रतिवेदित हुआ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2008–09 (प्रा.)		2009–10(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (वर्ष 2004–2005) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (वर्ष 2004–2005) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	28.87	28.12	26.96	26.95
द्वितीयक क्षेत्र	38.33	37.41	38.22	37.82
तृतीयक क्षेत्र	32.80	34.47	34.82	35.23
सकल रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान.

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2008–09 में 7848385 लाख रू. अनुमानित है, जिसमें 18.81% की वृद्धि होकर वर्ष 2009–10 के त्वरित अनुमान 9324532 लाख रू. आंकलित किये गये। प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2008–09 में 32566 रू. एवं वर्ष 2009–10 में 38059 रू. अनुमानित है । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रचलित भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2006–07	2007–08	2008–09 (प्रा.)	2009–10 (त्व.)	गत वर्ष से 2009–10 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1894883	2364871	2393487	2647407	10.61
2	द्वितीयक क्षेत्र	1846350	2155496	2613594	3099145	18.58
3	तृतीयक क्षेत्र	2012338	2414418	2841304	3577980	25.93
	शुद्ध रा.घ.उ.	**5753571**	**6934785**	**7848385**	**9324532**	**18.81**
	प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रू.में)	24800	29385	32566	38059	16.87

स्थिर (वर्ष 2004–2005) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 2008–09 में 5632777 लाख रू. अनुमानित किया गया जिसमें 12.37 % की वृद्धि होकर वर्ष 2009–10 में यह 6329695 लाख रू. अनुमानित किया गया है । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

स्थिर (वर्ष 2004–2005) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख़ रू. में)

क्र	क्षेत्र	2006–07	2007–08	2008–09 (प्रा.)	2009–10 (त्व.)	गत वर्ष सें 2009–10 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1613401	1726093	1653494	1784445	7.92
2	द्वितीयक क्षेत्र	1587844	1699719	1811538	2056135	13.50
3	तृतीयक क्षेत्र	1805233	1985402	2167744	2489115	14.83
	शुद्ध रा.घ.उ.	**5006477**	**5411215**	**5632777**	**6329695**	**12.37**
	प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	21580	22929	23373	25835	10.54

छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का स्थिर भावों के आधार पर वर्ष 2009–10 में प्रतिशत वितरण प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 28.19, 32.49 एवं 39.32 रहा जबकि इसी वर्ष में प्रचलित भावों के आधार पर यह प्रतिशत क्रमशः 28.39, 33.24 तथा 38.37 है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2008–09(प्रा.)		2009–10 (त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	30.50	29.36	28.39	28.19
द्वितीयक क्षेत्र	33.30	32.16	33.24	32.49
तृतीयक क्षेत्र	36.20	38.48	38.37	39.32
शुद्ध रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद
(संदर्भ तालिका क्रमांक 2.1 एवं 2.2)

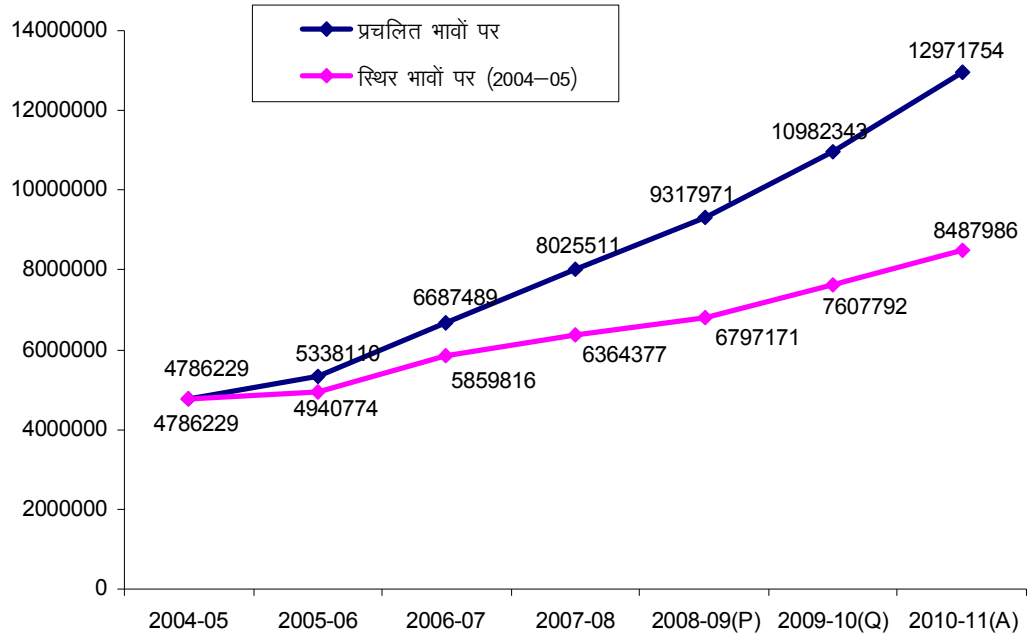

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय
(संदर्भ तालिका क्रमांक 2.3 एवं 2.4)

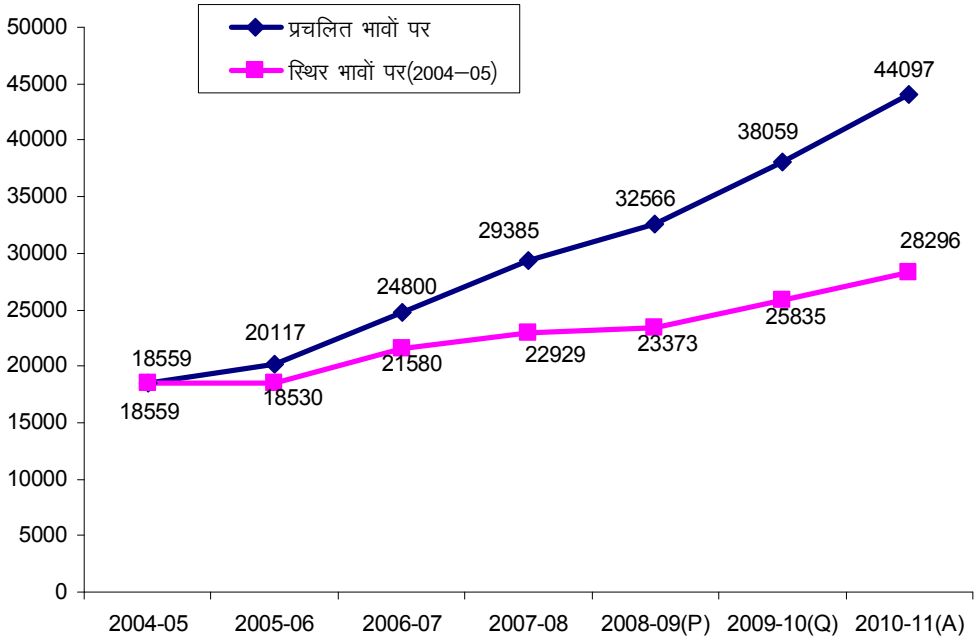

अध्याय–3

कृषि

राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है। यहां कृषि योग्य सकल कृषि क्षेत्र 55.23 लाख हेक्टेयर है जिसमें 17.46 लाख सीमांत, 7.16 लाख लघु, 7.93 लाख मध्यम एवं दीर्घ, इस प्रकार कुल 32.55 लाख कृषक परिवार कृषि कार्य में संलग्न हैं।

कृषि उत्पादन :– वर्ष 2009-10 में खरीफ फसलों की 4640.90 हजार हेक्टेयर में एवं रबी फसलों की 1542.84 हजार हेक्टेयर में बोनी हुई है। खरीफ एवं रबी मौसम में उत्पादन क्रमशः धान 4955.27, ज्वार 3.98, मक्का 246.38, कोदो–कुटकी 20.66, अरहर 85.17, मूंग 11.99, उड़द 74.41, कुल्थी 20.62, मूंगफली 67.59, तिल 15.62, सोयाबीन 148.17, रामतिल 24.07, सूर्यमुखी 0.71, गेहूँ 232.34 एवं ग्रीष्म धान 310.21, चना 331.40, मटर 22.87, मसूर 9.61, मूंग 6.14, उड़द 3.01, कुल्थी 5.75, तिवड़ा 211.72, राई–सरसों 84.00, अलसी 33.01, कुसुम 1.78, सूर्यमुखी 8.73, तिल 0.43, मूंगफली 16.86, गन्ना 40.94, हजार मीट्रिक टन हुआ। इस प्रकार कुल खरीफ में 5674.66 हजार मी. टन तथा रबी में 1349.41 हजार मी. टन उत्पादन हुआ।

प्रमुख फसलों का उत्पादकता का लक्ष्य (कि.ग्रा.प्रति हेक्टेयर) :– वर्ष 2010–11 में प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन चावल–1725, ज्वार–905, मक्का–1735 गेहूँ–1350, चना–1060 सोयाबीन–1275, अरहर–650, मूंग–375 एवं उड़द–430 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है।

बीज वितरण :– खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2009-10 में प्रमाणित बीजों का वितरण 364293 क्विंटल रहा तथा रबी हेतु यह 83478 क्विंटल रहा। खरीफ फसलों के लिए 2010-11 में 433768 क्विंटल का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 488988 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। रबी फसलों के लिए 2010-11 में 94239 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

कल्चर वितरण : भूमि की उत्पादन क्षमता एवं फसल उत्पादकता वृद्धि के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु खरीफ वर्ष 2009 में 669916 पैकेट की तुलना में खरीफ 2010 में 100000 पैकेट वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध सितंबर 2010 तक 1043550 पैकेट का वितरण हो चुका है। रबी वर्ष 2009-10 में 539148 पैकेट की तुलना में इस वर्ष 2010-11 में 823250 पैकेट वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मीट्रिक टन)

(संदर्भ तालिका 3.2)

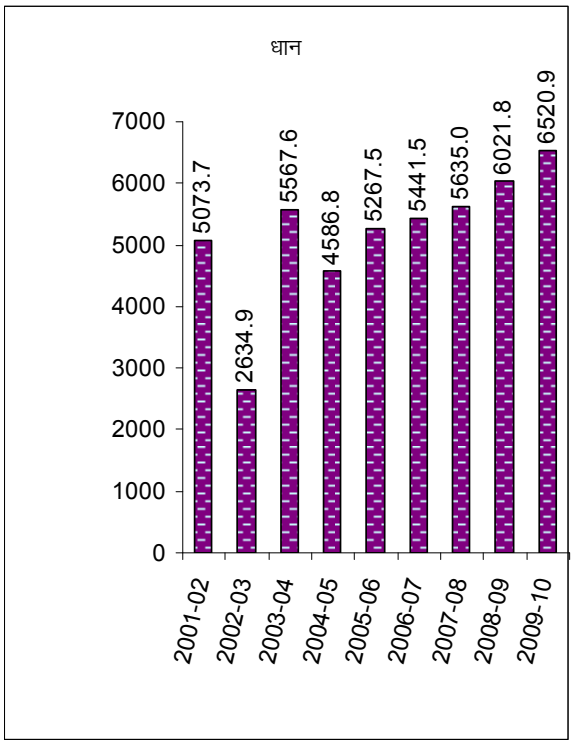

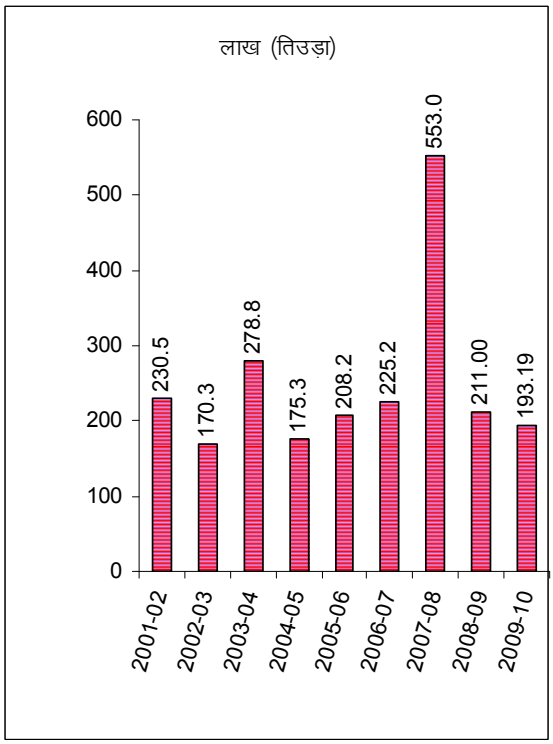

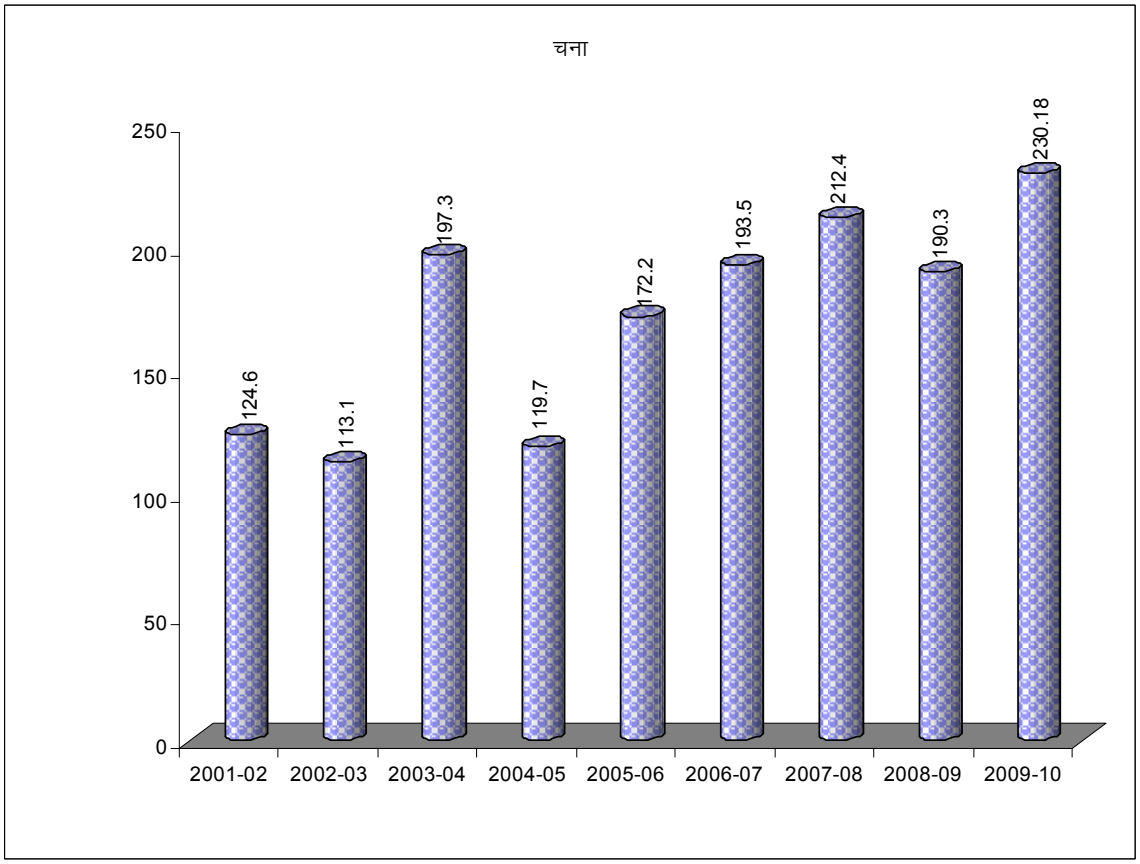

उर्वरक खपत : वर्ष 2009-10 में 927.97 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ। वर्ष 2010-11 में 1000.00 हजार टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध खरीफ में माह अक्टूबर 2010 तक 870.29 हजार मी. टन उर्वरक का वितरण हुआ। वर्ष 2009-10 का खपत विवरण निम्नानुसार है :–

मौसम	कुल उर्वरक खपत टनो में वर्ष 2009–10				उर्वरक खपत किलोग्राम/हेक्टेयर			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
खरीफ	259355	136562	45069	440986	56	29	10	95
रबी	33251	18212	9067	60530	35	16	8	59

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम :– ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 18 जिलों में 184 जल ग्रहण क्षेत्रों का चयन कर विकास हेतु समितियां पंजीकृत कराई गई है जिसमें प्राथमिकता के आधार पर 183 जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार योजनाकाल में 14658.20 लाख रूपये में 132358 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया जाना है। वर्ष 2008-2009 के लिए 1198.52 लाख रू. व्यय कर 12227 हजार हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 3959 स्ट्रक्चर तैयार किए गए। वर्ष 2009-10 में 765.59 लाख रू. व्यय कर 7124.778 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 1789 स्ट्रक्चर तैयार किए गए। वर्ष 2010-11 में 8500 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 1500 स्ट्रक्चर लगाये जाने की योजना है जिस पर राशि 382.70 लाख का आबंटन उपलब्ध है।

नदी घाटी/बाढ़ उन्मुख योजना :– इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नदियों पर बनाये गये जलाशयों में गाद के जमाव को कम करना है, ताकि उनकी जीवन अवधि को अधिक समय तक बनाया रखा जा सके, साथ ही होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सके। प्रदेश के तीन जिले राजनांदगांव, दुर्ग एवं बिलासपुर में महानदी एवं सोनकछार में अति उच्च प्राथमिकता वाले 13 जलग्रहण क्षेत्र में काम कराया जा रहा है। वर्ष 2008-09 में 304.88 लाख रू. व्यय कर 5758.47 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1945 स्ट्रक्चर लगाये गये है। वर्ष 2009-10 के लिए 302.647 लाख रू. व्यय कर 4254.104 हेक्टयर क्षेत्र के लिए 1100 स्ट्रक्चर लगाये गये। वर्ष 2010-11 में 2500 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 500 स्ट्रक्चर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना :– योजनान्तर्गत 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले सिंचाई तालाब बनाये जाते हैं। वर्ष 2008-09 में 4454.27 लाख रू. व्यय कर 168 तालाब बनाये गये हैं एवं 2009-10 में 2644.96 लाख रू. व्यय कर 163 तालाब बनाये गये है। वर्ष

2010-11 में 1820.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध अब तक 777.126 लाख रू. व्यय कर 23 तालाब पूर्ण तथा 100 तालाब निर्माणाधीन है।

लघु सिंचाई योजना :– यह योजना 17 जिलों में लागू है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को नलकूप खनन पर बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आनेवाले विकास खण्डों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषको को सफल/असफल नलकूप पर खनन लागत या 18000 रू. जो भी कम हो एवं सफल नलकूपों पर पम्प एवं सहायक सामग्री की लागत व 25000 रू. अनुदान देय है। उपरोक्त को छोड़कर सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., के कृषकों को खनन लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10000.00 एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 15000.00 अनुदान देय है। योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में 4552 नलकूप खनित हुए जिस पर 973.37 लाख रू. अनुदान दिया गया है। वर्ष 2008-09 में 4250 नलकूप खनन कर 968.74 लाख रू. व्यय किया गया। वर्ष 2009-10 में 4702 नलकूप खनन हेतु 1184.411 लाख रू. का अनुदान दिया गया है, वर्ष 2010-11 में 5500 नलकूप खनन हेतु 1100.00 लाख रू. का प्रावधान अन्तर्गत 1668 नलकूप खनित हुए, जिस पर 462.333 लाख रू. का अनुदान दिया गया है।

किसान समृद्धि योजना :– अकाल की स्थिति के निवारण हेतु वृष्टिछाया के अन्तर्गत आने वाले 5 जिलों के 25 विकास खण्डों में यह योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत नलकूप हेतु सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 25000.00 रू. तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 43000.00 रू. अनुदान देय है। इस योजनान्तर्गत 5 जिलों में योजना प्रारंभ से 2009-10 तक 7345.032 लाख रू. व्यय कर 20782 नलकूपों का उर्जीकरण कर लगभग 51955 हेक्टेयर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई में वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 में 1100.00 लाख रू. आबंटन के विरूद्ध अब तक 776 नलकूप खनन कर राशि रू. 257.97 लाख अनुदान दिया गया।

आई.सी.डी.पी. चॉवल योजना विकास :– राज्य के 08 जिलों में यह योजना संचालित है इसे भारत सरकार की सहायता से धान के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष खाद्यान्न उत्पादन के तहत चलाया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि रू. 222.78 लाख में से रू. 218.16 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2010-11 के लिए रू. 229.80 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध अब तक रू. 180.07 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र पोषित आईसोपाम योजना –

1. राष्ट्रीय दलहन, तिलहन एवं मक्का विकास योजना :– दलहनी एवं तिलहनी फसलों की वृद्धि हेतु शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे है। दलहनी फसलों के विकास हेतु वर्ष 2009-10 में 248.40 लाख तथा तिलहनी फसलों हेतु रू. 1098.116 लाख व्यय हुआ है। वर्ष 2010-11 में तिलहन में 1660.00 लाख रू. एवं मक्का फसल हेतु 140.00 लाख रू. का प्रावधान कर अब तक क्रमशः 656.06 लाख एवं 11.83 लाख का व्यय किया गया।

गन्ना विकास योजना :– राज्य के समस्त जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत बीज क्रय हेतु गन्ना टिश्यू कल्चर पौधों पर अनुदान, बीजोपचार दवा, जिंक सल्फेट, पौध संरक्षण यंत्रों, बीज परिवहन पर अनुदान एवं कृषक भ्रमण आदि सम्मिलित हैं। शासन के सहयोग से सहकारिता क्षेत्र में कबीरधाम, दुर्ग एवं सरगुजा जिले में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। वर्ष 2009-10 में रू. 60.00 लाख का प्रावधान कर 56.26 लाख रू. व्यय हुआ है तथा वर्ष 2010-11 के लिए 115.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया।

अक्ति बीज संवर्धन योजना :–

(अ) बीज अदला बदली :–सभी वर्ग के कृषकों को समर्थन मूल्य के बराबर राशि के समतुल्य अथवा कृषकों के स्वयं का उत्पादित अनाज के बदले में प्रमाणित बीज देने की योजना (खरीफः धान, सोयाबीन, कोदो फसल, रबीः गेहूँ, एवं चना के लिए) संचालित है।

(ब) बीज उत्पादन :–सभी वर्ग के कृषकों के लिए रू. 300/ प्रति क्वि. (छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण में पंजीकृत कृषकों को प्रमाणित पैग्ड बीज) पर अनुदान देय होगा ।

(स) प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान :–सभी वर्ग के कृषकों को रू. 200/प्रति क्विंटल धान फसल हेतु अनुदान।

उपरोक्त योजनाओं को वर्ष 2010-11 में कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राशि रू. 1250.00 लाख का आबंटन जारी किया गया जिसके विरूद्ध अब तक रू. 609.62 लाख का व्यय किया गया है।

नाडेप विधि से खाद तैयार करना : इस कार्यक्रम में टांका बनाने के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कृषकों को अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2009-10 में 8103 टांकों के लक्ष्य के विरूद्ध 6920 नाडेप टांको की पूर्ति हुई है तथा रू. 89.728 लाख के विरूद्ध रू. 83.935 लाख व्यय हुआ। वर्ष 2010-11 हेतु भौतिक लक्ष्य 9300 नाडेप टांका एवं आवंटन राशि रू. 100.00 लाख है जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2010 तक रू. 0.076 लाख व्यय कर 07 नाडेप टांके का निर्माण पूरा किया गया है।

कृषि विस्तार तंत्र का सुधार (आत्मा): राज्य में कृषि विस्तार तंत्र का सुधार, कृषक स्तर से योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन, विपणन व्यवस्था को कृषि प्रसार तंत्र में शामिल किया जाना है। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है (केन्द्रांश : राज्यांश 90:10) योजना प्रदेश के सभी जिलो में संचालित है जिसके लिए वर्ष 2010-11 में 1316.92 लाख रू. का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध राशि रू. 397.83 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मैदानी अमले की कमी को दूर करने एवं प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने हेतु राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर संविदा नियुक्ति करने का प्रावधान है।

रामतिल प्रोत्साहन योजना : आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रामतिल की खेती को प्रोत्साहित करने एवं रामतिल की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषकों में उन्नत बीज, उन्नत काश्त तकनीक का प्रदर्शन, उपयोगी कृषि यंत्र, उर्वरक, मिनीकिट बीजोपचार दवा, कल्चर सूक्ष्म तत्व, उर्वरक वितरण एवं कृषक प्रशिक्षण आदि माध्यमों का आश्रय लिया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में रू. 28.27 लाख वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध 24.63 लाख रू व्यय किया गया। वर्ष 2010-11 हेतु 35.82 लाख रू. आबंटन के विरूद्ध 6.50 लाख रू. व्यय किया गया है।

चलित–मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना: चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु राज्य शासन से रू. 48.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर चार वाहन खरीदी में 42.84 लाख रू. व्यय हुआ। ये वाहन आदिवासी जिले कांकेर, कबीरधाम, कोरबा एवं कोरिया के ग्रामीण अंचलों में मिट्टी के नमूनों का स्थल परीक्षण कर त्वरित परिणाम उपलब्ध करा रहे हैं।

टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना : गन्ने एवं केले जैसे फसलों के पर्याप्त मात्रा में उन्नत बीजों की कृषकों को उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना रायपुर मुख्यालय में की जा रही है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना :–उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है। जिसमें इस योजना के अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार, 30 प्रतिशत राज्य सरकार, एवं शेष 20 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी द्वारा वहन किया जा रहा है एवं अन्य कृषकों के लिए 40 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार, 10 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना द्वारा अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु सहायता दी जा रही है। उत्कृष्ट कृषि विकास केन्द्र इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे एवं राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम

द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 हेतु 874.00 लाख रू. की कार्य योजना है। जिसमें अब तक 4261.25 लाख रू. व्यय कर 56714 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप व स्प्रिंकलर स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–स्थानीय आवश्यकताओं फसलों एवं जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इस योजनान्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2009-10 में 1827.47 लाख रू. व्यय किया गया एवं वर्ष 2010-11 हेतु 14193.91 लाख रू. प्रावधान के विरूद्ध 710.00 लाख रू. व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना :–प्रदेश के कृषक एवं अधिकारी /कर्मचारियों को कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है।

हरित क्रान्ति :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो देश के 6 पूर्वी राज्यों में ही लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत सिंचाई क्षेत्र में विस्तार करने के उद्देश्य से 80 तालाब, 200 चेक डेम निर्माण, धान एवं मक्का के हायब्रिड किस्मों के विस्तार एवं वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाभान्वित कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकी अपनाने हेतु राशि 6714.69 लाख रू. का प्रावधान किया गया है अब तक राशि 1200.00 लाख रू. व्यय किए गए हैं।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)

संदर्भ तालिका 3.3

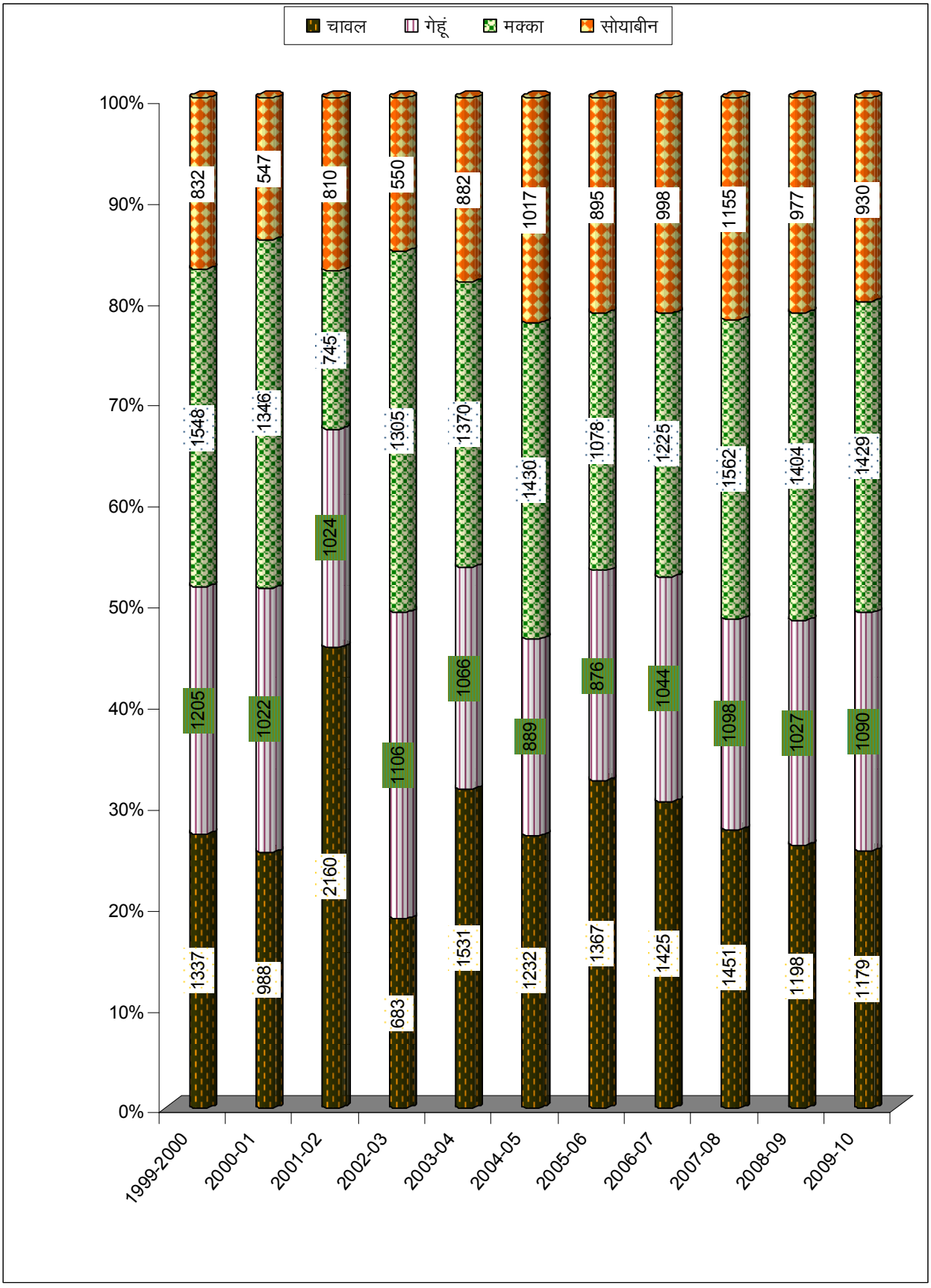

कृषि अभियांत्रिकी

कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2010–11 में सितंबर अंत तक की भौतिक/वित्तीय प्रगति

क्र.	गतिविधियॉ	इकाई	वर्ष 2010–11			
			भौतिक		वित्तीय (लाख रू.में)	
			लक्ष्य	पूर्ति सितंबर 10 तक	आबंटन	व्यय सितंबर 10 तक
1	2	3	4	5	6	7
1	शाकम्भरी					
	(क) कूप निर्माण	संख्या	800	169	1750.00	995.03
	(ख) डीजल/विद्युत पंप	संख्या	13000	6601		
2	डोजिंग कार्य	घंटे	14000	5568		
3	कल्टीवेशन कार्य	घंटे	15500	9884	65.00	50.76
4	यील्ड टेस्ट	संख्या	420	65*		
5	कृषि यंत्र गुणवत्ता निरीक्षण	संख्या	100%	930	-	-
6	लो–लिफ्ट पंप	संख्या	190	-	-	-
7	कृषि यंत्रों का प्रदर्शन	संख्या	1069	251	-	-
8	हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण	संख्या	6290	2190		
9	ट्रैक्टर वितरण	संख्या	250	133	360.00	162.44
10	पावर टिलर का वितरण	संख्या	550	690	850.00**	382.83**
11	शक्ति चलित यंत्र	संख्या	1229	896		

रिमार्क :– (*) शासन द्वारा बाध्यता समाप्त करने के कारण।

(**) केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्य शासन द्वारा देय अतिरिक्त अनुदान

शुद्ध सिंचित क्षेत्र का स्त्रोत अनुसार वर्गीकरण
(संदर्भ तालिका कमॉक–3.4)

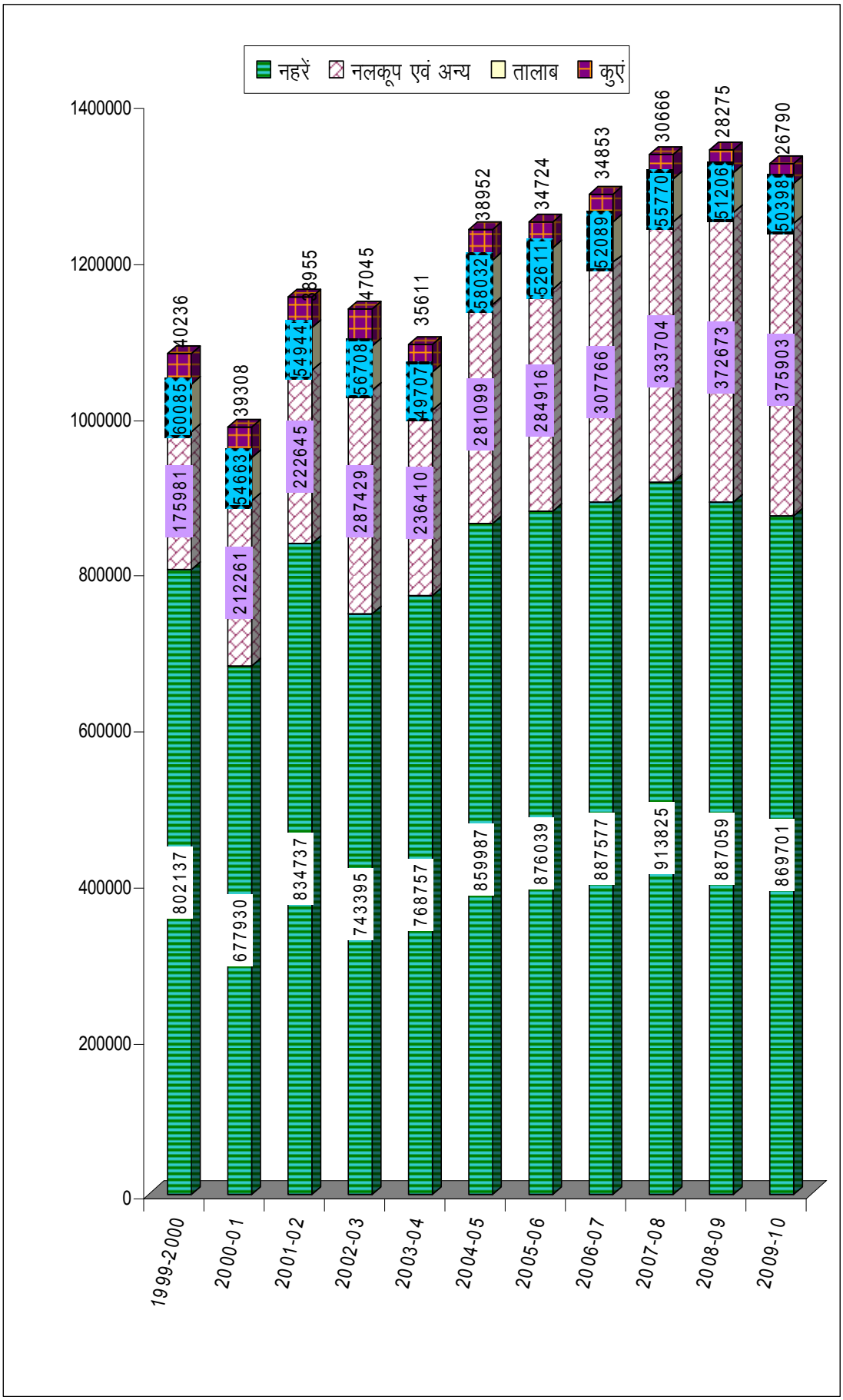

शाकम्बरी योजना : राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005-06 से लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के स्वयं सिंचाई संसाधन विकास हेतु ''शाकम्भरी '' योजना चलायी जा रही है, जिसमें कृषकों के 5 एच.पी. तक के विद्युत/डीजल चलित/केरोसीन पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

केन्द्र प्रवर्तित मैक्रोमैनेजमेन्ट योजना : इस योजनांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत 40 पी.टी.ओ. हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर, 8 बी.एच.पी. एवं अधिक के पावर ट्रिलर, शक्ति चलित/बैल चलित/हस्त चलित कृषि यंत्रों को 25% से 40% अनुदान पर वितरित करने की योजना भी संचालनालय द्वारा कियान्वित की जा रही है। वर्ष 2007-08 से राज्य शासन द्वारा ट्रैक्टर को छोड़कर शेष मशीनों/यंत्रों पर 10% से 25% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार कृषि यंत्रों पर 50% तथा पावर ट्रिलर पर 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है।

पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेन्ट योजना : केन्द्र सरकार की इस योजनांतर्गत थ्रेशिंग, क्लीनिंग, मिलिंग तथा प्रोसेसिंग आदि हेतु उपयोगी यंत्रों का क्रय किया गया है। इन यंत्रों का जीवंत प्रदर्शन कर कृषकों के मध्य उनका प्रचार–प्रसार किया जावेगा, जिससे कृषक अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने तथा फसल के प्रोसेसिंग से प्राप्त सहउत्पाद का भी विक्रय कर उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

कृषि विपणन

कृषि उपज मंडियॉ : कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित होने के पश्चात् वर्ष 2001–02 में 70 मंडियॉ एवं 98 उप–मंडियॉ कार्यरत् थी। वर्तमान में कृषि उपज के विपणन को और अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से 03 कृषि उपज मण्डियों एवं 13 उप मंडियों की स्थापना की गई है। इस प्रकार वर्ष 2009–10 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 73 मुख्य मण्डियां एवं 111 उप मण्डियॉ कार्यरत है। मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषको को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मंडियों में आवक : राज्य की मंडियों में वर्ष 2008–09 में 72.25 लाख मी. टन. की आवक हुई। 2009–2010 में 67.78 मीं.टन की आवक हुई जो गत वर्ष की तुलना में 4.47 लाख मी. टन अर्थात 6.18 प्रतिशत कम है। वर्ष में अल्पवर्षा के कारण पैदावार प्रभावित होने से आवक में कमी आयी है।

मंडियों की आय : छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों में वर्ष 2008–2009 में 10546.88 लाख रूपयों की आय हुई एवं वर्ष 2009–10 में 9512.76 लाख रू. की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1034.12 लाख रू. अर्थात 13.49 प्रतिशत कम है। आय में कमी का कारण शासकीय खरीदी से देय मण्डी शुल्क का भुगतान कृषि उपज मण्डी समितियों को न होना है।

बोर्ड शुल्क : प्रदेश की मंडियों से प्राप्त मंडी शुल्क ही बोर्ड की आय का प्रमुख स्त्रोत है, जो मंडियों द्वारा बोर्ड को बोर्ड–शुल्क के रूप में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों से वर्ष 2008-2009 में रू 1058.36 लाख बोर्ड शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2009-10 में 823.36 लाख रूपये प्राप्त हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 235 लाख रूपये अर्थात 22.20 प्रतिशत कम है।

हाट बाजार निर्माण :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2009–10 के अंतर्गत 07 हाट बाजारों का निर्माण किया गया है। जिसके अन्तर्गत कव्हर्डशेड, ओपन प्लेटफार्म, गोदाम, मिट्टी एवं कीचड़ से मुक्त पीसीसी पेवमेंट तथा पेय जल व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे मण्डी की आय में वृद्धि हो रही है।

गोदाम निर्माण :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2008–09 के अंतर्गत 13 नग 1000 मी.टन क्षमता गोदाम एवं वर्ष 2009–10 के अंतर्गत 07 नग 1000 मी.टन क्षमता गोदाम निर्माण किया गया है। गोदाम निर्माण से व्यापारियों को मण्डी स्थल पर ही भण्डारण की सुविधा उपलब्ध हो रही है।

उप मण्डी विकास निर्माण :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2008–09 के अंतर्गत 14 उप मण्डियों में उपमण्डी विकास निर्माण कार्य किया गया है, जिसके अन्तर्गत कव्हर्डशेड, ओपन प्लेटफार्म, गोदाम, मिट्टी एवं कीचड से मुक्त पीसीसी पेवमेंट तथा पेय जल व्यवस्था के कार्य एवं वर्ष 2009–10 में 05 मंडियों में उपमण्डी विकास निर्माण कार्य किया गया है।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं । विभाग के अन्तर्गत 108 उद्यान रोपणी तथा एक सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन प्रक्षेत्र है ।

वर्ष 2009-10 में विभिन्न उद्यानिकी फसलों अन्तर्गत फलोद्यान का रकबा 1.47 लाख हेक्टेयर एवं उत्पादन 12.14 लाख मीट्रिक टन, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल 3.13 लाख

हैक्टेयर एवं उत्पादन 35.87 लाख मीट्रिक टन, मसाला फसलों का क्षेत्रफल 0.64 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 3.95 लाख मीट्रिक टन, औषधि एवं सुगंधित फसलों का क्षेत्रफल 0.11 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 0.64 लाख मीट्रिक टन तथा पुष्प फसलों का क्षेत्रफल 0.04 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 0.13 लाख मीट्रिक टन था।

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :–

(अ)राज्य पोषित योजनायें

1. **फल विकास कार्यक्रम** : इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदण्ड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नही लेना चाहतें हैं, उन्हें विभागीय फलोंद्यान योजना के अन्तर्गत, केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है। वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 तक 2061 हैक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। इसके साथ ही योजना में देशी वृक्षों की ग्राफ्टिंग कर उन्नतशील किस्मों में अद्यतन बदलने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2009-10 में 81210 एवं वर्ष 2010-11 में अद्यतन 43904 पौधों को ग्राफ्टिंग उपरांत उन्नत किस्मों में परिवर्तित किया गया है।

2. **केला विकास योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 तक 2052 केला प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं।

3. **समन्वित सब्जी विकास** : योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 तक 360 हैक्टेयर क्षेत्र में संकर सब्जी बीज का उपयोग कर सब्जी उत्पादन कार्यक्रम हेतु 40.73 लाख रू. व्यय किए गए हैं। इस योजनांतर्गत प्रति हैक्टेयर 1500 रू. का अनुदान दिया जाता है।

4. **आलू विकास योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 तक 11046 आलू प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं।

5. **मसाला विकास योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 तक विभिन्न मसाला फसलों के 109998 मिनिकिट्स वितरित किए गए हैं।

6. **पुष्प विकास योजना** : योजनांतर्गत 1/25 हैक्टेयर क्षेत्र में 75 प्रतिशत अनुदान पर पुष्प प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2009-10 में 280 प्रदर्शन एवं वर्ष 2010-11 में नवंबर 2010 तक 455 प्रदर्शन आयोजित किए गए।

7. **औषधि एवं सुगंधित फसल विकास** : योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 तक 1020 मिनिकिट्स का वितरण किया गया है।

8. घरेलू बागवानी की आदर्श योजना : योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 माह नवम्बर 2010 तक 311997 मिनिकिट्स का वितरण किया गया है।

(ब) केन्द प्रवर्तित योजनाएँ

(1) सूक्ष्म सिंचाई योजना

1. ड्रिप सिंचाई योजना :– वर्ष 2010-11 में ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को कुल लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान देय है, वहीं अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में नवम्बर 2010 तक 178 हितग्राहियों को 321.95 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापित कर लाभान्वित किया गया है।

2. स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति :– लघु एवं सीमांत कृषकों को संयत्र लागत का 80 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2010-11 में नवम्बर 2010 तक 965 हितग्राहियों के 1344.15 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर संयंत्र प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है।

(2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना :–

1. मॉडल नर्सरी :– 4 हेक्टेयर वाली मॉडल रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत 25.00 लाख रू. प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में शत–प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2010-11 में 17 नर्सरियों के विरूद्ध 7 नर्सरी स्थापित की गई है। लघु नर्सरी जो लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगी जिसकी लागत 6.25 लाख रू. प्रति यूनिट है। लघु नर्सरी की स्थापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में शत–प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रों की इकाईयों हेतु अधिकतम अनुदान सीमा 50 प्रतिशत या 3.125 लाख रू. प्रति हैक्टेयर है।

2. फलोद्यान विकास :– योजनांतर्गत आम, लीची, नीबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2009-10 में 7330.59 हैक्टेयर में स्थापित किए गए, जिस पर 1417.93 लाख रू. अद्यतन व्यय हुआ है।

3. पुष्प विकास योजना :– पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में 2320.08 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प विस्तार का कार्य किया गया, जिस पर 825.59 लाख रू. व्यय हुआ।

4. मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल :–योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में 3579 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया जिस पर 551.25 लाख रू. व्यय हुए हैं। वर्ष 2010-11 में 8449.89 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला औषधि एवं सुगंधित फसल योजनान्तर्गत विस्तार कार्य किया गया है।

5. काजू क्षेत्र विकास :– योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में 2814 हेक्टेयर क्षेत्र में 158.28 लाख रू. व्यय कर विस्तार कार्य किया गया।

5. सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास :– सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में 1244 सामुदायिक नलकूप खनित किए गए। योजनांतर्गत 10 हैक्टेयर क्षेत्र में क्षमता विकसित किए जाने हेतु रू. 10.00 लाख का प्रावधान है। वर्ष 2010-11 में माह नवंबर 2010 तक इस योजनांतर्गत 112.00 लाख रू. व्यय हुए।

(स) केन्द्रीय क्षेत्र योजना

(1) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1. सब्जी फसल क्षेत्र विस्तार :– वर्ष 2009-10 में 3125 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम पर 351.28 लाख रू. व्यय किया गया। वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 तक 1376 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं 1950 उन्नत किस्म के सब्जी प्रदर्शन कार्यक्रम कृषकों के प्रक्षेत्र पर आयोजित किए गए हैं, जिस पर कुल 279.24 लाख व्यय हुए।

2. मसाला फसलों का उत्पादन :– वर्ष 2009-10 में 2460 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला फसलों के उत्पादन कार्यक्रम पर 351.28 लाख रू. व्यय हुए। वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 तक 3120 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्यक्रम लिया गया जिस पर कुल 390.00 लाख व्यय हुए।

3. पुष्प विकास योजना :– वर्ष 2009-10 में 131 हेक्टेयर क्षेत्र पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम लिया गया जिस पर 58.79 लाख रू. व्यय हुए। वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 तक 573 हेक्टेयर में कार्यक्रम लिया गया, जिस पर कुल 142.74 लाख रू. व्यय हुए।

4. जैविक खेती :– योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 अंत तक जैविक खेती अंतर्गत 17697 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की गई है।

5. संरक्षित खेती :– योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 माह नवम्बर 2010 अंत तक 1094 इकाई शेडनेट की स्थापना की गई है।

6. कीट व्याधि प्रबंधन :– योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर 2010 अंत तक 3120 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यक्रम लिया गया जिसमें कुल 737.10 लाख रू. व्यय हुए।

अध्याय–4

भाव स्थिति

समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन

कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ, तथा मक्का का उपार्जन सीधे कृषकों से किया जा रहा है। लेव्ही चावल का उपार्जन, समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलर्स से किया जा रहा है। प्रदेश में अप्रैल 2002 से विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन योजना लागू है, जिसके अंतर्गत उपार्जित चावल का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं में किया जा रहा है। प्रदेश में प्रमुख खाद्यान्नों के उपार्जन (भाव व मात्रा) की स्थिति निम्नानुसार है :–

धान :– खरीफ वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य शासन द्वारा सामान्य धान के लिए 1000.00 रू. प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ''ए'' के लिए 1030.00 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। साथ ही 50.00 रू. प्रति क्विंटल बोनस की राशि भी किसानों को देय है। समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार की अधिकृत उपार्जन एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा खरीफ वर्ष 2009-10 के दौरान समर्थन मूल्य पर 44.26 लाख मी.टन धान का उपार्जन किया गया।

गेहूँ :– रबी विपणन वर्ष 2009–10 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए 1080.00 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। छ.ग. राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा रबी वर्ष 2009–10 में गेहूँ उपार्जन हेतु 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से समस्त व्यवस्थाएं की गई।

मक्का :– खरीफ विपणन मौसम 2009-10 हेतु भारत सरकार द्वारा मक्का का समर्थन मूल्य 840.00 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विपणन वर्ष 2009-10 में 1042.82 में.टन मक्का उपार्जित किया गया है। खरीफ वर्ष 2010-11 हेतु भारत सरकार द्वारा मक्का का समर्थन मूल्य 880.00 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित है।

चावल उपार्जन : खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 13.08 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड चावल तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 16.02 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड चावल तथा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. द्वारा 1.17 लाख मीट्रिक टन लेव्ही चावल एवं भारतीय खाद्य निगम निगम द्वारा 3.85 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन किया गया। इस प्रकार खरीफ वर्ष

2009-10 के दौरान राज्य में कुल 34.14 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन किया गया है।

मिट्टी तेल :–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त हितग्राहियों को प्रतिमाह 3-5 लीटर केरोसीन प्रति राशन कार्ड के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रति माह 15575 किलो लीटर मिट्टी तेल का आबंटन प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु भारत सरकार द्वारा 187383 किलोलीटर केरोसीन का आबंटन किया गया था जिसके विरूद्ध वितरण 186052 किलो लीटर (99.29 प्रतिशत) रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह सितंबर तक आबंटित 93484 किलोलीटर कैरोसिन का वितरण (100.00 प्रतिशत) रहा है।

बाक्स –4.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नेटवर्क भारतीय खाद्य निगम के 11 प्रदाय केन्द्रो, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 99 खाद्यान्न प्रदाय केन्द्रों एवं 10558 उचित मूल्य की दूकानों के समन्वय से विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को पात्रतानुसार निर्धारित मूल्य पर नियमित खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में उचित मूल्य की दूकानों का संचालन सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। अक्टूबर 2010 की स्थिति में कुल 10558 दुकाने संचालित है।

- 2613 दुकानें प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा
- 4034 दुकानें ग्राम पंचायतों द्वारा
- 2285 दुकानें स्व–सहायता समूहों द्वारा
- 1456 दुकानें अन्य सहकारी समितियों द्वारा
- 153 दुकानें वन सुरक्षा समितियों द्वारा
- 17 नगरीय निकाय द्वारा संचालित है ।

सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार है :–

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली :– प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 से लागू है। योजनान्तर्गत, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) एवं ऊपर (ए.पी.एल.) के परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में बी.पी.एल. खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण निम्नानुसार है :–

(मात्रा मीट्रिक टन में)

बी.पी.एल.गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
31320.00	31320.00	454368.00	453763.26

वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक बी.पी.एल. खाद्यान्न वितरण की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(मात्रा मीट्रिक टन में)

बी.पी.एल. गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
39345.43	38442.52	227184.00	227116.68

अन्त्योदय अन्न योजना :– प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना जुलाई 2009 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 1.00 रू. किलो चावल, 35 किलो प्रतिमाह के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 6.91 लाख हितग्राहियों को अन्त्योदय राशन कार्ड जारी कर उन्हे नियमित रूप से चावल वितरित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु भारत सरकार द्वारा 301944 मे. टन खाद्यान अन्त्योदय योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध खाद्यान का वितरण 296459 मी.टन (98.18%) मी.टन रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह सितंबर 2010 तक अन्त्योदय चावल के 150972 मी. टन आबंटन के विरूद्ध 147336 मी.टन चावल का वितरण (97.59%) है।

अन्नपूर्णा दाल–भात योजना : राज्य शासन के निर्णयानुसार यह योजना विभाग द्वारा जनवरी 2004 से समस्त प्रदेश में लागू की गई है, जिसके द्वारा राज्य के निर्धन एवं जरूरत मंद लोगों को 5.00 रू. में भरपेट दाल–भात उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में संचालित 145 अन्नपूर्णा दाल–भात केन्दों से प्रतिदिन 15 से 20 हजार निर्धन हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य शासन द्वारा इन केन्द्रो को बी.पी.एल. दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्नपूर्णा योजना : इस योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ बेसहारा नागरिको को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नही हो रही है। इस योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में 19928 हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदाय कर खाद्यान्न का नियमित वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु विभाग द्वारा 3200 में. टन चावल अन्नपूर्णा योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध चावल का वितरण 2724.17 मी. टन (85.13 प्रतिशत) रहा।

छत्तीसगढ़ अमृत (नमक) वितरण योजना :

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रतिमाह दो किलो आयोडाईज्ड नमक निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। जिसमें 34.48 लाख निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड धारी अनुसूचित विकास खण्डों के परिवारों को इस येाजना का लाभ दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य शासन द्वारा 86944 मी.टन नमक वितरण हेतु जिलों को आवंटित किया गया जिसके विरूद्ध नमक का वितरण 83249 मी.टन (96 प्रतिशत) रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह सितंबर, 2010 तक 42637 मी.टन आवंटन के विरूद्ध 40766 मी.टन नमक का वितरण (88.34 प्रतिशत) किया गया है।

ग्रेन बैंक योजना :–राज्य में भुखमरी एवं कुपोषण की कोई भी संभावना न होने देने हेतु राज्य शासन द्वारा समस्त जिलों में 1904 ग्रेन बैंको की स्थापना की गई है जिसमें प्रति ग्रेन बैंक 40 क्विंटल के मान से 10480 क्विंटल चावल भंडारित किया गया है। कोई भी जरूरतमंद अधिकतम एक क्विंटल चावल ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :–

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 18.75 लाख बी.पी.एल. परिवार को छोड़कर शेष अन्य निर्धन एवं जरूरत मंद परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु अप्रैल, 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना राज्य में लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत निम्न प्रकार के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

1. **केसरिया राशनकार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जिसके नाम 2002 की सूची में नहीं है उन्हे केशरिया रंग का कार्ड जारी किया गया है। कार्डधारी को 35 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर से राशन प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 6.29 लाख है।

2. **10 किलो केसरिया राशन कार्ड** :– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राही, जिन्हे पूर्व में बी.पी.एल. अथवा अंत्योदय अन्न योजना का राशनकार्ड जारी नहीं हुआ है, प्रतिमाह 10 किलो केसरिया कार्ड जारी किया गया है। इस परिवार को 10 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 1.76 लाख है।

3. **स्लेटी राशन कार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 या 2002 के बी.पी.एल सर्वे में सम्मिलित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार, जिसे अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सका है, स्लेटी राशनकार्ड जारी किए गए हैं। परिवार को

प्रति माह 35 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 12.41 लाख है।

4. निःशक्त (हरा) राशन कार्ड :– सभी निःशक्त जनों को लाभान्वित करने के लिए हरा राशन कार्ड बनाकर जारी किए गए हैं। जिसकी संख्या 38511 है। उपरोक्त हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल 2.00 रू. प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा जुलाई 2009 से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को 2.00 प्रति किलो की दर से चावल वितरण प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा 1285.00 करोड़ रू.की राशि प्रावधानित की गई है।

अध्याय–5

पशुधन विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। 15 अक्टूबर 2007 पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.44 करोड़ पशुधन तथा 1.42 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु विकासः– पशु संगणना 2007 के अनुसार गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 33.62 लाख है। राज्य में वर्ष 2009-2010 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 22 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 253 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान इकाईयॉ, 210 पशु चिकित्सालय, 755 पशु औषधालय, 10 मु. ग्रा. खण्ड, 100 मु. ग्रा. खण्ड इकाई कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2009-10 में 5.12 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 38.00 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.09 लाख वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 0.14 लाख वत्सोत्पादन हुआ। वर्ष 2010-11 में माह सितम्बर 2010 तक 1.48 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.18 लाख पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी गई जिससे 0.39 लाख कृत्रिम वत्सोत्पादन एवं 0.09 लाख प्राकृतिक वत्सोत्पादन हुआ है।

बकरी विकास : प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार 27.67 लाख बकरे–बकरियॉ हैं, प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है तथा व्यक्ति मूलक योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में 324.00 लाख रू. व्यय कर 11140 उन्नत नस्ल के बकरे प्रदाय किए गए। वर्ष 2010-2011 में विभागीय योजनांतर्गत 162.00 लाख आबंटन के सापेक्ष में 5010 बकरे तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 5000 बकरे वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में एक नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना सरोरा जिला रायपुर में की गई है।

सूकर विकास : वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.11 लाख़ सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु सूकर पालको को वर्ष 2008-09 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा तथा 1 नर सूकर) वितरण हेतु 70.00 लाख रु. से 903 हितग्राहियों को, एवं अनुदान पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु 17.60 लाख रु. व्यय कर 356 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2010-11 में सूकरत्रयी इकाई हेतु राशि 80.00 लाख आवंटन के विरूद्ध 1150

सूकरत्रयी एवं नर सूकर हेतु राशि 22.95 लाख रू. के विरूद्ध 500 नर सूकर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में सकालो, जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। जिसमें लार्जव्हाइट यार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सूकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र कुनकुरी जिला जशपुर में स्थापना प्रगति पर है।

शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय :– प्रदेश में वर्ष 2006-07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतो के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है। योजना प्रारंभ से अब तक कुल 3130 सांड़ विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रदाय किए गए हैं। वर्ष 2010-11 में रू.126.00 लाख के परिव्यय से 572 ग्राम पंचायतों में सांड़ वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कुक्कुट विकास : प्रदेश में पशु संगणना 2007 के अनुसार प्रदेश में 142.45 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत, आहार एवं औषधि सहित घर पहुॅचा कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है। आलोच्य वर्ष 2008-09 में बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत रू. 90.00 लाख रू. व्यय किया जाकर 9260 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2009-10 में रू. 180.00 लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 20000 कुक्कुट इकाईयों के विरूद्ध 9799 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2010-11 में राशि रू. 162.00 लाख आबंटन के विरूद्ध 18000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

केन्द्रीय योजना (एस्काड) : केन्द्र प्रवर्तित योजना एस्काड योजनांतर्गत प्रतिबंधात्मक टीकाकरण पशुरोग अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण प्रचार–प्रसार आदि कार्य किया जाता है। वर्ष 2010-11 में रू. 1044.83 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत है। साथ ही वर्ष 2009-10 की शेष राशि 161.20 लाख का पुर्नवैधिकरण वर्ष 2010-11 में व्यय हेतु किया गया।

बॉक्स क 5.1

शासन द्वारा पशुपालन हेतु आबंटित राशि

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 1901.00 लाख रू. की कार्ययोजना स्वीकृत हुई थी जिसके विरूद्ध राशि रू. 1750.00 लाख व्यय की गई।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में राशि रू. 5777.00 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत रू. 3892.00 लाख का बंटन प्राप्त हुआ है।
- दूरस्थ अंचलों में पशु चिकित्सा सेवायें हेतु स्वर्णिम रोजगार योजनान्तर्गत अब तक 5663 बेरोजगारों को गौ सेवक प्रशिक्षण दिया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रशिक्षित गौ सेवकों, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में कुल 42 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बॉक्स क 5.2

प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सालय

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	210
पशु औषधालय	755
चल चिकित्सालय	16
माता महामारी उन्मूलन योजना	05
पशु जॉच चौकियॉ	07
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	18
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	253
एम्बुलेट्री क्लीनिक	10
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	100

छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरणः— छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय–भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई है। परियोजनांतर्गत मुख्य उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैं :–

1. पशुसंवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना।
2. घर पहुॅच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 709 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन।
3. कृत्रिम गर्भाधान पहुॅच विहीन गॉवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के साड़ों का प्रदाय।
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
5. गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण।
6. पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण।
7. 910 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया गया है।
8. प्रशिक्षण केन्द्र महासमुन्द व जगदलपुर में प्रशिक्षण सुविधा हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास।
9. मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैरविभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय गौवंशीय/भैंसवंशीय परियोजना का राज्य में संचालित होने से कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है, परिणाम स्वरूप राज्य में दुग्धउत्पादन में वृद्धि हो रही है।

पशु उत्पाद उपलब्धताः— वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य के 16 जिलों में केन्द्रीय प्रवर्तित न्यादर्श सर्वेक्षण अन्तर्गत 240 ग्रामों का चयन कर दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान किया गया जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 126 ग्राम दूध, प्रति वर्ष 51 अण्डे प्रतिव्यक्ति तथा वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.190 ग्राम होना पाया गया है।

अध्याय–6

मत्स्य विकास

राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.63 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.509 लाख हे. जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 92.57 प्रतिशत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारन्मुखी साधन है। कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है।

1. मत्स्य बीज उत्पादन :– वर्ष 2008–09 में समस्त स्त्रोतों से 6750.64 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) तथा वर्ष 2009–10 में 7628.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 12.99 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2010–11 में माह सितम्बर 2010 तक 6984.73 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया।

2. मत्स्योत्पादन :– वर्ष 2008–09 में राज्य में समस्त स्त्रोतों से 158698 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2009–10 में 174246 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में 9.79 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य वर्ष 2010–11 में माह सितम्बर 2010 तक 95842 मीट्रिक टन का मत्स्योत्पादन किया गया है।

3. मछुआ सहकारिता :–राज्य में वर्ष 2010–11 में माह सितम्बर 10 तक समितियों की संख्या 938 है। जिनकी सदस्य संख्या 32917 है। इन समितियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए तालाब सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

4. मछुआरों का शिक्षण प्रशिक्षण :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने सुधारने, नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति रू. 750 जाल बुनने एवं धागा के लिए रू. 400 तथा अन्य व्यय हेतु रू. 100 इस प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय रू. 1250 का प्रावधान है। वर्ष 2009–10 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4420 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

बॉक्स क 6.1

योजना, बीमा व आवास सुविधा

- मत्स्य पालकों को, दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रू. 50000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 100000 रू. की सहायता दी जाती है। वर्ष 2009–10 में 72000 मछुआरों का बीमा कराया गया।
- वर्ष 2009–10 तक मछुआरों के लिए 338 आवास सुविधा का निर्माण किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य 50:50 के अनुपात में व्यय भार वहन किया गया।
- सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु. जनजाति महिला कृषकों को स्वयं की भूमि पर एक हेक्टेयर जलक्षेत्र निर्माण पर अधिकतम रू. 5 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाएगी। तथा रू. 1 लाख हितग्राही अंशदान इस प्रकार कुल 6 लाख की सहायता। वर्ष 2009–10 में 25 तालाब निर्मित किए गए।

5. मत्स्य पालन प्रसार :–योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षो में अधिकतम 15000 रू. का प्रावधान है। वर्ष 2009–10 में 525 इकाईयॉ स्थापित की गई है जिसमें 3.40 लाख झींगा बीज संचयन कर 9914 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया है।

6. **अल्पअवधि बचत सह राहत योजना** :– बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वयन की गई है। योजना क्रियान्वयन का 50 प्रतिशत राज्य शासन एवं 50 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा अंशदान से रू. 600 तथा शासन द्वारा अंशदान रू. 1200 इस प्रकार कुल रू. 1800 हितग्राही के नाम से बैंक में जमा किए जाते हैं। जिससे बंद ऋतु के 3 माह में 600 रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते है। वर्ष 2010–11 में 1590 मछुआरों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जावेगा।

7. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गई है। योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 10.65 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के छः चयनित जिलों बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, रायगढ़ एवं दुर्ग में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी 18 जिलों में सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र का सर्वेक्षण, मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण कर केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलों को संचालनालय के साथ नेटवर्किंग करने हेतु 18 जिलों में कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं।

प्रमुख योजनाओं की वर्ष 2010–11 माह सितंबर 10 तक की

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियॉ

क्र.	विवरण	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रू. में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मत्स्यबीज उत्पादन					
	स्पान		29505.00	29604.00	141.13	98.10
	स्टेण्डर्ड फ्राई	लाख	8300.00	6984.73	-	-
2.	मत्स्यबीज संचयन	लाख	8007.80	6443.93	-	-
3.	मत्स्योत्पादन	मी. टन	233325.20	95154.44	52.60	0.24
4.	विभागीय आय	लाख रू.	5.829	66.97	-	-
5.	त्रिस्तरीय पंचायतों से आय	लाख रू.	-	127.78	-	-
6.	प्रशिक्षण	संख्या	3575	1181	45.06	19.47
7.	रोजगार सृजन	ला. मा. दि.	110.00	36.65	-	-
	केन्द्र प्रवर्तित योजना					
1	मत्स्य कृषकों को आर्थिक सहायता					
	अ. ऋण	लाख रू.	407.00	51.84	-	-
	ब. अनुदान	लाख रू.	145.00	34.63		
2	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	संख्या	-	23	-	-
3	मत्स्य जीवियों को दुर्धटना बीमा	संख्या	110000	46000	6.90	6.90

अध्याय–7

वानिकी

भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38% भाग वनाच्छादित है। जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85% है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है। राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी. (43.13%), संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.21%), अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 32 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। कार्य आयोजना वैज्ञानिक पद्धति से किसी भी वनमंडल के वनों के विदोहन/पातन हेतु भारत शासन द्वारा स्वीकृत योजना है।

वनमंडल की कार्य आयोजना वरिष्ठ वन अधिकारी (उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी) के द्वारा बनायी जाती है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। कार्य आयोजना का पुनरीक्षण, कार्य आयोजना समाप्ति के 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है, ताकि समयावधि समाप्त होने के पश्चात वनमंडल में नई कार्य आयोजना लागू की जा सके। वर्तमान में 13 वनमंडलों में कार्य आयोजना पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। राज्य के समस्त वन मंडल के वन क्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

बाक्स नं–7.1

- राज्य में 7887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772 वर्ग किलोमीटर में से 33190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा रहा है। योजनान्तर्गत संचार के साधन, जांच चौकी निर्माण, वाच टावर निर्माण, नेट वर्किंग एवं अग्नि सुरक्षा जैसे कार्यो हेतु 7385.89 लाख रू. की स्वीकृति दी गई, जिसमें 39127 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्य भी सम्मिलित हैं।
- राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। योजनांतर्गत 2009–10 में रू. 550.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें 96 कि.मी. में रोपण हेतु तैयारी तथा 66 कि.मी. में रोपण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजनांतर्गत 450.00 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है जिसमें 40 कि.मी. सड़क किनारे वृक्षारोपण तथा 200 कि.मी. रखरखाव का लक्ष्य है। अक्टूबर 2010 तक 102.68 लाख का व्यय किया जा चुका है।
- यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत वन आधारित जीविकोपार्जन क्षमता के विकास के तहत वर्ष 2009–10 में 620.00 लाख रू. का बजट प्रावधान किया गया था एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस योजनांतर्गत 500.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

लाख विकास योजना :– इस योजनांतर्गत राज्य में लाख की खेती का विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु वर्ष 2009–10 में कुल प्रावधानित राशि रू. 250.00 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2010–11 में 200.00 लाख रू. का प्रावधान है, जिसमें अक्टूबर 2010 तक 200.00 लाख रू. का व्यय किया जा चुका है।

वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण :– वनक्षेत्रों से गुजरने वाले 30000 कि.मी. वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण करना जिससे वनग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू. 900.00 लाख का प्रावधान किया गया था तथा 300 रपटा/पुलिया निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 750.00 लाख रू. के प्रावधान में से माह अक्टूबर 2010 तक 57.46 लाख रू. का व्यय हुआ है।

पौधा प्रदाय योजना : जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार–प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु ''पौधा प्रदाय योजना'' राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें 1 रू.प्रति पौधा की दर से अधिकतम एक हजार पौधे एक हितग्राही को दिये जायेंगे। वर्ष 2009–10 में 150.00 लाख रू. के प्रावधान के विरूद्ध 146.20 लाख रू. व्यय किए गए हैं एवं विभिन्न प्रजाति के 49.15 लाख पौधे वन विभाग की नर्सरियों में तैयार कर हितग्राहियों को रियायती दर पर प्रदाय किया गया। वर्ष 2010–11 में रू. 150 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 लाख पौधा तैयारी का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर 2010 तक योजनांतर्गत रू. 52.65 लाख रू. व्यय किया गया है।

हरियाली प्रसार योजना : कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाति के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांरित किए जाएंगे, साथ ही आगामी दो वर्षो के लिए रख–रखाव हेतु 1.00 रू. प्रति पौधा की दर से प्रति वर्ष अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2009–10 में 280.00 लाख रू. का प्रावधान था जिसके विरूद्ध 208.16 लाख रू. व्यय किया जाकर 60 लाख पौधे नर्सरी में तैयार किए गए तथा 3 लाख पौधे किसानों की भूमि पर रोपित किए गए। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 250.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है। जिसमें 8 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर 2010 तक रू. 97.65 लाख व्यय हुआ है।

नदी तट वृक्षारोपण योजना : राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदीतट वृक्षारोपण योजना लागू की जा रही है। इससे नदियों के तट पर होने वाले भू–क्षरण और

इससे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जायेगा। वर्ष 2009–10 में इस मद में रू. 540.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसमें से वर्षान्त तक 536.36 लाख रू. के व्यय से 11.00 लाख पौधों का रोपण किया गया। वर्ष 2010–11 में इस योजनांतर्गत रू. 540 लाख की राशि का प्रावधान किया जाकर 10 लाख पौधा रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अक्टूबर 2010 तक 239.02 लाख रू. की राशि व्यय की गई है।

बांस वनो का पुनरोद्धार :– बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले (कोपल) प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। वर्ष 2009–10 में इस मद में 2630.00 लाख रू. का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध 2577.55 लाख रू. का व्यय किया गया। वर्ष 2010–11 में इस मद में 2900.00 लाख रू. का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2010 तक रू. 378.81 लाख रू. व्यय किया गया।

भू–जल संरक्षण :– भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू–संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु यह योजना प्रारंभ की है, वर्ष 2009–10 में रू. 1730.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 2010–11 में इस योजनांतर्गत रू. 1730.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जिससे 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य का लक्ष्य रखा है। माह अक्टूबर 2010 तक 142.60 लाख रू. का व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम :–

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 से अस्तित्व में आया तब तक रायपुर क्षेत्र में 4 परियोजना मण्डल अस्तित्व में थे। सितंबर, 2001 से औद्यौगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर का गठन किया गया। औद्यौगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल का मुख्य कार्य एस.ई.सी.एल. बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. कोरबा संस्थानों हेतु पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य है। क्षेत्र हस्तांतरण के उपरान्त अक्टूबर 2003 में तीन नवीन परियोजना मण्डलों का गठन किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 7 परियोजना मण्डल हैं, एक कालान्तर में बन्द हो गया।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में वर्तमान में दो क्षेत्रीय महाप्रबंधक के कार्यालय हैं जिसका मुख्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में है।

निगम के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल एवं रोपित रकबा (हेक्टेयर में) 2010 की स्थिति में :–

निगम का वन क्षेत्रफल	सागौन	बांस	मिश्रित	औषधीय	योग
197153	84210	9336	452	397	94395

वर्ष 2011 में 3550 हे. सकल क्षेत्र में सागौन, 500 हे. क्षेत्र में बांस तथा 200 हे. क्षेत्र में मिश्रित रोपण का लक्ष्य निर्धारित है।

उच्च तकनीक वृक्षारोपण :– वर्ष 1997 से 2010 तक 285.24 हेक्टेयर अभ्यारण्य क्षेत्र में उच्च तकनीक के अंतर्गत सागौन के सिंचित रोपण किए गए हैं जिसके परिणाम काफी अच्छे प्राप्त हुए है। वर्षा ऋतु 2011 में उच्च तकनीक रोपण हेतु 140 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है।

खदानी रोपण :– वर्ष 1990 से 2010 तक औद्यौगिक क्षेत्रों में 198.07 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2011 में 8.00 लाख पौधों का रोपण लक्ष्य प्रस्तावित है, जो संस्थाओं द्वारा अनुबंध कर राशि प्रदाय करने पर निर्भर है।

सड़क किनारे वृक्षारोपण :– माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान 354.80 कि.मी. लम्बाई में पथ वृक्षारोपण किया गया है:–

वर्ष	उपलब्धि	
	रोपित मार्ग लंबाई (कि.मी.)	रोपित पौधों की संख्या
2006	62.45	99223
2007	64.00	123000
2008	101.85	201925
2009	69.10	136881
2010	55.90	104800

वर्ष 2011 में 635 कि.मी. में पथ वृक्षारोपण किया जाना निर्धारित है, जो संस्थाओं द्वारा अनुबंध कर राशि प्रदाय करने पर निर्भर है।

बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य : निगम को हस्तांतरित वन क्षेत्र में अधिकांश बांस वन बिगड़ी स्थिति में है। वर्ष 2009–10 में वन विकास उपकर निधि मद से 3615 हेक्टेयर बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य कराया गया। वर्ष 2010–11 में 2200 हे. बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं 500 हे. में बांस रोपण की तैयारी का कार्य प्रस्तावित है।

क्र.	परियोजना मण्डल का नाम	वर्ष 2009 में किया गया सुधार कार्य (हे.)	वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित कार्य	
			बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य (हे.)	बांस रोपण (तैयारी)
1	बारनवापारा	256	500	100
2	अंतागढ़	425	600	100
3	पानाबरस	374	500	100
4	कोटा	1202	300	100
5	कवर्धा	720	300	100
	योग	2977	2200	500

वनौषधि रोपण : राष्ट्रीय औषधी पादप बोर्ड नई दिल्ली द्वारा "Central Sectors Scheme for Conservation and Development of Medicinal Plant " के तहत औषधी पौधों के 600 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण एवं रोपणी की तैयारी की तीन वर्षीय योजना दिनांक 06.05.09 को स्वीकृत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	परियोजना मण्डल का नाम	प्रजाति	कुल लक्ष्य	वर्ष 2009.10 में रोपण (हे.)	वर्ष 2010.11 में रोपण (हे.)	योग (हे.)
1	बारनवापारा, कोटा सरगुजा	सतावर	150	7.00	50.00	57.00
2	बारनवापारा, कवर्धा	कालमेघ	200	100.35	150.00	250.35
3	बारनवापारा, कवर्धा, पानाबरस, अंतागढ़, कोटा, सरगुजा	गिलोय	100	6.50	39.50	46.00
4	बारनवापारा, कवर्धा	सर्पगंधा	50	4.40	3.90	8.30
5	अंतागढ़, कोटा	बायबिडंग	100	-	36.00	36.00
योग			600	118.25	279.4	397.65

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

शासन द्वारा राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वयन स्थापित करने के लिए दिनांक 28 जुलाई 2004 को छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है।

दायित्व :– औषधीय पादपों के विकास हेतु शोध एवं अनुसंधान, औषधीय पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण, औषधीय पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आंकलन, औषधीय पौधों के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना, पारंपरिक चिकित्सकों की पहचान करने तथा मान्यता दिलाने के कार्य का समन्वय करना, औषधीय पादपों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य।

विभिन्न योजनाएं

आरोग्य 2010 :– औषधीय वनस्पतियों एवं आयुष क्षेत्र (आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध एवं होम्योपैथी) के लोकव्यापीकरण हेतु आयुष विभाग भारत शासन के सहयोग से 4 दिवसीय संगोष्ठी–सह–प्रदर्शनी का राज्य का प्रथम आयोजन।

यू.एन.डी.पी. परियोजना :– विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण '' वनौषधि विविधता का संरक्षण एवं सतत् संवहनीय उपयोग '' के अंतर्गत '' वनौषधीय पौधों के संरक्षण क्षेत्रों '' की स्थापना हेतु योजना लागत रू. 1712.00 लाख की 7 वर्षीय परियोजना का कार्य प्रगति पर।

आंवला कैम्पेन परियोजना :– राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड भारत शासन द्वारा आंवला पौधों के रोपण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य के 6 जिलों के 7 विकासखण्डों में 12 लाख आंवला पौधों के वितरण, रोपण, आंवला उत्पादों के उपयोग एवं प्रसंस्करण हेतु रू. 261.00 लाख की त्रि–वर्षीय परियोजना का कार्य प्रगति पर।

स्कूल हर्बल गार्डन :– छात्र–छात्राओं में औषधीय पौधों के उपयोग एवं ज्ञान को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के 95 स्कूलों में हर्बल गार्डन का निर्माण एवं वर्ष 2010–11 हेतु रू. 13.58 लाख की लागत से 97 स्कूलों में हर्बल गार्डन का कार्य प्रगति पर।

ई–पुस्तकालय की स्थापना :– बोर्ड मुख्यालय में देशभर से वनौषधि क्षेत्र की अनेकों महत्वपूर्ण पुस्तकों के साथ ई–ग्रंथालय की स्थापना की गई है। राज्य का कोई भी व्यक्ति ग्रंथालय की सदस्यता लेकर अपने निवास से इंटरनेट के माध्यम से बोर्ड के पुस्तकों का अध्ययन कर सकेगा।

अध्याय–8

जल संसाधन

छत्तीसगढ राज्य में जल संसाधनों के उपयोग एवं विकास कार्य

छत्तीसगढ एक कृषि प्रधान राज्य है, वर्ष 2009–10 में प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 57.47 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया गया क्षेत्र 47.27 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश गठन के समय शासकीय स्त्रोतों से 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था जो कुल बोया गये क्षेत्र का 23 प्रतिशत है। आंकलन के अनुसार 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की जा सकती है। जिसमें सतही जल से 33.80 लाख एवं भू जल से 9.20 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जा सकती है, राज्य गठन के पश्चात राष्ट्रीय औसत 48.90 प्रतिशत के समकक्ष लाने के लिए शासन द्वारा सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश की पांच मुख्य नदी कछारों में कुल 137900 वर्ग किमी. सतही जलग्रहण क्षेत्र है। इस प्रकार 75 प्रतिशत निर्भरता राज्य में कुल 599000 लाख घनमीटर सतही जल की उपलब्धता है जिसमें से 417200 लाख घन मीटर उपयोग में लाया जा सकता है।

इसी प्रकार राज्य में 136780 लाख घनमीटर भू–जल उपलब्ध है जिसमें से 116020 लाख घनमीटर का उपयोग सिंचाई हेतु किया जा सकता है। प्रदेश का वर्ष 2008–09 में जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2009–10 में 0.174 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया। मार्च 2010 तक 4.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के वृद्धि की जाकर प्रदेश में कुल 17.89 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जा चुका है जो कि कुल बोया गया क्षेत्र का 31.12 प्रतिशत है।

प्रदेश में मार्च 2010 तकं 7 वृहद 33 मध्यम एवं 2352 लघु योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं इसके अलावा 4 वृहद, 6 मध्यम एवं 443 लघु सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन है। वर्ष 2009–10 में 26 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

11 वीं पंचवर्षीय योजना में 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सतही जल से सृजित करने एवं 0.5 लाख हेक्टेयर उथले नलकूल निर्माण से सृजित करने का लक्ष्य है।

सिंचित क्षेत्र :– 1 नवम्बर 2000 को समस्त शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी, राज्य गठन के पश्चात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि निम्नानुसार है :–

अवधि	बजट आबंटन (करोड़ रू. में)	निर्मित सिंचाई क्षमता हे.	कुल सिंचाई लाख हें.	सिंचाई का प्रतिशत
नवम्बर 2000 से मार्च 2001	111.57	12000	13.40	23.15
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	294.16	71000	14.11	24.38
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	501.63	42000	14.53	25.10
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	577.97	98000	15.51	26.78
अप्रैल 2004 से मार्च 2005	818.78	75000	16.26	28.10
अप्रैल 2005 से मार्च 2006	780.07	55000	16.81	29.40
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	881.14	41000	17.22	30.12
अप्रैल 2007 से मार्च 2008	1004.41	36000	17.58	30.76
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	1086.75	13700	17.71	30.89
अप्रैल 2009 से मार्च 2010	1199.94	17400	17.89	31.12
अप्रैल 2010 से मार्च 2011	1761.82	-	-	-

नवीन प्रशासकीय स्वीकृत की योजनाएं :– वर्ष 2010.11 में सितंबर 2010 तक शासन द्वारा प्रदाय की गई स्वीकृत/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	**प्रकार**	**संख्या**	**लागत (करोड़ रू. में)**	**सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में**
1	2	3	4	5
1	सिंचाई योजनाएँ	06	20.06	1273
2	एनीकट/स्टॉपडेम	31	294.62	0
	योग	**37**	**314.68**	**1273**

भू–जल स्त्रोतों का उपयोग :– केन्द्रीय भू जल बोर्ड की वर्ष 2005 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में भू–जल स्त्रोतों की बहुत संभवनायें हैं । प्रतिवेदन के अनुसार 35678 एम.सी.एम. की राज्य में उपलब्धता है। इसमें समस्त स्त्रोतों अभी तक 2792.12 एम.सी.एम. अर्थात 20.40 प्रतिशत जल का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यो के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 तक शासकीय नलकूपों की 26 योजनाओं से 1134 नलकूपों द्वारा 25214 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित हुई है, तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों के निजी नलकूप निर्माण द्वारा वर्ष 2009-10 तक 1412 सफल नलकूप से 7060 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।

बाक्स न–8.1

योजनाएं एवं सिंचित क्षेत्र

- वर्ष 2010–11 में 37 नई परियोजनाओं एनीकेट सहित (लागत 314.68 करोड़ रू.) जिनकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 1273 हेक्टेयर है।
- महानदी जलाशय परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता 264311 हेक्टेयर (खरीफ) है। वर्ष 2009–10 में 213441 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।
- कोडार जलाशय परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 16754 हेक्टेयर है। वर्ष 2009–10 में 16163 हे. क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई की गई है।
- जोंक परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 12870 हेक्टेयर है जिसके विरूद्ध कम वर्षा के पश्चात भी वर्ष 2009–10 में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।
- तान्दुला जलाशय परियोजना से वर्ष 2009–10 में 14958 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया।
- मार्च 2010 तक वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं से 12.67 लाख हे. क्षेत्र में खरीफ फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसके विरूद्ध 8.49 लाख हे.सिंचाई के साथ औद्योगिक संयत्रो के लिएं 2760 मिलियन घन मीटर जल प्रदाय किए गए तथा प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 315.703 मिलियन घन मीटर पेय जल हेतु प्रति वर्ष जल प्रदाय किया जा रहा है।
- बहुउद्देशीय वृहद परियोजना, हसदेव बांगो जिसकी निर्मित सिंचाई क्षमता मार्च 2010 तक 247400 हेक्टेयर खरीफ एवं 173180 हेक्टेयर रबी कुल 420580 हेक्टेयर है जिसके विरूद्ध खरीफ की सिंचाई हेतु वर्ष 2009–10 में 220861 हेक्टेयर क्षेत्र में जल उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से एन.टी.पी.सी., छ.ग.रा.वि.मं. उत्पादन कंपनी, बाल्को, एस.ई.सी.एल., बी.पी.सी.एल. आदि उद्योगों तथा कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है।
- खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना मार्च 2009 में पूर्ण कर 12145 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की गई। इस योजना के निर्माण से दुर्ग जिले के डोंडीलोहारा एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड के 76 ग्रामों में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।
- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अन्तर्गत एशियन डेव्लेपमेंट बैंक से 163.437 करोड़ रू. की लागत से 24 मध्यम एवं 124 लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनरूद्धार एवं उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया जिससे 77130 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ एवं 39668 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल हेतु सुचारू रूप से जल उपलब्ध हो सकेगा।
- वर्ष 2010–11 के बजट में आदिवासी क्षेत्रों की 110 योजनाओं हेतु 20 करोड़ रू. तथा गैर आदिवासी क्षेत्र की 78 योजनाओं हेतु 14 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।

एनीकेट निर्माण कार्य योजना :– जल की बढती कमी को ध्यान में रखते हुए नदी नालों पर एनीकेट/स्टाप डेम का निर्माण प्रस्तावित है इससे पेयजल, सिंचाई, उद्योगों के उपयोग हेतु पानी की उपलब्धता, पशुओं के लिए पीने का पानी निस्तार की आवश्यकता, भू–जल संवर्धन एवं भू–संरक्षण में सहायता होगी। वर्तमान में 595 एनीकेट के निर्माण हेतु कार्य योजना स्वीकृत है जिसके अंतर्गत 104 एनीकेट का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी लागत 193 करोड़ है। 110 एनीकेट का कार्य चल रहा है, जिसकी लागत 644 करोड़ है। वर्ष 2010–11 के बजट में एनीकेट के निर्माण हेतु रू. 760 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है।

समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2009–10 में जलाशयों से सृजित एवं उपयोग सिंचाई निम्नानुसार है :–

(लाख हेक्टेयर में)

क्र.	परियोजना	सृजित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2009–10 में वास्तविक सिंचाई
1	वृहद परियोजना	9.99	5.745
2	मध्यम परियोजना	1.86	0.814
3	लघु परियोजना	6.04	1.977
	योग	**17.89**	**8.536**

निर्माणाधीन योजनाएं

1. केलो वृहद परियोजना :– केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. दूर केलो नदी पर निर्माणाधीन है। जिसकी अद्यतन लागत 598.91 करोड़ रू. है। जिसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 22810 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य की भौतिक प्रगति क्रमशः 52% एवं 27% है।

2. सूखा नाला बैराज :– यह मध्यम परियोजना राजनांदगॉव जिले के डोंगरगॉव तहसील के ग्राम बह्मनीकनेरी के पास सूखानाला में प्रस्तावित है। इसकी अद्यतन लागत् रू. 109.20 करोड़ है। इसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 6270 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य 80% तथा नहर कार्य 50% पूर्ण कर लिया गया है।

3. घुमरिया नाला बैराज परियोजना :– घुमरिया नाला बैराज परियोजना राजनांदगॉव जिले के छुलिया तहसील के ग्राम जोशीलमती के समीप घुमरियानाला पर निर्माणाधीन है। योजना की लागत रू. 47.79 करोड एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 3200 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य 65% तथा नहर कार्य 80% पूर्ण कर लिया गया है।

4. कर्रानाला बैराज परियोजना :– यह परियोजना कबीरधाम जिले के सहसपुर–लोहारा विकासखण्ड मुख्यालय से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। योजना की वर्तमान लागत रू. 9919.13 लाख है।

आयाकट विकास

महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10.11 लाख हेक्टेयर एवं कृषि योग्य भूमि 7.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। यह समूचा क्षेत्र रायपुर जिले के 12 विकासखण्डों के 1172 ग्राम, दुर्ग जिले के 7 विकासखण्डों के 611 ग्राम, धमतरी जिले के 4 विकासखण्डों के 315 ग्राम तथा महासमुन्द जिले के 1 विकासखण्ड के 48 ग्रामों का क्षेत्र है।

परियोजनावार सिंचाई क्षमता का उपयोग वर्ष 2009–2010

(हेक्टेयर में)

क्र	परियोजना का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल	कृषि योग्य भूमि सी. सी.ए.	मौसम	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2008–09		वर्ष 2009–10	
						वास्तविक	सृजित	वास्तविक	सृजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	महानदी परियोजना (सोढूर सहित)	611668	386703	खरीफ	276571	275776	235434	275776	232869
				रबी	-	-	-	-	-
2.	पैरी परियोजना	62631	40489	खरीफ	39741	39741	36750	39741	36520
				रबी	33995	33995	-	-	-
3.	कोडार परियोजना	27777	21740	खरीफ	16754	16754	15854	16754	16163
				रबी	6718	6718	-	-	-
4.	जोंक परियोजना	23523	21281	खरीफ	14569	12870	7879	12870	4000
5.	बलार परियोजना	16741	8152	खरीफ	6880	5567	5934	5567	6548
				रबी	-	-	-	-	-
6.	तांदुला परियोजना	269164	246340	खरीफ	101977	97896	40463	97896	14958
				रबी	40713	4073	-	-	-

विभिन्न कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों/उपलब्धियों का विवरण

क्र.	कार्य का नाम	2009–10				2010–11			
		भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (सितं.10)	लक्ष्य	उपलब्धि (सितं.10)
1	फील्ड चैनल निर्माण	14400 हे.	14163 हे.	1944.00	1925.99	14400 हे.	3298 हे.	1944.00	65.49
2	पी.आई.एम.	13000 हे.	12794 हे.	117.00	111.80	13000 हे.	------	117.00	-------
3	कृषक भ्रमण	500 कृषक	783 कृषक	4.00	4.00	500 कृषक	------	4.00	-------

1– फील्ड चैनल का निर्माणः– वर्ष 2009–10 फील्ड चैनल निर्माण के लिए 1944.00 लाख रू. का आबंटन उपलब्ध कराया गया, जिसके विरूद्ध आलोच्य वर्ष में 1925.99 लाख रू. व्यय किए गए। 14400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण के भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध 14163 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण कराया गया है। वर्ष 2009–10 में 3856 स्ट्रक्चर्स भी लगाए जाने से मार्च 2010 तक स्ट्रक्चर्स की कुल संख्या 63754 तक पहुॅच गई है। वर्ष 2009–2010 में कुल 105716 मीटर में लाइनिंग किया गया। अब तक कुल 604179 मीटर की लाइनिंग की जा चुकी है।

2– कृषकों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण :– वर्ष 2009–10 में विकासशील कृषकों के भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 4.00 लाख रूपये व्यय कर 500 कृषको को भ्रमण प्रशिक्षण के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 783 कृषकों को पंजाब एवं उड़ीसा तथा स्थानीय बरौंदा केन्द्र आदि का भ्रमण कराया गया है।

3– सहभागिता सिंचाई जल प्रबंधन :– विगत वर्ष 2000–01 से एक नई अभिनव योजना के तहत कृषकों में सिंचाई जल के समानुपातिक वितरण के ध्येय से महानदी आयाकट क्षेत्र में उक्त सहभागिता सिंचाई जल प्रबंध समितियों को अनुदान देकर प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 2009–10 में 13000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 117.00 लाख रू. का आबंटन तथा लक्ष्य के विरूद्ध 12794 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 111.80 लाख रू. का अनुदान संस्थाओं को प्रदान किया गया है।

मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना :– छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी की मुख्य सहायक, हसदेव नदी पर बांगो ग्राम के पास प्रमुख बांध एवं इसके 42 कि.मी. नीचे

कोरबा स्थित बैराज के कार्य पूर्ण किए जा चुके है। एवं नहर प्रणाली का आंशिक शेष निर्माण कार्य समाप्ति पर है। मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है। वर्तमान में बांध का शत्–प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग 801 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे। परियोजना की पूर्ण सिंचाई क्षमता 255000 हेक्टेयर के विरूद्ध 170 प्रतिशत सिंचाई तीव्रता से 433500 हेक्टेयर विकसित होना प्रस्तावित था।

वर्ष 2009–10 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 224000 हेक्टेयर सिंचाई लक्ष्य के विरूद्ध 220561 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई की गई। अल्पवर्षा एवं पर्याप्त जलसंग्रहण नहीं होने से वर्ष 2009–10 में रबी फसल हेतु जल प्रदाय नहीं किया गया। वर्ष 2010–11 में हसदेब बांगो परियोजना से 247400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध अभी तक 233115 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की जा चुकी है। इस वर्ष परियोजना के दांयी तट नहर के क्षेत्र में 35000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल (गेहूँ) हेतु जल प्रदाय करना प्रस्तावित है।

बहुउद्देश्यीय परियोजना द्वारा बांध के नीचे स्थित विद्युत गृहों से 40 मेगावाट की 3 यूनिट द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। परियोजना से एन.टी.पी.सी., छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, एस.ई.सी.एल तथा बी.पी.सी.एल. आदि उद्योगों के साथ–साथ कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है। इस वर्ष 2010–11 में परियोजना हेतु रू. 92.04 करोड़ का आबंटन उपलब्ध है। परियोजना पर मार्च 2010 तक कुल रू. 1639.22 करोड़ एवं माह सितंबर 2010 तक कुल रू. 1671.20 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

अध्याय – 9

विद्युत (ऊर्जा)

विगत वित्त वर्ष 2009–2010 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2010–2011 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दु–वार जानकारी निम्नानुसार है –

(I) उत्पादन संकाय :–

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :–

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 10 वर्ष में अर्थात दिसम्बर, 2010 के अंत में बढ़कर 1924.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 1780 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पादन) की स्थापित क्षमता है।

क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	**ताप विद्युत गृह**		
1	कोरबा पूर्व –II	4 x 50 =200	1966-68, 2003
2	कोरबा पूर्व –III	2 x 120 =240	1976-81, 2004-05
3	डॉ. एस.पी.एम. ताप विद्युत गृह	2 x 250=500	2007
4	कोरबा पश्चिम	4 x 210=840	1983-86
5	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवर्धा	1 x 6 =6	2006
II	**जल विद्युत परियोजना –**		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो	3 x 40=120	1994-95
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 x 2.5=10	2004
3	जल विद्युत गृह सीकासार	2x 3.5=7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 x 0.85=1.70	2003,2009
योग		**1924.70**	

मंडल ने 2000–01 में कोरबा पूर्व उत्पादन संयत्रों की जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण की योजना बनाई थी जो वर्ष 2004–05 में पूर्ण कर ली गई। कोरबा पूर्व की इकाईयों के जीर्णोद्धार कार्य पूर्णता पर कुल 40 मेगावाट की स्थापित क्षमता में वृद्धि तथा 100 मेगावाट

की उत्पादन उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इस कार्य पर मण्डल द्वारा कुल 375 करोड रू. का व्यय किया गया, जिससे कोरबा पूर्व इकाई क्र.1,2,3,4,5 एवं 6 का जीवनकाल 20 वर्ष बढ़ गया है । हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम की रिटर्न केनाल पर 0.85 मेगावाट क्षमता की दो जल विद्युत इकाईयों (कुल 1.70 मेगावाट) को क्रमशः दिनांक 12 जनवरी, 2003 को एवं 29 मई, 2009 क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया। गंगरेल में 2.5 मेगावाट क्षमता की चार जल विद्युत इकाईयां स्थापित कर क्रमशः 2 अप्रैल 2004, 29 जून 2004, 17 अक्टूबर 2004 एवं 5 नवबंर 2004 को परिचालित की गई है। 6 मेगावाट क्षमता का कोजन पावर प्लांट कवर्धा में दिनांक 10 अगस्त, 2006 को क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया गया । सिकासार में 3.5 मेगावाट क्षमता की दो जल विद्युत इकाईयों (कुल 7मेगावाट) को दिनांक 03 सितम्बर, 2006 को क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया। 2 x 250 मेगावाट कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्र.1 एवं 2 को क्रमशः 30 मार्च 2007 एवं 11 दिसम्बर 2007 को परिचालित की गई तथा इन से व्यवसायिक उत्पादन क्रमशः 21 अक्टूबर 2007 एवं 20 मार्च 2008 से प्रारंभ हुआ।

विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 20 मार्च, 2008 को छ.रा.वि.म.के (3 x 40 मेगावाट) हसदेव बांगो जल विद्युत गृह को वर्ष 2006–07 के दौरान प्रशंसनीय कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण शील्ड प्रदान की गई।

विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 14 दिसम्बर, 2010 को छ.रा.वि.उत्पा.कंम. के (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व को वर्ष 2010 के दौरान ऊर्जा दक्षता में प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष 2000–01 में ताप विद्युत गृहों का संयंत्र उपयोगिता घटक 65.75 प्रतिशत था। जो वर्ष 2010–11 में दिसम्बर 2010 तक बढ़कर 86.66 प्रतिशत हो गया, इस दौरान 10336. 64 मिलियन यूनिट (तापीय 10180.74 जलीय 149.608 एवं अन्य सह–उत्पादन 6.296) विद्युत का उत्पादन किया गया, विशिष्ट तेल खपत 0.798 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई, विशिष्ट कोल खपत 0.765 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई, एवं संयंत्र विद्युत खपत 8.65 प्रतिशत हुई।

जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक की उपलब्धियॉं :

छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक–932 दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ द्वारा छ.रा.वि.उत्पा.कं.म.का गठन 01 जनवरी, 2009 को किया गया।

छ.रा.वि.उत्पा.कं.म. का वर्ष 2009–10 में जनवरी, 2010 से मार्च 2010 तक संयंत्र उपयोगिता घटक 91.60 प्रतिशत रहा, इस दौरान 3538.512 मिलियन यूनिट (तापीय 3522.

01 जलीय 13.297 एवं अन्य सह–उत्पादन 3.205) विद्युत का उत्पादन किया गया, विशिष्ट तेल खपत 0.504 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई, विशिष्ट कोल खपत 0.765 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई, एवं संयंत्र विद्युत खपत 8.63 प्रतिशत हुई।

विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियां वर्ष 2009-10

1. (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्रं 2 में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 186.574 मिलियन यूनिट (100.31% PUF) माह जनवरी 10 में रहा।

2. (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्र. 2 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1944.417 मिलियन यूनिट (88.79 % PUF) हुआ।

3. (2x250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व संयंत्र में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 3838.927 मिलियन यूनिट (87.65% PUF) हुआ।

4. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2x210 मेगावाट) द्वारा सर्वकालिक अधिकतम दैनिक विद्युत उत्पादन 10.50 मिलियन यूनिट (104.17% PUF) माह 24 नवम्बर, 2009 में किया गया।

5. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2x210 मेगावाट) द्वारा सर्वकालिक अधिकतम दैनिक विद्युत उत्पादन 10.35 मिलियन यूनिट (102.68% PUF) 27 फरवरी, 2010 में किया गया।

6. कोरबा पश्चिम के ताप विद्युत गृहों (4x210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम दैनिक विद्युत उत्पादन 20.81 मिलियन यूनिट (103.22 % PUF) 24 नवम्बर, 2009 में किया गया।

7. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2x210 मेगावाट) की इकाई क्रं 1 द्वारा सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 158.49 मिलियन यूनिट (101.44% PUF) माह मार्च 10 में किया गया।

8. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2x210 मेगावाट) की इकाई क्रं 2 द्वारा सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 157.71 मिलियन यूनिट (100.94% PUF) माह मार्च, 2010 में किया गया।

9. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2x210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 101.19% PUF के साथ 316.20 मिलियन यूनिट माह मार्च, 2010 में हुआ।

10. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2 **x** 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 1 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1738.84 मिलियन यूनिट (94.52 % PUF) हुआ।

11. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2 **x** 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 2 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1687.79 मिलियन यूनिट (91.75 % PUF) हुआ।

12. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2 **x** 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 4 में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1606.43 मिलियन यूनिट (87.32 % PUF) हुआ।

13. वित्तीय वर्ष 2009–10 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2 **x** 210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 3426.63 मिलियन यूनिट (93.14 % PUF) हुआ।

14. वित्तीय वर्ष 2009–10 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2 **x** 210 मेगावाट) में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 3092.99 मिलियन यूनिट (84.07 % PUF) हुआ।

15. वित्तीय वर्ष 2009–10 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृहों में **(**4 x 210 मेगावाट**)** सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 88.60% संयंत्र उपयोगिता घटक के साथ 6519.62 मिलियन यूनिट हुआ।

16. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 1 में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.344 ml/kwh रही।

17. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 2 में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.494 ml/kwh रही।

18. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2 x 210 मेगावाट) की इकाई क्र. 3 में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.488 ml/kwh रही।

19. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.418 ml/kwh रही।

20. वित्तीय वर्ष 2009–10 में कोरबा पश्चिम के विद्युत गृहों में (4 x 210 मेगावाट) सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट तेल खपत 0.475 ml/kwh रही।

21 ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में 578278 MT कोयला की मासिक प्राप्ति माह जनवरी, 2010 में हुई हैं। जो अभी तक का सर्वाधिक मासिक प्राप्ति कीर्तिमान हैं। पिछला मासिक प्राप्ति का कीर्तिमान 560037 MT माह जनवरी 08 में रहा था।

22 वित्तीय वर्ष 2009-10 में कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह में 5307301 MT कोयला की वार्षिक प्राप्ति हुई हैं। जो अभी तक का सर्वाधिक वार्षिक प्राप्ति कीर्तिमान हैं। पिछला वार्षिक प्राप्ति का कीर्तिमान 4767737 MT वर्ष 2008-09 में रहा था।

23. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 1 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक खनिजरहित शोधित जल की वार्षिक प्रतिपूर्ति 1.05% रही, जो कि सर्वकालिक न्यूनतम है।

24. कोरबा पश्चिम के विद्युत गृह क्र. 2 (2 x 210 मेगावाट) में सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक खनिजरहित शोधित जल की वार्षिक प्रतिपूर्ति 1.16% रही, जो कि सर्वकालिक न्यूनतम है।

25. (4 **x** 210 मेगावाट) कोरबा पश्चिम के विद्युत गृहों में खनिजरहित शोधित जल की वार्षिक प्रतिपूर्ति 1.10% रही, जो कि सर्वकालिक न्यूनतम है।

26. वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 13545.786 मिलियन यूनिट (तापीय 13292.908 मिलियन यूनिट, जलीय 247.150 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 5.728 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ एवं ताप विद्युत संयंत्रों का वार्षिक PUF 85.25% रहा जो सर्वकालिक अधिकतम है। जो कि गत वर्ष के कुल विद्युत उत्पादन से 29.889 मिलियन यूनिट अधिक है अर्थात 0.22% की विद्युत उत्पादन में वृद्वि हुई। गत वर्ष कुल विद्युत उत्पादन 13515.897 मिलियन यूनिट हुआ था ।

2. ताप संयंत्र उपयोजन गुणांक (पी.यू.एफ.) :–

ताप विद्युत उत्पादन में संयंत्रों के कार्य निष्पादन की दक्षता को "संयंत्र उपयोजन गुणांक" (प्लान्ट यूटीलाईजेशन फेक्टर, (पी.यू.एफ.) के प्रतिशत के रूप में आंका जाता हैं। मंडल के कुशल प्रबंधन एवं कार्य निष्पादन के परिणाम स्वरुप संयंत्रों के पी.यू.एफ. में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। विचाराधीन वर्ष 2009–10 में मंडल का ताप विद्युत उत्पादन ''संयंत्र उपयोजन गुणांक'' (पी.यू.एफ) 85.25% रहा, जो कि विगत वर्ष 2008–09 के 84.75% से 0.50% अधिक है, साथ ही यह राष्ट्रीय औसत पी.यू.एफ. से कहीं अधिक है।

3. प्रदत्त विद्युत :– वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान ताप जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 12363.761 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 12114.545 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन द्वारा 245.252 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा 3.964 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदत्त विद्युत 4.939 मिलियन यूनिट अधिक रही अर्थात वर्षावधि में 0.04% की प्रदत्त विद्युत में वृद्धि हुई।

विगत वर्ष 12358.819 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई थी।

4. ईधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत

विद्युत गृह का नाम	ईधन खपत		विशिष्ट ईंधन खपत	
	कोयला खपत (मीट्रिक टन)	तेल खपत (किलो लीटर)	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
कोरबा पूर्व :–				
विद्युत गृह–2	1454471	4218.98	1.037	3.008
विद्युत गृह–3	1409672	3923.00	0.920	2.561
कोरबा पूर्व संकुल	2864143	8141.98	0.976	2.775

कोरबा पूर्व (2 x 250 मेवा)	–	–	–	–
डॉ.एस.पी. एम ता.वि. गृह	2906279	2903.70	0.757	0.756
कोरबा पश्चिम :–				
विद्युत गृह–1	2457128	1431.07	0.717	0.418
विद्युत गृह–2	2210887	1667.58	0.715	0.539
कोरबा पश्चिम संकुल	4668015	3098.65	0.716	0.475
कुल ताप	10438437	14144.32	0.785	1.064

4. राज्य में विद्युत की स्थिति : 'मांग एवं उपलब्धता''

राज्य गठन के बाद राज्य में विद्युत मांग में तीव्रता से लगातार वृद्वि हो रही है। वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य में विद्युत की स्थिति का आंकलन किया जावें, तो वर्षावधि में विद्युत की सभी स्रोतों से औसत विद्युत आपूर्ति 2220 मेगावाट की गयी, जबकि अबाधित विद्युत की औसत मांग 2119 मेगावॉट रही। इस प्रकार वर्षावधि में राज्य की औसत मांग से औसत आपूर्ति अधिक रही तथा कोई लोड शैडिंग नहीं की गई, इस प्रकार छत्तीसगढ राज्य देश का पहला शून्य पावर कट राज्य बन गया। यह नवगठित छ.ग.रा.विद्युत मंडल की गौरवपूर्ण उपलब्धि रहीं।

वर्षावधि 2009–10 के दौरान पावर कंपनी द्वारा सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति 2880 मेगावॉट की 20.04.09 को की गयी, जबकि विद्युत की समकालिक उच्चतम मांग 2922 मेगावॉट की 12.04.10 को रहीं ।

5. जीर्णोद्धार के कार्यः–

विचाराधीन वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान मंडल द्वारा विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार के अनेक कार्य किए गए, जिसमें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा (पश्चिम) के संयंत्र क्रमांक एक में एयर–प्री–हीटर एवं टरबाईन व बॉयलर स्टीम प्रेशर रिडयूसिंग डी–सुपरहीटिंग प्रणाली तथा कोरबा ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व के संयंत्रों हेतु अग्निशमन प्रणाली के आधुनिकीकरण के कार्य महत्वपूर्ण हैं।

6. अति आधुनिक स्काडा प्रणालीः–

देश के विद्युत के संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में 'सिस्टम को–आर्डिनेशन एंड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट'' के तहत अति आधुनिक ''स्काडा प्रणाली'' की स्थापना भिलाई खेदामारा स्थित भार प्रेषण केन्द्र में किया गया। जिससे देश में विद्युत के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों के पावर ग्रिड संचालन एवं संचार प्रणाली से राज्य भार प्रेषण केन्द्र की कार्यक्षमता में अभूतपूर्व वृद्वि हुई है।

7. निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाएंः–

मंडल में वित्त वर्ष 2009–10 के अंत की स्थिति में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार रहीं :–

क्र.	प्रस्तावित विद्युत परियोजना	प्रस्तावित स्थापित क्षमता (मेगावाट	पूर्णता का संभावित वर्ष
अ.	**प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना (उत्पादन कंपनी)**		
1	कोरबा (पश्चिम) ताप विद्युत परियोजना चरण तीन	1X500	2012 – 2013
2	भैयाथान ताप विद्युत परियोजना	2X660	2013–14
3	मड़वा ताप विद्युत परियोजना	2X500	2012 – 2013
4	कोरबा दक्षिण ताप विद्युत परियोजना	2X500	12 वीं पंचवर्षीय योजना
5	इफको छत्तीसगढ संयुक्त उपक्रम	2X660	मार्च 2014 एवं सितम्बर 2014
ब.	**प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना (उत्पादन कंपनी)**		
1	बोधघाट जल विद्युत परियोजना	4X125	12 वीं पंचवर्षीय योजना
2	मटनार जल विद्युत परियोजना	3X20	12 वीं पंचवर्षीय योजना
स.	**निर्माणधीन निजी ताप विद्युत परियोजना**		
1	रायगढ ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड	4X660	मार्च,जुलाई, नवंबर 2012 एवं मार्च 2013
2	पताड़ी ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड)	2X660	जनवरी 2012 एवं मार्च 2012
द	**प्रस्तावित अन्य निजी उपक्रम**		
1	कुल 67 निजी उपक्रम (जिंदल एवं लेंको सहित)	56,836 (लगभग)	

(II) पारेषण एवं वितरण की उपलब्धि :–

मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान पारेषण, उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(1) उपकेन्द्र निर्माण :–

मंडल के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29,940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2984 एम.व्ही.ए. थी, जो विगत दस वर्षों में बढ़कर वर्ष 2009–10 के अंत की स्थिति में क्रमशः कुल 66242 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 8549 एम.व्ही.ए. हो गई है, जो कि दस वर्षो के कार्यकाल में उपकेंद्र निर्माण में 121.25 प्रतिशत की तथा उनकी क्षमता में 186.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान मण्डल द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या	
		वर्ष 2008–09 की स्थिति	वर्ष 2009–10 के अंत की स्थिति में
1	33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्र	631	664
2	11 / 0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	59628	65578
योग		**60259**	**66242**

पारेषण कंपनी (पूर्ववर्ती मण्डल) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में ट्रान्सफार्मरों की कुल संख्या मात्र 67 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 3795 एमव्हीए थी, जो विगत दस वर्षो में बढ़कर 30.10.10 की स्थिति में क्रमशः कुल 153 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 9471.5 एमव्हीए हो गई है जो कि ट्रान्सफार्मरों की कुल संख्या में 128. 35 प्रतिशत की एवं उनकी क्षमता में 149.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान मण्डल की पारेषण कंपनी द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वोल्टेज अनुपात	वर्ष 2008–09 की स्थिति	वर्ष 2009–10 की स्थिति में	सितम्बर 2010 की स्थिति में
1	400 केव्ही.उपकेन्द्रों की संख्या	1	1	1
2	220 केव्ही.उपकेन्द्रों की संख्या	13	14	15
3	132 केव्ही.उपकेन्द्रों की संख्या	47	50	51
4	एचव्हीडीसी.उपकेन्द्रों की संख्या	1	1	1

(2) विद्युत लाईनों का निर्माण :–

मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनें 98858 कि.मी. थी, वह दस वर्षों में बढ़कर वर्ष 2009-10 में 188429 कि. मी. हो गई है।

मण्डल द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 14781 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षांत की स्थिति में कुल 188429 कि.मी. की विद्युत लाईनें विद्यमान थीं। इस प्रकार वर्षावधि में 8.51 प्रतिशत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई तथा मंडल गठन से दस वर्षो की कार्यावधि में 90.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य में विद्युत प्रणाली की वोल्टेज अनुपात अनुसार वर्ष 2009–10 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	वोल्टेज (के.व्ही.)	31 मार्च 2009 की स्थिति में	2009-10 में वृद्धि	31 मार्च 2010 की स्थिति में
I	उच्चदाब लाईनें			
1	33 के.व्ही. लाईनें	13663	507	14170
2	11 के.व्ही. लाईनें	59386	4509	63895
	कुल उच्चदाब लाईनें	**73049**	**5016**	**78065**
II	निम्नदाब लाईनें			
1	400–230 वोल्ट्स	100599	9765	110364
महायोग :–		**173648**	**14781**	**188429**

पारेषण कंपनी (पूर्ववर्ती मण्डल) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्च दाब लाईने 7417 सर्किट कि.मी थी वह सितम्बर 2010 में बढ़कर 7934 सर्किट कि.मी. हो गई है।

पारेषण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2009–10 के दौरान अति उच्च दाब की कुल 398.55 सर्किट कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षान्त की स्थिति में कुल 7785. 48 सर्किट कि.मी. की विद्युत लाईने विद्यमान थी, जो सितम्बर 2010 तक 7933.59 सर्किट कि.मी. हो गई है तथा मण्डल गठन से दस वर्षो की कार्यावधि में बढ़कर सितम्बर 2010 की स्थिति में 52.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य में विद्युत प्रणाली का वोल्टेज अनुपात वर्ष 2009–10 एवं उसके बाद की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वोल्टेज अनुपात	वर्ष 2008–09 की स्थिति (सर्किट कि.मी.)	वर्ष 2009–10 की स्थिति में (सर्किट कि.मी.)	सितम्बर 2010 की स्थिति में (सर्किट कि.मी.)
1	400 केव्ही लाईनें	277	277	277
2	220 केव्ही लाईनें	2507	2604	2622.39
3	132 केव्ही लाईनें	4273	4545	4674.2
4	एचव्हीडीसी. लाईनें	360	360	360

(3) सामान्य विकास कार्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

सामान्य विकास योजनांतर्गत वर्ष 2009–2010 की उपलब्धि			
क्रं.	विवरण	इकाई	उपलब्धि
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	65.42
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	313.45
3	सेवाओं के लिये वितरण लाईन	कि.मी.	309.24 + 105.86 (कनवर्सन)
4	सड़क बत्ती हेतु विवरण लाईन	कि.मी.	186.98 + 23.56 (कनवर्सन)
5	सड़क बत्तियाँ (बिन्दु)	संख्या	2634

6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1080
7	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	999
8	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	87444
i)	सिंगल फेस	संख्या	78470
ii)	थ्री फेस	संख्या	8807
9	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	167

(4) आगामी वर्ष हेतु उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली कार्यों का लक्ष्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने एवं पूरे सिस्टम में इनर्जी ऑडिट के लिये आवश्यक उपकरणों की स्थापना हेतु अगामी वर्ष 2010–11 में रुपये 205.00 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है :–

क.	विवरण	इकाई	लक्ष्य
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	870
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	9406
3	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	63
4	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि	संख्या	45
5	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	8313
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	750

(5) ग्राम विद्युतीकरण :–

जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में कुल 19744 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2009–10 के अंत की स्थिति में 19132 ग्राम विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2009–10 में कुल 19 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से मंडल द्वारा एवं 63 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा किया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य में 82 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 96.90 प्रतिशत रहा।

जनगणना 2001 के अनुसार वित्त वर्ष 2009–10 के अंत की स्थिति में राज्य में कुल 612 अविद्युतीकृत ग्राम हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार की नीति के अनुरुप 11वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् मार्च 2012 तक विद्युतीकृत किया जाना है। 612 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 567 ग्रामों जिनमें वनबाधा होने के कारण परंपरागत विधि से विद्युत लाईन खींचकर विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है, में विद्युतीकरण का कार्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है। वनबाधा रहित 45 ग्रामों में से 5 ग्रामों को, मण्डल के स्वयं के संसाधनों से विद्युतीकरण किये जाने हेतु वर्ष 2010–11 के लक्ष्य में शामिल किया गया है। शेष 40 ग्रामों का विद्युतीकरण ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण'' कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है।

(6) मजरा–टोला विद्युतीकरण :–

जनगणना 1971 के पश्चात राज्य में मजरा–टोलों की संख्या संबंधी वास्तविक जानकारी किसी भी जनगणना विवरण में उपलब्ध नहीं है। अपितु जनगणना 2001 की विवरणी में राज्य में कुल रहवासी क्षेत्रों का उल्लेख अवश्य किया गया है, उसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मजरा–टोलों की संख्या 35,096 अनुमानित है।

विचाराधीन वर्ष में 895 मजरा–टोलों को विद्युतीकृत किया गया है, जिससे वर्ष 2009–10 के अंत तक की स्थिति में कुल 23005 मजरा–टोला अर्थात् राज्य में 65.54 प्रतिशत मजरा–टोलों का विद्युतीकरण हो गया है। केन्द्र शासन की नीति के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य के सभी घरों तक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी है, इस हेतु स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 16 जिलों में कार्य प्रगति पर है।

(7) पंपों का ऊर्जीकरण :–

राज्य के किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उददे्श्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं राज्य शासन द्वारा पंप/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नई नीति तथा लक्ष्य निर्धारण कर विगत पांच वर्षो में (2005-06, 2006-07, 2007-08 2008–09 एवं 2009–10) लगभग 154263 नये सिंचाई पंपों को विद्युतीकृत किया गया है। नई नीति के तहत प्रति पंप हेतु लाईन विस्तार बाबत् कुल खर्च रुपये 20,000/- से बढ़ाकर रुपयें 50,000/- किये गये है, ताकि अधिक से अधिक कृषक लभान्वित हो सके, और किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े।

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान 34934 पंपों के लिए लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 31016 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया। इन्हें शामिल करते हुए वर्ष 2009–10 के अंत तक राज्य में कुल 261712 पंपों के लाइन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 240933 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया।

(8) किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना) :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गई है (वर्तमान में यह योजना किसान समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती है), जिसके अंतर्गत अल्प वर्षा (वृष्टि छाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उनमें पंप ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना पांच जिलों में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषकों तक सीमित कर नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतम राशि रुपये 60,000/– प्रति पंप निर्धारित की गई है, जिसमें रुपये 50,000/– मंडल द्वारा

वहन की जाती है तथा शेष रुपये 10,000/– की राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2009–10 में इस योजना के तहत कुल 1704 नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्यों हेतु विद्युत लाईनों को विस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्षांत तक कुल 13133 नलकूपों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किये गये।

(9) बी.पी.एल. कनेक्शन (एकल बत्ती) :–

राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के हरिजन, आदिवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल.(एकल बत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले परिवारों को जिनके घर, मंडल की विद्यमान निम्नदाब लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर हैं, उनसे सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा सुरक्षा निधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल. (एकल बत्ती) कनेक्शन प्रदाय किये जाते हैं। विचाराधीन वर्ष 2009–10 के दौरान कुल 1976.40 बी.पी.एल. कनेक्शन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को प्रदाय किये गये। वर्ष 2009–10 के अंत तक राज्य में कुल 1312271 (एकल बत्ती) बी.पी.एल. कनेक्शन विद्यमान है, जिन्हें मंडल द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन कनेक्शनधारियों के प्रथम 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

(10) पारेषण एवं वितरण हानियाँ :–

वर्ष 2009–10 में कुल पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत 34.56 रहा। वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07 2007–08 एवं 2008–09 में पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत क्रमशः 33.76, 30.50, 31.07, 29.16, 29.02 29.41 33.58 एवं प्रतिशत था। वर्ष 2010–11 में 5 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है।

पारेषण एवं वितरण हानि का तुलनात्मक विवरण

क्र.	वर्ष	प्राप्त यूनिट(एम.यू.)	खपत यूनिट (एम.यू.)	हानि (एम.यू.)	प्रतिशत हानि
1	2002–03	9516.39	6303.42	321.97	33.76
2	2003–04	10393.76	7223.43	3170.33	30.50
3	2004–05	11690.48	8058.35	3632.13	31.07
4	2005–06	12501.62	8856.50	3645.12	29.16
5	2006–07	13301.59	9441.89	3859.70	29.02
6	2007–08	15034.77	10613.10	4421.67	29.41
7	2008–09	16751.56	11127.1	4730.13	33.58
8	2009–10	17232.75	11311.38	5921.37	34.36

(11) विद्युत उपभोक्ता :–

वर्ष 2009–10 के अंत में निम्नदाब उपभोक्ताओं की संख्या 30 लाख 08 हजार है। जो वर्ष 2008–09 की तुलना में 6.67 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 19 लाख 45 हजार उपभोक्ता अर्थात् 64.66 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 8.23 प्रतिशत अधिक है।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2009–10 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में एकलबत्ती के 35.21 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 1.62 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2008–09 के अंत में क्रमशः 35.18 एवं 1.54 प्रतिशत था।

(12) विद्युत उपभोग का स्वरुप :–

वर्ष 2009–10 में राज्य की समस्त प्रकार के निम्न दाब उपभोक्ताओं द्वारा कुल 5365.57 मि.यू. विद्युत की खपत की गई, जो विगत वर्ष 2008–09 की खपत से 3.95 प्रतिशत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का 50.68 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।

राज्य में विक्रय की गई बिजली मे से 48.08 प्रतिशत घरेलू, 8.84 प्रतिशत गैर घरेलू, 7.78 प्रतिशत औद्योगिक, 32.49 प्रतिशत कृषि एवं 2.81 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकल एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। ग्रामीण क्षेत्र में इन मदों का हिस्सा क्रमशः 18.22 प्रतिशत घरेलू, 1.22 प्रतिशत गैर–घरेलू, 2.76 प्रतिशत औद्योगिक, 27.94 प्रतिशत एवं कृषि 0.54 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग होना पाया गया।

कुल खपत में से वर्ष 2009–10 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 13.63 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 8.51 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2008–09 में क्रमशः 10.93 एवं 7.99 प्रतिशत थी।

(13) राजस्व संग्रहण :–

वर्ष 2009–10 में राज्य की निम्नदाब उपभोक्ताओं से कुल रुपये 1035.35 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया।

(14) बकाया राशि :–

वर्ष 2009–10 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि कुल रुपये 321.01 करोड़ है, कुल राशि का 53.20 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विरुद्ध पाया गया। कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रु. 9.88 करोड़ एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों पर रुपये 11.23 करोड़ राशि बकाया है।

अध्याय–10
उद्योग

भिलाई इस्पात संयत्र : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख प्रतिष्ठान है। संयंत्र ने अपनी श्रम शक्ति का भरपूर एवं सफलतम उपयोग करते हुये बीते वर्षों की तरह वित्त वर्ष 2009–10 में भी इस्पात उत्पादन, विक्रय एवं लाभार्जन के क्षेत्र में अनेक नये कीर्तिमान स्थापित किये। इस संयंत्र को अब तक 9 बार उत्कृष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिये दी जाने वाली प्रधानमंत्री ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है इसके अलावा समय समय पर उत्पादकता, गुणवत्ता, सुझाव, सुरक्षा, पर्यावरण, क्रेडा आदि क्षेत्रों में भी भिलाई का नाम देश में प्रसिद्व है।

वर्ष 2009–10 की अवधि में संयत्र ने 5.37 मिलियन टन हॉट मेटल, 5.11 मिलियन टन क्रूड स्टील व 4.37 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन किया जोकि इन उत्पादों की मापित क्षमता से क्रमशः 14.3 प्रतिशत 30.2 प्रतिशत व 38.6 प्रतिशत अधिक है। यह एक मात्र संयत्र है जिसने देश में लगातार विगत 17 वर्षों सें विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन अपनी मापित क्षमता से अधिक किया है। वर्ष 2009–10 में 7.46 मिलियन टन सिनटर, 5.37 मिलियन टन हॉट मेटल, 5.11 मिलियन टन क्रूड इस्पात, 2.63 मिलियन टन एस. एम. एस. –2 से क्रूड स्टील 6.55 लाख टन मरचेंट प्रोडक्टस, 6.27 लाख टन वायर रॉड्स, 8.56 लाख टन रेल एवं स्ट्रक्चरल 7.12 लाख टन परिसज्जित यू. टी. एस.–90 रेल पातों का उत्पादन, 12.1 लाख टन परिसज्जित फिनिस्ट प्लेट, 33.47 लाख टन परिसज्जित फिनिस्ड इस्पात एवं 43.70 लाख टन विक्रय योग्य इस्पात आदि का उत्पादन कीर्तिमान स्थापित किये गये।

मुख्य परियोजना

1. प्लेट मिल में एच.ए.जी.सी. एवं पी.व्ही.आर. (हाईड्रोलिक आटोमेंटेड गेज कंट्रोल एवं प्लान व्हियू रोलिंग) की स्थापना।
2. मोटी वेब रेल पातों के लिए इन्डफोर्जिंग संयंत्र की स्थापना।

प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक परिवेश में अग्रणी रहने हेतु व अधिक से अधिक लाभार्जन के लिए, भिलाई इस्पात संयंत्र तकनीकी/आर्थिक पैरामीटर में लगातार सुधार करता रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2009–10 में श्रम उत्पादकता 309 प्रतिव्यक्ति प्रतिटन रही है। जो कि अब तक का सर्वेश्रेष्ठ वार्षिक निष्पादन है। पानी की खपत 2.998 घन मीटर प्रतिटन क्रूड इस्पात, औसत कर्न्वटर लाइनिंग लाईफ 7882, लेडल फर्नेस के द्वारा 12869 हीट्स का शोधण आदि भी अब तक के श्रेष्ठ वार्षिक निष्पादन हैं। विषम परिस्थितियों और लागत मूल्यों में वृद्धि के

बावजूद संयंत्र ने वर्ष 2009–10 में 4270.48 करोड़ रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वैश्विक मंदी के बावजूद भी यह भिलाई इस्पात संयंत्र का लाभार्जन का लगातार बाईसवां वर्ष है जो कि एक विश्व कीर्तिमान है।

वर्ष 2010–11 की योजना

वर्ष 2010–11 के लिए 5.8 मिलियन टन गलित धातु (हॉट मेटल), 5.58 मिलियन टन अपरिष्कृत स्पात (क्रूड स्टील) व 4.82 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल से सितम्बर 2010 की अवधि में संयत्र ने 2.82 मिलियन टन गलित धातु (हॉट मेटल) 2.63 मिलियन टन क्रूड स्टील व 2.23 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया है। जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि (2009–10) के उत्पादन से क्रमशः 5.3%, 2.7%, एवं 1.7% अधिक है। भारतीय रेलवे के लिये 3.48 लाख से भी अधिक यूटीएस–90 रेलपातों का उत्पादन किया है। बाजार की आवश्यकता के अनुरूप मर्चेंट, वायर राड्स, प्लेट एवं परिसज्जित फिनिस्ड इस्पात का उत्पादन क्रमशः 3.524 लाख, 3.408 लाख, 6.34 लाख तथा 17.573 लाख टन किया गया। जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि (2009–10) के उत्पादन से क्रमशः 7.6%, 7.5%, 5.3%, एवं 2.9% अधिक है।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी, लिमिटेड, कोरबा :

बालको संयंत्र की अधिष्ठापित वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 लाख मीट्रिक टन (संयंत्र.1) एवं 2.5 लाख मीट्रिक टन (संयंत्र.2) अर्थात कुल 3.57 लाख मीट्रिक टन एल्युमीनियम धातु की है।

नये स्मेल्टर संयत्र में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालको ने 270 मेगावाट का निजी संयंत्र पहले से है। बालकों (संयंत्र.2) विद्युत आवश्यकताओं पूरा करने के लिये 540 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र बनाया गया। जो अब पूरी क्षमता पर प्रचालन में है।

बालकों (संयंत्र.1) में बाजार के मांग के अनुरूप गुणवत्ता युक्त उत्पादन तैयार करने के लिये आधुनिकीकरण की अनेक योजनाओं पर कार्य पूरा होने से सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे हैं। एल्यूमिना संयंत्र की स्थापित उत्पादन क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन है जिसमें वर्ष 2009–10 में इनगॉट्स का उत्पादन 54173 मीट्रिक टन, प्रॉपर्जी रॉड्स का उत्पादन 148280 मीट्रिक टन, रोल्ड उत्पादन 65972 मीट्रिक टन हुआ। दिसंबर 2010–11 तक इनगाट्स का उत्पादन 21102 मीट्रिक टन, प्रॉपर्जी रॉड्स का उत्पादन 123376 मीट्रिक टन, रोल्ड उत्पादन 48889 मीट्रिक टन हुआ।

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमि. उत्पादन (मीट्रिक टन में)

(संदर्भ तालिका क्रमांक–5.1)

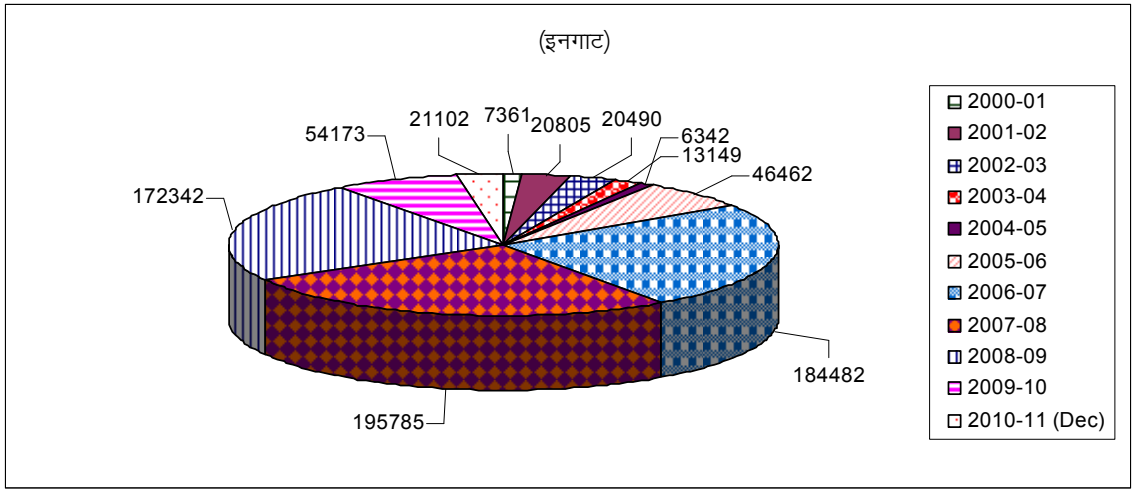

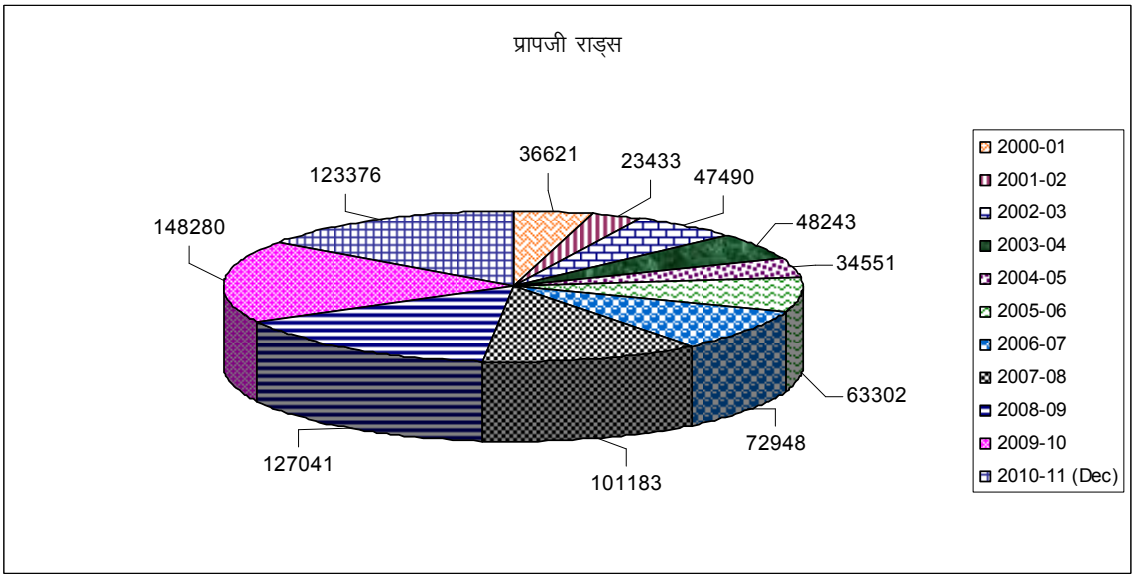

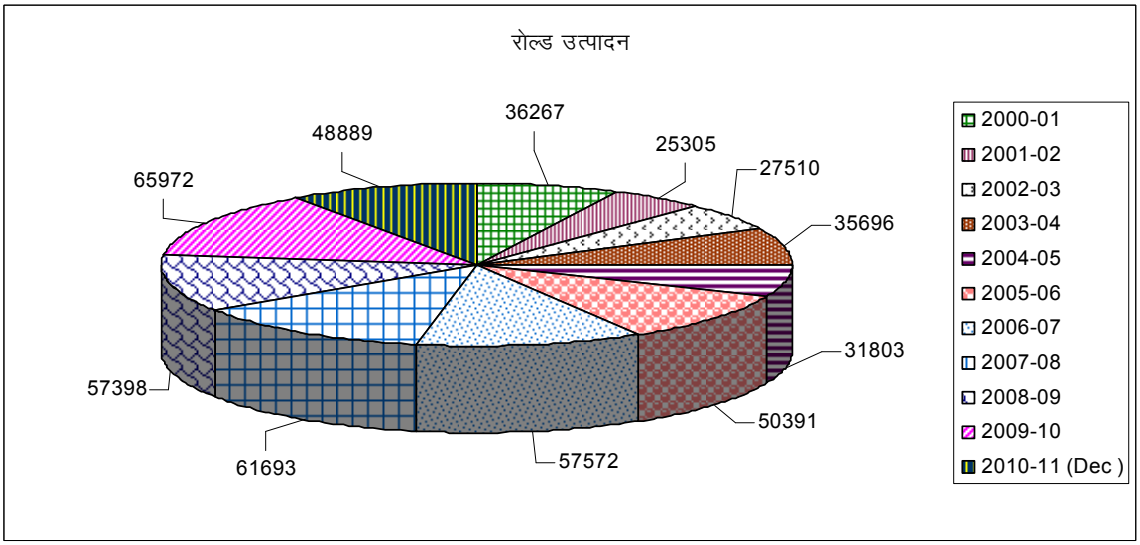

विक्रय :– बाल्को संयंत्र द्वारा वर्ष 2009–10 में बिक्री योग्य एल्यूमीनियम का उत्पादन 267802 मी. टन किया गया जिसमें इन्गाट्स एल्यूमीनियम 54144 मी.टन प्रॉपजी रॉड्स 148239 मी.टन एवं रोल्ड उत्पादन 65419 मी. टन हुआ।

वाणिज्य एवं उद्योग विभागः

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती म.प्र. शासन द्वारा स्थापित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इन्ड्रस्टियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है। इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है।

औद्योगिक नीति 2009–14 में राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतों से संबंधित योजनाएं :–

1. ब्याज अनुदान :– सावधि ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का 40 से 75 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा 10 से 60 लाख वार्षिक, अवधि 5 से 7 वर्ष।

2. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :– स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत व 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 30 लाख से 500 लाख।

3. विद्युत शुल्क छूट :– 5 वर्ष से 12 वर्ष तक।

4. स्टाम्प शुल्क से छूट :– भूमि शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर, ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर।

5. औद्यौगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर 10 से 50 प्रतिशत तक भू–प्रब्याजि में छूट।

6. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :– स्थायी पूॅजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 1 लाख से 4 लाख।

7. सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भूव्यपवर्तन में पूर्ण छूट।

8. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :– किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख।

9. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :– किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 लाख।

10.मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान :– क्रय किए जाने वाले माल पर 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 5 लाख वार्षिक, 5 वर्ष की अवधि तक।

11.औद्यौगिक पुरस्कार योजना :– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 1 लाख 0.51 लाख तथा 0.31 लाख।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड रायपुर :– राज्य में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने और उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक क्लियरेंस तत्परता से उपलब्ध

कराने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, बोर्ड के अध्यक्ष तथा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग बोर्ड के संयोजक हैं।

10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के कियान्वयन की स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के रूप में तथा 10 करोड़ से कम की परियोजनाओं के लिए जिला निवेश समिति जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करती है।

निष्पादित एम.ओ.यू. की प्रगति	**वर्ष 2010**
1. औद्यौगिक परियोजनाएं प्रारंभ	36
2. निर्माणाधीन औद्यौगिक परियोजनाएं एवं विद्यमान परियोजनाओं में विस्तार	15
3. स्थल चयन	41
4. स्थल चयन हेतु प्रक्रियाधीन	29
योग :–	121
5. स्थल पर पूंजी निवेश	25000 करोड़ रू.

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.आई.डी.सी.) की स्थापना राज्य निर्माण के पश्चात वर्ष 2001 में म.प्र. औद्यौगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर को परिवर्तित कर किया गया है।

राज्य में विभिन्न औद्यौगिक संवर्धन गतिविधियों यथा – प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्यौगिक क्षेत्रों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों के संचालन, पूर्ववर्ती म.प्र. वित्त निगम के ऋणों की वसूली, प्रतिवर्ष राज्य की राजधानी में राज्योत्सव के आयोजन में सहभागिता एवं नई दिल्ली में भारत–अंर्तराष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य की ओर से भाग लेने का कार्य सीएसआईडीसी द्वारा किया जाता है।

सी.एस.आई.डी.सी. की योजनाएं :–

(1) वृक्षारोपण निधि :– विगत वर्षों में सीएसआईडीसी द्वारा उरला, सिलतरा, बोरई एवं बिरकोनी औद्यौगिक क्षेत्र आदि में वृहद वृक्षारोपण किया गया है। इस निधि से विभिन्न औद्यौगिक क्षेत्रों में हरित पट्टी विकसित की जा रही है।

(2) कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी निधि :– इस निधि के माध्यम से औद्यौगिक क्षेत्रों के आसपास स्थित ग्रामों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

(3) वृहद औद्यौगिक क्षेत्रों की स्थापना :– तिल्दा, जिला रायपुर 389 हेक्टेयर, दगोरी, जिला बिलासपुर 795 हेक्टेयर, लारा, जिला रायगढ़ 1089 हेक्टेयर। वृहद औद्यौगिक क्षेत्र दगोरी, बिलासपुर एवं लारा, रायगढ़ हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है।

(4) लघु औद्यौगिक क्षेत्रों की स्थापना :– इन केन्द्रों में उद्योग स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है – बिरकोनी (महासमुन्द) 86.42 हेक्टेयर, हरिनछपरा (कबीरधान) 21.00 हेक्टेयर, नयनपुर–गिरवरगंज (सरगुजा) 51.00 हेक्टेयर।

<u>प्रस्तावित लघु औद्यौगिक क्षेत्र</u>

(अ) **आईआईडीसी तिफरा, जिला बिलासपुर** – औद्यौगिक क्षेत्र तिफरा, सिरगिट्टी सेक्टर डी जिला बिलासपुर की स्थापना लगभग 31.23 हे. भूमि पर की जा रही है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना की लागत 18.00 करोड़ रू. है, जिसमें से 1.86 करोड़ रू. केन्द्र अनुदान एवं शेष राज्य शासन से प्राप्त होगी।

(ब) **आईआईडीसी कापन, जिला चांपा–जांजगीर** – औद्यौगिक क्षेत्र कापन की स्थापना लगभग 43 हे. भूमि पर की जा रही है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना की लागत 12.50 करोड़ रू. है जिसमें से 6.00 करोड़ रू. केन्द्र अनुदान एवं शेष राज्य शासन से प्राप्त होगी।

(स) **आईआईडीसी तेंदुआ, जिला रायपुर** – औद्यौगिक क्षेत्र तेंदुआ की स्थापना लगभग 21 हे. शासकीय भूमि पर की जा रही है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि कार्य कराए जावेंगे। परियोजना की लागत 12.20 करोड़ रू. है जिसमें से 6.00 करोड़ रू. केन्द्र अनुदान एवं शेष राज्य शासन से प्राप्त होगी।

(द) **आईआईडीसी टेकनार, जिला दन्तेवाड़ा** – औद्यौगिक क्षेत्र टेकनार की स्थापना लगभग 20 हे. भूमि पर की जा रही है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 10.86 करोड़ रू. है जिसमें से 6.00 करोड़ रू. केन्द्र अनुदान एवं शेष राज्य शासन से प्राप्त होगी।

(5) विशिष्ट औद्यौगिक पार्कों की स्थापना – फूड प्रोसेसिंग पार्क, हर्बल एवं मेडिसिनल पार्क, जेम्स एवं ज्वेलरी एसईजेड। जेम्स एवं ज्वेलरी एसईजेड हेतु भूमि सीएसआईडीसी को प्राप्त हो चुकी है। शेष दोनों पार्कों हेतु भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(6) अन्य उत्पाद आधारित औद्यौगिक पार्क –

(अ) **मेटल पार्क रायपुर** – रायपुर में रावांभाटा के समीप लगभग 87 हे. भूमि पर मेटल पार्क की स्थापना का कार्य 2008 से प्रगति पर है। इस औद्यौगिक पार्क में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेटल पार्क में धातु पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग यथा टावर निर्माण, विड मिल, नट बोल्ट इकाई आदि स्थापित किए जाएंगे।

(ब) **इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई** – औद्यौगिक क्षेत्र भिलाई में 122 हे. भूमि पर इंजीनियरिंग उत्पाद आधारित इकाईयों हेतु इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। आबंटन योग्य भूमि 61 हे. है। इस औद्यौगिक पार्क में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(स) **अपैरल पार्क, भनपुरी** – प्रदेश में अपैरल आधारित उद्योगों की संभावनाओं को देखते हुए रायपुर के समीप औद्यौगिक क्षेत्र भनपुरी में लगभग 4 हे. भूमि पर अपैरल पार्क की स्थापना की गई। योजना के प्रथम चरण में 1.35 हे. भूमि पर एक बहुमंजिला भवन निर्मित किया जा रहा है। पार्क में 100 से 400 वर्ग मी. के हॉल उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें आधुनिक मशीनों से युक्त इकाईयों की स्थापना हो सकेगी जहॉ पर कपड़ों की डिजाईनिंग, टेलरिंग, पैकेजिंग तथा अन्य संबंधित कार्य एक ही स्थान पर किए जा सकेगें।

(द) **पॉली पार्क तिल्दा** – तिल्दा जिला रायपुर में 36.74 हे. भूमि पर पॉली पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस औद्यौगिक पार्क में पॉलिमर उद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना की लागत रू. 20.75 करोड़ रू. है।

(7) अन्य योजनाएं

(अ) **उद्योग भवन** – रायपुर के रिंग रोड क्रमांक 1 पर सोनाखान भवन के सामने सीएसआईडीसी के आधिपत्य की कुल 126324 वर्गफीट भूमि में से 52272 वर्गफीट भूमि पर उद्योग भवन का निर्माण किया जा रहा है।

(ब) **महिला उद्यमियों हेतु व्यावसायिक परिसर** – रायपुर–बिलासपुर मार्ग को जोड़ती हुई मुख्य सड़क के समानांतर एमिनिटिज क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक भू–पट्टिका पर एक महिला व्यावसायिक परिसर का निर्माण पूर्ण किया गया है।

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य को तीन प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर, मलबरी एवं इरी के उत्पादन का गौरव प्राप्त है।

1. पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधें उपलब्ध हैं वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्वस्थ्य डिंब समूह रियायती दर पर 1.00 रू. प्रति स्वस्थ्य समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ्य डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में तीन फसल कृषको द्वारा उत्पादित की जा सकती है प्रत्येक फसल में 5000 से 7000 टसर कोसा का उत्पादन कर 550 रू. से 950 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। उक्त योजना प्रदेश के 17 जिलों में संचालित 129 टसर केन्द्रों एवं टसर परियोजना के 151 केन्द्र, चिन्हांकित वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2009-10 में 510.096 लाख नग पालित डाबा ककून उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध उत्पादन 438.692 लाख नग ककून का उत्पादन हुआ योजनान्तर्गत 19511 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2010-11 में टसर पालित कोसा उत्पादन का भौतिक लक्ष्य 711.73 लाख नग के विरूद्ध माह अक्टूबर 2010 तक 106.164 लाख का उत्पादन किया गया जिससे 5749 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2010-11 में विभागीय प्रक्षेत्र में कुल 3729 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अंतर्गत 9787 हेक्टेयर रेशम परियोजना के अंतर्गत 2318 हेक्टेयर पौधारोपण युक्त क्षेत्र है। इस प्रकार कुल 15834 हे. क्षेत्र में टसर योजना संचालित की जा रही है।

विगत वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	पालित टसर	लाख नग में	218.60	310.96	364.52	431.30	457.10	434.98	438.69
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	9414	11493	14865	17133	18991	20067	19511

2. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :–

वर्ष 2008-09 में रेशम प्रभाग के अधीनस्थ जिले दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, जशपुर एवं कोरिया में 86 नैसर्गिक बीज प्रगुणन कैम्प तथा 586.74 लाख उत्पादन/संग्रहण किया

गया योजनान्तर्गत 43761 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2009-10 में 38 नैसर्गिक बीज प्रगुणन लक्ष्य के विरूद्ध 31 कैंप लगाया गया नैसर्गिक ककुन का भौतिक लक्ष्य 620.00 लाख नग के विरूद्ध 809.158 लाख नग नैसर्गिक बीज उत्पादन कर 44276 हितग्राही लाभान्वित किये गये। वर्ष 2010-11 में नैसर्गिक ककुन उत्पादन 121.00 के लक्ष्य के विरूद्ध माह अक्टूबर 2010 तक 330.50 लाख ककून का अनुमानित संग्रहण कर 25552 संग्रहक हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं।

विगत वर्षों में नैसर्गिक, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	नैसर्गिक कोशा संग्रहण	लाख नग में	828.79	758.16	378.87	506.05	586.74	754.51	809.16
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	35752	57218	36759	37342	33716	43761	44276

टसर धागा करण योजना :– प्रदेश के विभिन्न जिलों में 853 रीलिंग एवं 253 स्पीनिंग मशीन संचालित हैं। योजनान्तर्गत 52 महिला स्व–सहायता समूह के 1058 महिलाओं द्वारा धागाकरण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में 160534 कि.ग्रा. धागा का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2010-11 में सॉख्यिकी आधार पर माह अक्टूबर 2010 तक 59.800 मि.टन. रा–स्पन सिल्क उत्पादित किया गया है।

विगत वर्षों में रॉ सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण

क्र	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	टसर रा–सिल्क एवंस्पन धागा	कि. ग्रा.	65650	127250	101299	104541	126298	146265	160534

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से रेशम प्रभाग में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि एवं हितग्राहियों को सहायता :–

क्र.	वर्ष	बीज कृमिपालक को सहायता	व्यावसायिक कृमिपालक को सहायता	निजी अण्डा उत्पादक	मलबरी कृषक को सहायता	ईरी एवं मलबरी कृषक को प्रशिक्षण एवं उपकरण सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2003–04	340	866	42	225	125	1598
2.	2004–05	840	1400	82	155	100	2577
3.	2005–06	840	1350	50	142	50	2432
4.	2006–07	325	690	43	110	50	1218
5.	2007–08	100	1000	40	100	0	1240
6.	2008–09	200	700	0	100	150	1150
7.	2009–10	200	500	40	60	210	1010
	योग	**2845**	**6506**	**297**	**892**	**685**	**11225**

क्र.	वर्ष	टपक सिंचाई योजना हेक्टेयर में	ग्रेनेज भवन (टसर ग्रेन्यूअर)	रियेरिंग हाउस मलबरी	सी.आर. सी.	पी.पी.सी. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	2003–04	10	42	20	02	06
2.	2004–05	10	82	15	02	10
3.	2005–06	05	50	15	01	11
4.	2006–07	0	43	0	0	3
5.	2007–08	30	40	75	0	5
6.	2008–09	100	0	50	05	5
7.	2009–10	60	0	60	05	0
	योग	**215**	**257**	**235**	**15**	**40**

ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी :–

राज्य गठन के पश्चात प्रथम बार प्रायोगिक रूप से जशपुर, सरगुजा बस्तर एवं कांकेर जिले में अरंडी का पौधा रोपित किया जाकर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया। सफलता को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा क्षेत्र रायगढ़ के धरमजयगढ़ में भी वर्ष 2009–10 से भी किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में कुल 49000 कि.ग्रा. भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित है जिसके विरूद्ध माह अक्टूबर 2010 तक कुल 792 कि.ग्रा. ईरी ककून का उत्पादन किया गया है जिससे कुल 427 हितग्राही लाभान्वित हुए। इरी रेशम का प्यूपा खाने के उपयोग में लाया जा सकता है एवं मछली हेतु खाद्य आहार भी तैयार किया जा सकता है।

विगत वर्षों में ईरी ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	इरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	1084	1177	2148	3810	4370	6127	7948
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	104	155	479	607	578	370	728
3.	पौधरोपण क्षेत्र	एकड़	55	116.50	183.50	196	187	99	223.50

ईरी रेशम की 5 फसल वर्ष में ली जा सकती है एवं प्रति हितग्राही को 120 कार्य दिवस में रू. 8000–9000 वार्षिक आय प्राप्त होगी एवं धागाकरण कार्य से हितग्राहियों को रू. 10000–13000 तक वार्षिक आय प्राप्त होगी।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना : प्रदेश में 87 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 09 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित है। वर्ष 2009–10 में 35125 कि.ग्रा. मलबरी ककून का उत्पादन कर

2179 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2010–11 में अक्टूबर 2010 तक 14614 कि.ग्रा. मलबरी ककून का उत्पादन कर कुल 1231 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	मलबरी ककून उत्पादन	कि. ग्रा.	14005	20387	27414	34339	41632	36224	35125

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

(1) शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना :– वर्ष 2009-10 में राज्य हाथकरघा बुनकर संघ द्वारा वस्त्र उत्पादन दिसम्बर अंत तक प्रदेश के 130 बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से शासकीय वस्त्र प्रदाय योजनांतर्गत विभिन्न विभागों से राशि रू. 15.58 करोड़ का प्रदाय आदेश प्राप्त हुआ है। जिसमें राशि रू. 10.41 करोड़ का वस्त्र प्रदाय किया जा चुका है। आदिम जाति कल्याण विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग से गणवेश हेतु राशि रू. 9.57 करोड़ का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें बुनकर सहकारी समितियों से वस्त्र उत्पादन कराया जाकर वर्ष 2010-11 में सत्र प्रारंभ होने के पूर्व प्रदाय किया जाना है।

गणवेश सिलाई का कार्य स्व–सहायता समूह के माध्यम से कराया जा रहा है। जिसमें लगभग 5000 महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

हाथकरघा वस्त्र बुनाई में 5000 हाथकरघा संलग्न हैं, जिसमें लगभग 15000 बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उक्त योजनांतर्गत गुणवत्तायुक्त हाथकरघा वस्त्र विभागों को प्राप्त हो रहा है।

(2) टाटपट्टी का उत्पादन एवं प्रदाय योजना :– वर्ष 2009-10 में विभिन्न विभागों से लगभग 0.82 लाख नग टाटपट्टी का प्रदाय आदेश प्राप्त हुआ। टाटपट्टी के उत्पादन में प्रदेश के लगभग 1000 बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

(3) कंबल एवं ऊनी ब्लेजर के प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना :– कंबल यूनिट की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजनांतर्गत जिला – राजनांदगॉव के लिए राशि रू. 1.52 करोड़ शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। योजना के कियान्वयन की प्रकिया जारी है।

(4) एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :– एकीकृत हाथकरघा विकास योजना बुनकरों के समग्र विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त

योजनांतग्रत प्रदेश के 08 क्लस्टर जिला रायपुर में गिरसूल, कटगी, जिला राजनांदगॉव में छुईखदान, जिला जांजगीर में चांपा एवं चन्द्रपुर, जिला रायगढ़ में रायगढ़, जिला जगदलपुर में बकावण्ड, जिला महासमुन्द में सल्डीह स्वीकृत है। उक्त क्लस्टर योजनांतर्गत कुल राशि रू. 456.950 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत है। इस योजनांतर्गत 3421 बुनकर लाभान्वित होंगे।

ग्रुप एप्रोच योजनांतर्गत जिला– दुर्ग में मोंहदीपाठ, हथौद, कोरगुड़ा, जिला– धमतरी में कुरूद, रायपुर में गरियाबंद, मैनपुर स्वीकृत है। उक्त योजनांतर्गत कुल छह प्रोजेक्ट राशि रू. 30.510 लाख का स्वीकृत है। इस योजनांतर्गत 124 बुनकर लाभान्वित होंगे।

(5) बुनकरों के प्रतिभावान पुत्र एवं पुत्रियों को प्रोत्साहन पुरस्कार :– राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर द्वारा अपने बुनकर सहकारी समितियों के बुनकरों के प्रतिभावान पुत्र एवं पुत्री को पढ़ाई के प्रति जागरूकता एवं प्रतिस्पर्धा में सहभागिता हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में बुनकर सदस्यों के बच्चों में पढ़ाई के प्रति प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार हो रहा है। उक्त योजनांतर्गत कक्षा 5वी, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में प्रथम श्रेणी एवं उससे अधिक अंक पाने वाले बुनकरों के 590 पुत्र/पुत्रियों को राशि रू. 696093.00 का पुरस्कार दिया गया है।

(6) बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना :– योजनांतर्गत 2009-10 में माह दिसंबर 2009 तक 3722 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है।

(7) डिजाईन एवं टेक्नोलॉली का विकास :– राज्य के बुनकरों द्वारा उत्पादित परंपरागत हाथकरघा वस्त्रों को आधुनिक बाजार के मांग के अनुरूप उत्पादन करने तथा नए डिजाईन एवं रंग संयोजन के वस्त त्रैयार करने हेतु राज्य के प्रमुख बुनकर बाहुल्य क्षेत्र/क्लस्टर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाईन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉफ्ट डिजाईन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्डलूम टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षित डिजाईनरों एवं डिप्लोमाधारकों की सेवाएं ली जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :–

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– भारत सरकार ने 31-03-2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को एक में मिलाकर, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नई ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र और बैंक करेंगे। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

2. ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना।

4. कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः– यह योजना वर्ष 2008-09 से भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। ग्रामोद्योग 20000 तक आबादी वाले ग्रामों में स्थापित की जाती है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों से ऋण व बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है। परियोजना लागत के आधार पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रकरणों में 25.00 लाख तक अनुदान देय होता है। वर्ष 2010-11 में 747 इकाई में 895.07 अनुदान में 7469 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य के विरूद्ध 418 इकाई स्थापित की जाकर 365.30 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया हैं इसमें स्वीकृत ऋणी उद्यमी को तीन दिवसीय एवं पंद्रह दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

पात्रता :–

1. हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।

2. योजना में आय का कोई बंधन नहीं है।

3. व्यवसाय एवं सेवा के क्षेत्र में राशि रू. 10 लाख एवं निर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक की

परियोजना स्वीकृत की जाती है।

4. लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
5. स्व–सहायता समूह जो अन्य किसी योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
6. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं।
7. कोई भी उत्पादन सहकारी समिति।
8. दानदाता न्यास।

परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगो को छोड़कर आयोग मान्य स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे–छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत औजार उपकरण लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । राज्य के सभी जिले में वर्ष 2008-09 में 3811 इकाईयों में 375.56 लाख अनुदान का लक्ष्य रखा जाकर 11428 लोगों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के विरूद्ध 2687 इकाई स्थापना की जाकर 348.505 लाख का अनुदान उपलब्ध कराकर 8061 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी तरह वर्ष 2009-10 में योजनांतर्गत 3914 इकाई का लक्ष्य में 415.20 लाख रू. अनुदान राशि से 7828 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के विरूद्ध 6184 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2010-11 में योजनांतर्गत 3914 इकाई का लक्ष्य में 415.20 लाख रू. अनुदान राशि से 7828 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बैंकों से स्वीकृति की कार्यवाही जारी है।

कारीगरों को प्रशिक्षण योजना :–वित्तीय वर्ष 2008-09 में रू. 9.45 लाख रू. का बजट आबंटन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध प्रदेश के 971 व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2009-10 में तीनों मांग संख्या 41, 64 एवं 56 में रू. 24.06 लाख का बजट आबंटन तथा 1885 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के विरूद्ध 1800 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2010-11 में 1580 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सूती पोली खादी उत्पादन :–खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित 9 सूत इकाई बुनाई केन्द्र स्थापित है जहां 602 ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है जिसमें 154 कारीगर बुनकर कार्य में लगे है। वर्ष 2009-10 में 2.50

करोड़ का उत्पादन किया गया है। इन केन्दों द्वारा उत्पादित कपड़ों की बिक्री विभागीय 3 संचालित बिक्री भण्डारों के माध्यम से विक्रय किया जाता है।

बांसकला केन्द्र :– राज्य बस्तर जिले में छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला केन्द्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश की भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर 20 ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है। वर्ष 2008-09 में 5.57 लाख रू. के बांस शिल्प का उत्पादन किया गया। पूर्व स्टाक को मिलाकर कुल 7.17 लाख रू. के बांस शिल्प का विक्रय किया गया। वर्ष 2010-11 में इस केन्द्र में उन्नत मशीनों के माध्यम से प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

विभागीय खादी उत्पादन :–वर्ष 2008-09 में 104.70 लाख रू. का सूत एवं 112.12 लाख रू. के खादी वस्त्र का उत्पादन हुआ जो कि तीन भण्डार गृहों द्वारा पूर्व स्टाक मिलाकर 196.13 लाख रू. की बिक्री की गई है। वर्तमान में 138.79 लाख रू. के स्टाक बिक्री योग्य है। इस योजना में आठ पेंडल, उन्नत चर्खा लगाकर सूत कताई का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें एक केन्द्र में उन्नत लुम भी लगाए गए हैं जिससे उत्पादन कार्य में सुधार आया है।

अध्याय–11

खनिज

छत्तीसगढ़ की धरती औद्यौगिक खनिजों से परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिजों की गुणवत्ता तथा खनिजों के भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2009-10 में लगभग 1243495 लाख रू. मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ। वित्तीय वर्ष 2009-10 में खनिजों से राज्य शासन को 1655.88 करोड़ रू. का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ जो विगत वर्ष की तुलना में 418.58 करोड़ रू. अधिक है। वर्ष 2010-11 में नवम्बर 2010 तक 1492.46 करोड़ रू. का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ राज्य में खनिजों की बहुलता एवं विविधता है। बैलाडीला का विश्व विख्यात लौह अयस्क भण्डार छत्तीसगढ़ की धरोहर है। प्रदेश में कोयला, बाक्साइट, चूनापत्थर, एवं डोलोमाइट का बाहुल्य तो है साथ ही सामरिक महत्व में टिन अयस्क का पूरे राष्ट्र में छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक राज्य है।

बॉक्स क 11.1

वर्ष 2009.10 में खनिज अन्वेषण कार्यों की उपलब्धियॉ

लौह अयस्क	जिला कांकेर	रावघाट क्षेत्र में 50 लाख टन उच्च श्रेणी के भंडार अनुमानित।
बाक्साइट	जिला सरगुजा	सी.एम.डी.सी. के आवेदित क्षेत्र में 2.00 लाख टन भण्डार अनुमानित।
	जिला कबीरधाम	सी.एम.डी.सी. के आवेदित दलदली क्षेत्र में 19.80 लाख टन अनुमानित।
कोयला	जिला कोरबा	सैला क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य से कोयले के अतिरिक्त भण्डार का अनुमान।
	जिला रायगढ़	गारेपेलमा क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य से 200 लाख टन भंडार अनुमानित।
	जिला सरगुजा	सोड़िया क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य से अतिरिक्त भण्डार प्रमाणित होंगे।
लाईमस्टोन	जिला बस्तर	ग्राम बागमोहलाई–रताबंध बस्तर क्षेत्रों में 62.50 लाख टन भण्डार प्राप्त होने का अनुमान।
	जिला रायपुर	ग्राम देवगांव–कुर्रा में पूर्वेक्षण कार्य से सीमेंट श्रेणी चूनापत्थर के 48 लाख टन एवं निम्न श्रेणी चूनापत्थर के 450 लाख टन भण्डार अनुमानित।

खनिज आधारित उद्योग :– राज्य में प्रमुखतः खनिज आधारित उद्योग भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र, कोरबा में भारत एल्यूमीनियम संयंत्र तथा बृहद ताप विद्युत संयत्र स्थापित है इसके अतिरिक्त 07 सीमेंट संयत्र 71 स्पंज आयरन संयंत्र तथा 01 रिफेक्ट्री संयंत्र भी कार्यरत है।

प्रमुख खनिजों का उत्पादन

(संदर्भ तालिका क्र 5.2)

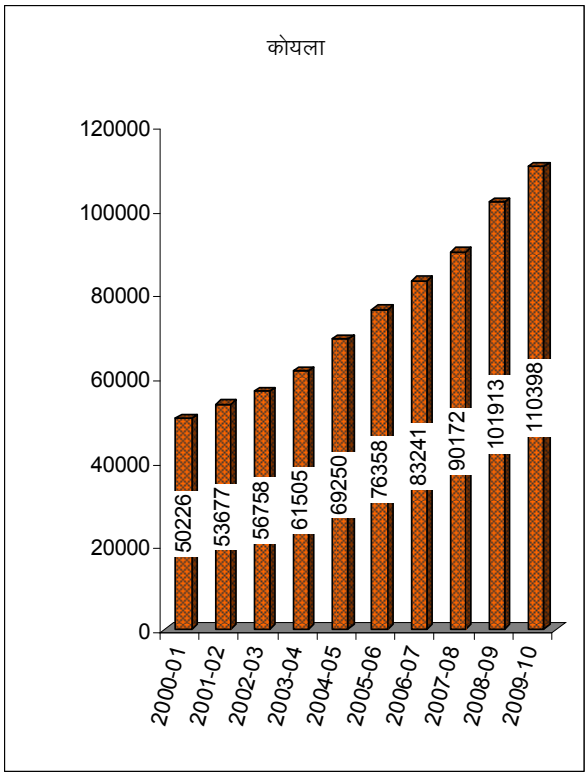

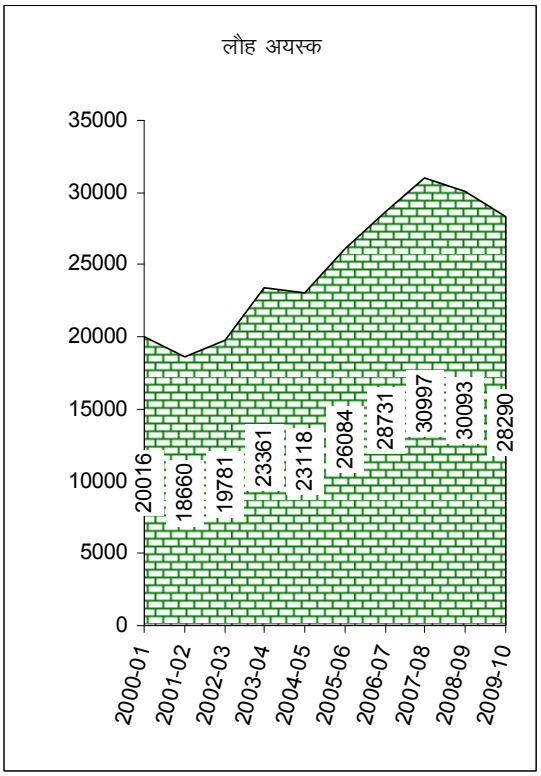

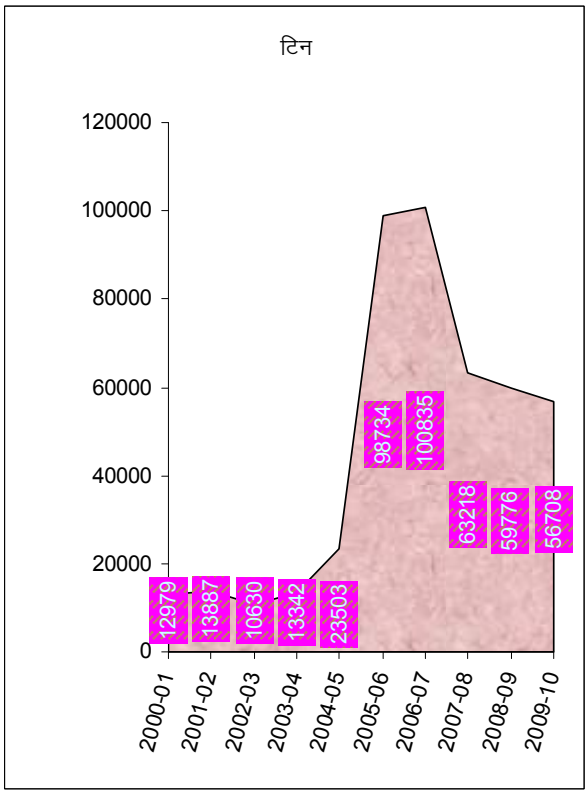

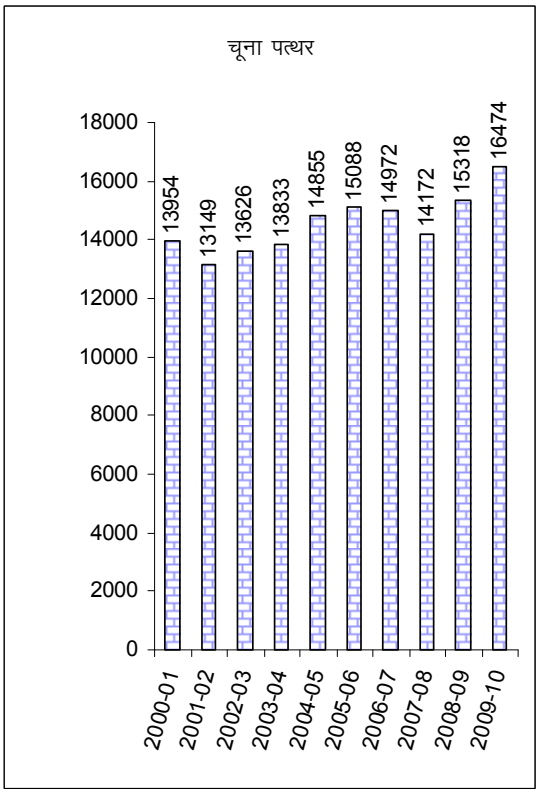

गौण खनिजों का उत्पादन :–वर्ष 2009-10 में राज्य में गौण खनिजों का उत्पादन जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खनिज का प्रकार	उत्पादन मात्रा (टन में)	उत्पादन मूल्य (लाख रूपयों में)
पत्थर	5080371	4521
मिट्टी	2154148	2971
मुरूम	4466980	3077
फर्शी पत्थर	33462	88
ग्रेनाईट	1011	12
चूना पत्थर	10414560	17288

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित :– कार्पोरेशन की अल्पकालीन मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर व्यवसाय बढ़ाना है। सी.एम.डी.सी. के पक्ष में स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों एवं खनिपट्टा क्षेत्रों में खनन एवं दोहन कार्य प्रारंभ करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अनुमोदन प्राप्ति की कार्यवाही विभिन्न चरणों में प्रचलन में है। आगामी वर्षों में खनिज, बॉक्साईट, टिन, कोरण्डम, कोल एवं लौह अयस्क के खनन कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। वर्तमान में टिन अयस्क की 4 खदानें तथा बॉक्साईट खनिज की 6 खदानें कार्यशील हैं।

कोल/आयरन ओर खनिज :– भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा सी.एम.डी.सी. को पांच कोल ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। चार कोल ब्लॉक के विकास, दोहन एवं वितरण हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया जा चुका है तथा एक कोल ब्लॉक (गारे–पेलमा सेक्टर–I) का विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है।

अध्याय–12

परिवहन सुविधाएँ

छत्तीसगढ़ राज्य में रेल परिवहन के कमी के परिणाम–स्वरूप सड़क परिवहन के प्रमुख संसाधन मालयानों तथा यात्रीयानों का आन्तरिक परिवहन संचालन व्यवस्था में अपना एक विशिष्ठ स्थान है।

मार्च 2009 के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 2167 हजार थी जो मार्च 2010 में बढ़कर 2435 हजार हो गई है। इस प्रकार कुल पंजीकृत वाहनों में 12.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कार एवं जीप में 16.84 प्रतिशत, मोटरसाईकिल, स्कूटर, मोपेड में 12.54 प्रतिशत, यात्री वाहन में 41.87 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में 53.37 प्रतिशत परिलक्षित हुई है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष कुल पंजीकृत वाहनों में द्विपहिया वाहनों का प्रतिशत 92.02 रहा।

वर्ष 2009–10 में शुल्क एवं मोटर यानों पर देय कर आदि से 351.85 करोड़ रू. राजस्व संग्रहण किया गया था, जो गत वर्ष 2008–09 में अर्जित राजस्व 313.80 करोड़ रू. से लगभग 12.12 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2010–11 में शुल्क एवं मोटर यानों देयकर आदि से सितंबर 2010 तक 184.90 करोड़ रू. राजस्व संग्रहण किया गया है। विगत वर्ष इसी अवधि में 157.09 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ था।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत अविभाजित मध्य प्रदेश में स्थापित (म.प्र.रा.स.प.नि) एक मात्र सार्वजनिक उपक्रम 31.12.2002 तक कार्यरत था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात निगम को समाप्त कर परिवहन क्षेत्र में निजीकरण किया गया है। इसके कारण राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन में वृद्धि हुई है। पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक नये समझौता सम्पन्न किए गए हैं। वाहन रजिस्ट्रीकरण एवं चालक लायसेंस हेतु स्मार्ट कार्ड योजना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार के योजनानुसार प्रत्येक वाहनो में हाई सिक्योरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की योजना है जिसे परिवहन कार्यालय में तैयार किया जावेगा। राज्य के सीमावर्ती चार स्थानों में पाटकोहेरा, भगतदेवरी, शंख एवं वाड्रफनगर में कम्प्यूटरीकृत तौल कांटोयुक्त चेकपोस्ट स्थापित किये जा रहे हैं, जहॉ वाणिज्य, वन, खनिज, कृषि एवं परिवहन विभाग एक ही स्थान पर चेकिंग का कार्य सम्पादित करेंगे, इससे अंतराष्ट्रीय परिवहन में सुगमता आयेगी।

परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं 16 मैदानी परिवहन कार्यालयों की कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्रथम चरण में आयुक्त कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण कर शेष कार्यालयों का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह कम्प्यूटरीकृत एवं एकीकृत जॉच चौकी की भी स्थापना

की जा रही है। वाहन चालक लायसेंस एवं वाहन के पंजीयन किताब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से पंजीयन किताब के रूप में लायसेंस एक चिप्स युक्त कार्ड दिया जायेगा इससे वाहन स्वामी को डूप्लीकेशन एवं फर्जी प्रकरणों से मुक्ति मिलेगी।

सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़को के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण में विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष 2009-2010 में 3825 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए एवं 101 वृहद पुलों का निर्माण किया गया और 150 वृहद पुल का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2010-11 में 703 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया एवं 20 वृहद पुलों का निर्माण पूरा किया गया तथा 158 वृहद पुल कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2009-10 में कुल राशि रू. 1996.87 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध रू. 1554.67 करोड़ रू. का व्यय किया गया। वर्ष 2010-11 में माह सितंबर तक 1840.59 करोड़ रू. के प्रावधान के विरूद्ध 637.54 करोड़ रूपये व्यय किये गये है।

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेन्ट बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से महत्वपूर्ण राज्य मार्गों एवं जिला मार्गों के पुर्ननिर्माण/चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण के 811 कि.मी. लंबाई कार्य की लागत लगभग रू. 697.11 करोड़ है। परियोजना के द्वितीय चरण के 438.53 कि.मी. लंबाई कार्य की लागत लगभग रू. 403.74 करोड़ है। कार्यवार विवरण निम्नानुसार है :–

छ.ग. राज्य सड़क विकास परियोजना – प्रथम चरण

क्र.	पैकेज कमांक	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	कार्य की स्थिति
1	1	राजनांदगॉव से मोहला मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	72.40	कार्य पूर्ण
2	2	मोहला से महाराष्ट्र सीमा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	38.19	कार्य पूर्ण
3	3	राजनांदगॉव कुकमेरा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	62.00	कार्य पूर्ण
4	4	कुकमेरा से कवर्धा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	52.90	कार्य पूर्ण
5	9	अंबिकापुर से सेमरसोत मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	61.00	कार्य पूर्ण
6	12	कुम्हारी से बेमेतरा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	67.39	कार्य पूर्ण
7	5	बिलासपुर से मुंगेली मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	51.00	कार्य पूर्ण
8	6	मुंगेली से पौंडी मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	55.00	कार्य पूर्ण

9	7 A	भानुप्रतापपुर से नारायणपुर कोण्डागॉव मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	141.90	कार्य पूर्ण
10	10A	कपसरा से हाथीडांड, रजखेता से धनवार, रामानुजगंज से वाड्रफनगर मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	107.40	कार्य पूर्ण
11	11	गरियाबंद से बारदुला मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	58.82	प्रगति पर
12	13	बेमेतरा से मुंगेली मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	42.44	कार्य पूर्ण

छ.ग. राज्य सड़क विकास परियोजना – द्वितीय चरण

क्र.	पैकेज कमांक	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	कार्य की स्थिति
1	8	राजिम से महासमुन्द मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	39.12	कार्य पूर्ण
2	3	हसौद से सरसींवा, सरसींवा से सरायपाली, सरायपाली से उड़ीसा बार्डर मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	71.65	प्रगति पर
3	4	नांदघाट से मुंगेली मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	36.32	कार्य पूर्ण
4	5	बलौदाबाजार से हथबंद से सिमगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	51.07	प्रगति पर
5	6	फुण्डा से अमलेश्वर मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	22.40	कार्य पूर्ण
6	7	अभनपुर से राजिम से गरियाबंद मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	63.22	कार्य पूर्ण
7	9	बसना से बिलाईगढ़ मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	51.20	प्रगति पर
8	10	धमतरी से नगरी मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	64.72	प्रगति पर
9	11	धमतरी से गुण्डरदेही मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	38.83	कार्य पूर्ण

रेल्वे ओव्हरब्रिज के अंतर्गत तीन रेल्वे ओव्हरब्रिज (दाधापारा, आमानाका रायपुर व तिफरा बिलासपुर) कार्य पूरा किया गया है तथा 08 रेलवे ओव्हरब्रिज के कार्य प्रगति पर है। उसलापुर, अकलतरा, दुर्ग–भिलाई, रायगढ़, डोंगरगढ़, टेकारी (रायपुर), मोवा (रायपुर), चकरभाटा है। अंडरब्रिज कार्यों में से गुढ़ियारी (रायपुर) अंडरब्रिज लागत रू. 19.14 करोड़ का कार्य पूर्ण हो गया है।

आर्थिक एवं अंर्तराज्यीय महत्व की सड़क योजना अंतर्गत कुल 1 कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2009-10 तक रू. 150.00 करोड़ आबंटन के विरूद्ध रू. 47.51 का व्यय किया गया है। वर्ष 2010-11 में रू. 208.02 करोड़ के 07 प्राक्कलन स्वीकृति हेतु केन्द्र शासन को प्रेषित किए गए हैं, जिन पर स्वीकृति अपेक्षित है।

एल.डब्लू.ई. योजनांतर्गत केन्द्र शासन को 40 सड़क कार्यो के रू. 2179.39 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 26 सड़क कार्यो पर कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। शेष कार्यों के निविदा हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

बाक्स न–12.1

विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण भवन कार्य जो वर्तमान में प्रगतिरत् हैं

- हाईकोर्ट आवासीय भवन, बिलासपुर का निर्माण लागत रू. 37.55 करोड़।
- नवीन इंजीनियरिंग कॉलेज भवन, रायपुर का निर्माण लागत रू.51.51 करोड़।
- रायपुर में 209 आवासगृह का निर्माण लागत रू. 14.41 करोड़।
- जशपुर में खेल परिसर का निर्माण लागत रू. 2.75 करोड़।
- गिरौधपुरी धाम में जैतखंभ का निर्माण लागत रू. 52 करोड़।
- जिला नारायणपुर में कंपोजिट कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण लागत रू. 4.28 करोड़।
- कवर्धा में स्टेडियम भवन का निर्माण लागत रू. 2.90 करोड़।
- कांकेर में जिला स्तरीय खेल परिसर का निर्माण लागत रू. 2.74 करोड़।
- गरियाबंद में 100 बिस्तर अस्पताल एवं आवासीय भवनों का निर्माण लागत रू 3.03 करोड़।
- 100 बिस्तर मेंटल हॉस्पिटल बिलासपुर का निर्माण लागत रू. 5.12 करोड़।
- पुलिस अकादमी चन्दखुरी का निर्माण लागत रू. 21.53 करोड़।
- भवन कार्यो के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के आवासीय तथा गैर आवासीय भवन कार्य वर्ष 2009-10 में 406 पूर्ण किए गए थे तथा 666 कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो हेतु वर्ष 2009-10 में रू. 249.24 करोड़ आवंटन के विरूद्ध रू. 232.82 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष इन कार्यो पर सितंबर, 2010 तक रू. 338.30 करोड़ आबंटन के विरूद्ध 91.28 करोड़ रूपये व्यय कर 64 भवन पूर्ण एवं 569 भवन के कार्य प्रगति पर है।

अध्याय–13

श्रम एवं रोजगार

रोजगार एवं प्रशिक्षण

प्रशिक्षण पक्ष–

भारत शासन द्वारा 1950 में शिक्षित बेरोजगारों को उद्योगो में रोजगार एवं स्वरोजगार में स्थापित करने के उद्देश्य से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना प्रारंभ किया गया।

योजना का मुख्य उद्देश्य :–

1. उद्योंगो के लिए कुशल कारीगरों की लगातार पूर्ति करते रहना ।
2. शिक्षित बेरोजगारों को योग्य प्रशिक्षण देकर औद्योगिक रोजगार के उपयुक्त बनाना, इस प्रकार शिक्षित बेरोजगारी कम करना ।
3. सुरक्षा सेना से वापस आने वाले भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास में आवश्यकतानुसार मदद देना ।
4. ग्रामीण पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचति जन जाति, अपंग एवं महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, जिससे वे रोजगार के अवसर पा सकें एवं स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सकें।

राज्य गठन के समय 13 जिलों में 44 संस्थायें संचालित थी। राज्य गठन उपरान्त तकनीकी शिक्षा के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 44 नई संस्थायें प्रारंभ की गई। इस प्रकार वर्तमान में 18 जिलों में कुल 91 संस्थायें संचालित है। साथ ही उपलब्ध अधोसंरचना (भवन) के पूर्ण उपयोग की दृष्टि से संचालित संस्थाओं में आधुनिक तकनीकी पर आधारित अतिरिक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रावधानित बजट अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में 04 नवीन आई.टी.आई. सहित कुल 10 आईटीआई की स्थापना करने का लक्ष्य है। जो राज्य गठन के समय से 229.5 प्रतिशत अधिक है।

प्रशिक्षण सुविधा :– राज्य गठन के समय संचालित संस्थाओं में विभिन्न व्यवसाओं में प्रशिक्षण हेतु 5960 सीटें उपलब्ध थी वह वर्ष 2009–10 में बढ़कर 15816 हो गई। इस प्रकार विगत वर्षो में संस्थाओं में तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। उक्त 91 संस्थाओं में से मांग संख्या 41 आदिवासी क्षेत्र उप योजनांतर्गत 28 संस्थाओं में 2044 एवं मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति क्षेत्र विशेष घटक योजनांतर्गत 03 संस्थाओं में 432 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में आदिवासी क्षेत्रों में 04 नवीन आईटीआई सहित 10 आईटीआई की स्थापना करने के साथ ही साथ संचालित 11 आईटीआई में अतिरिक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों की 05 आईटीआई भी सम्मिलित है। जिससे कुल प्रशिक्षण क्षमता 18024 हो जायेगी। जो राज्य गठन के समय से 302.41 प्रतिशत अधिक है।

सेन्टर आफ एक्सीलेंस :– उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व स्तरीय कुशल कामगार तैयार करने बहुकौशलीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 14 संस्थाओं का सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया गया है, जिसमें 05 संस्थायें क्रमशः बस्तर, डौंडीलोहारा, कोरबा, गौरेला एवं अंबिकापुर आदिवासी क्षेत्र में संचालित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009–10 में 08 संस्थाओं का विश्वबैंक की सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई जिनमें 04 संस्थायें क्रमशः गीदम, महिला कांकेर, गरियाबंद, केशकाल आदिवासी क्षेत्र में संचालित है।

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजनांतर्गत संस्थाओं का उन्नयन:–पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजनांतर्गत विभिन्न औद्योगिक समूहों के द्वारा राज्य की 33 संस्थाओं के उन्नयन हेतु सहमति दी गई। जिनमें मेसर्स जिंदल पावर एंड स्टील रायगढ़, भिलाई इस्पात संयत्र भिलाई, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड कोरबा (एनटीपीसी), एसीसी जामुल आदि प्रमुख है। योजनांतर्गत संस्थाओं के उन्नयन के लिये केन्द्र शासन द्वारा प्रति संस्था रू. 2.50 करोड़ ब्याज रहित दीर्घकालिक अग्रिम प्रदान किया गया है। उक्त योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में संचालित 13 संस्थायें भी सम्मिलित है।

अधोसंरचना का विकास :– राज्य गठन के पश्चात 03 कन्या छात्रावास भवन, 01 बालक छात्रावास अतिरिक्त संचालित 14 संस्थाओं के अतिरिक्त भवन एवं 18 नये संस्था भवन निर्माण के लिए रू. 39.03 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्किल डेव्हलपमेंट इनीशियेटिव (SDI) योजना :– केन्द्र शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय सहायता से प्रारंभ की गई ''स्किल डेव्हलपमेंट इनीशियेटिव (SDI) योजना'' के अंतर्गत संस्थाओं/कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों/उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स, निजी एवं शासकीय कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मियों, आईटीआई के छात्रों, शाला त्यागी बच्चों, आदि के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) नई दिल्ली के द्वारा अनुमोदित दिसम्बर 2009 की स्थिति में लघु अवधि के 1004 (MES) कोर्सेस तय किये गये हैं। विभाग के द्वारा दिसम्बर 2009 तक राज्य के 59 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं 07 मान्यता प्राप्त पात्रता रखने वाले निजी शिक्षण शिक्षण संस्थानों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाईडर (VTP) रूप में पंजीयन किया गया है, जहां राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित लघु अवधि के माड्यूलर इम्प्लायेबल स्किल (MES) कोर्सेस में नियमित प्रशिक्षण के अलावा अतिरिक्त रूप से अन्य हितग्राहियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त योजना केन्द्र की सहायता से संचालित है, जिसमें 15 रू. प्रति घंटे प्रति सफल प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति (VTP) को केन्द्र शासन द्वारा किया जावेगा। आवेदकों से लिया गया प्रशिक्षण एवं परीक्षा शुल्क भी उनके उत्तीर्ण होने के उपरान्त उन्हें वापस कर दिया जावेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) का प्रमाण पत्र दिया जाता है। योजनांतर्गत दिसम्बर 2009 की स्थिति 3876 प्रशिक्षणार्थी पंजीकृत किये जा चुके हैं 1751 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं एवं 668 प्रशिक्षणार्थी उत्तीण हो चुके हैं ।

अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल कक्षायें :– सेंटर आफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षणार्थियों को विश्वस्तरीय कामगार के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से उन्हे अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है ताकि वे राज्य के बाहर एवं विश्व के किसी भी हिस्से में जाकर कार्य करने में सक्षम हो सकें। इस उद्देश्य से राज्य की संस्थाओं में अंग्रेजी प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है।

प्लेसमेंट सेल की स्थापना :– प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षणोपरान्त नियोजन एवं ट्रेसर स्टडी के उद्देश्य से 05 संस्थाओं क्रमशः रायपुर, भिलाई, रायगढ़, बिलासपुर एवं बस्तर में प्लेसमेंट सेल की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है।

बजट :– वित्तीय वर्ष 2002–03 में आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत रू. 5.14 करोड़ सहित कुल 17.26 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था वहीं वित्तीय वर्ष 2009–10 में आदिवासी क्षेत्रों के लिए रू. 12.80 करोड़ सहित कुल रू. 72.34 करोड़ का प्रावधान किया गया था, वहीं वित्तीय वर्ष 2010–11 में आदिवासी क्षेत्रों के लिए रू. 31.58 करोड़ सहित

109.52 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2002–03 की तुलना में 626.24 प्रतिशत अधिक है। माह अगस्त तक राशि रू. 1662.51 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रमुख प्रस्तावित योजनायें :–

नवीन संस्थायें :– वित्तीय वर्ष 2010–11 में 10 नवीन संस्थायें प्रारंभ करने का बजट प्रावधान किया गया है जिनमें से 04 संस्थायें क्रमशः लोहाण्डीगुड़ा, चारामा, रामानुजनगर, बगीचा सुदूर आदिवासी बहुल तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रारंभ किया जाना है।

अतिरिक्त व्यवसाय :– वित्तीय वर्ष 2010–11 में विभिन्न 10 संस्थाओं में अतिरिक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है जिनमें 06 संस्थायें क्रमशः गीदम, महिला कांकेर, गरियाबंद, डौंडीलोहारा, केशकाल एवं डोंगरगढ़ अनुसूचित क्षेत्र में संचालित है।

आधुनिक मशीन औजार उपकरण :– योजनांतर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं के लिये मशीन औजार उपकरणों के क्रय हेतु राशि रू. 300.00 लाख का बजट प्रावधान।

नारायणपुर जिले के लिए अबुझमड़िया जनजाति के हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण युवाओं को आईटीआई का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राशि 100.00 लाख का बजट प्रावधान।

इंग्लिश लैग्वेज लैब :– योजनांतर्गत संचालित संस्थाओं क्रमशः अंबिकापुर, रायगढ़, गौरेला गरियाबंद, डौंडीलोहारा, बस्तर केशकाल, गीदम, कोरबा एवं महिला कांकेर में इंग्लिश लैब की स्थापना के लिए रू.148.00 लाख की स्वीकृति ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत राशि रू. 3157.50 लाख बजट प्रावधान किया गया है जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 242 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति योजनांतर्गत विगत वर्ष का बजट प्रावधान राशि रू. 246.50 लाख के विरूद्ध इस वर्ष राशि रू. 256.80 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।
प्रारंभ नई संस्थाओं का वर्षवार विवरण –

वर्ष	औ.प्र.संस्थाओं की संख्या	संस्थाओं की संख्या में वृद्धि	संस्थाओं की संख्या जहां अतिरिक्त व्यवसाय प्रारंभ की गई	प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट	सीटों में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
2000–2001	44	–	–	5960	–
2001–2002	56	12	–	6408	448
2002–2003	61	05	–	6664	256
2003–2004	61	–	10	7048	384
2004–2005	61	–	08	7328	280
2005–2006	68	07	15	8236	908
2006–2007	80	12	02	10078	1842
2007–2008	87	08	42	14600	4522
2008–2009	89	02	09	15364	764
2009–2010	91	02	05	15816	452
2010–2011	101	10	11	18024	2208

वर्षवार बजट एवं व्यय का विवरण (राशि लाखों में)

वर्ष	आयोजना			आयोजनेत्तर			योग		
	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
2005-2006	1163.11	763.55	65.65	1557.54	1282.60	82.35	2720.65	2046.15	75.21
2006-2007	3340.18	1591.89	47.65	1463.46	1226.43	83.80	4803.64	2818.32	58.67
2007-2008	4983.63	2655.39	53.28	1764.68	1429.59	81.01	6748.31	4084.98	60.53
2008-2009	5465.26	1763.69	32.27	1984.70	1632.00	82.23	7228.95	3395.69	46.97
2009-2010	4940.11	2296.17	46.48	2294.50	2315.27	100.91	7234.61	4611.44	63.74
2010-2011	7959.50	---	---	2849.70	---	---	10952.20	---	---

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक कार्य की मांग किए जाने पर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार दिए जाने का प्रावधान है।
2. योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित है।
3. ग्रामीण परिवारों को पंजीयन एवं रोजगार कार्ड का वितरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
4. कार्य के दौरान मृत्यु होने पर रू. 25000 अंतरिम राहत के भुगतान का प्रावधान है।
5. पारदर्शिता हेतु मजदूरी भुगतान बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से किया जा रहा है।
6. जनसामान्य की सहायता हेतु राज्य रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ में टोल फ्री नं. 1800–2332425 स्थापित किया गया है।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवार को मांग के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करना अधिकार बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण में 13 जिलों में, द्वितीय चरण में दिनॉक 1–4–2007 से 4 जिलों रायपुर, महासमुन्द, कोरबा एवं जांजगीर–चांपा में तथा तृतीय चरण में दिनॉक 1–4–2008 से दुर्ग जिले में भी यह अधिनियम लागू कर दिया है।

वर्ष 2009–10 में कुल उपलब्ध राशि रू. 1617.34 करोड़ के विरूद्ध राशि रू.1303.74

करोड़ व्यय कर 1041.56 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 20.25 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया। वर्ष 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक योजना में कुल उपलब्ध राशि रू. 1482.53 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 944.70 करोड़ व्यय कर 714.82 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 19.56 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया।

स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना :–इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को छोटे–छोटे अनेकानेक उद्यम स्थापित कर उन्हें मूलभूत व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदाय करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इसमें केन्द्र व राज्य सरकार का वर्तमान में वित्तीय अनुदान 75 व 25 प्रतिशत है। वर्ष 2009–10 में रू. 126.78 करोड़ का क्रेडिट मोबिलाईजेशन का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2010 तक रू. 138.94 करोड़ वित्तीय उपलब्धि अर्जित कर 55374 परिवारों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 17175 अनु. जाति 41732 अनु. जनजाति एवं 69205 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। उपलब्ध राशि 89.35 करोड़ में से मार्च 2010 तक रू. 79.77 करोड़ की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2010–11 में राशि रू. 145.75 करोड़ का केडिट मोबिलाईजेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह सितंबर 2010 उपलब्धि रू. 50.93 करोड़ है। माह सितम्बर, 2010 तक कुल 19546 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 2878 अनु. जाति, 8203 अनु. जनजाति एवं 13557 महिला लाभान्वित किए गए। उपलब्ध राशि रू. 51.14 करोड़ में से माह सितंबर 2010 तक रू. 26.29 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

इन्दिरा आवास योजनाः– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवार को शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंश 75 व 25 प्रतिशत का है। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 से नये आवास निर्माण हेतु रू. 45000 रूपये का अनुदान दिया जा रहा है।

वर्ष 2009–10 में रू. 322.77 करोड़ उपलब्ध राशि में से 58898 नये आवास का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। वर्ष 2010–11 में माह सितंबर, 2010 तक रू. 106.81 करोड़ उपलब्ध राशि में से 52.71 करोड़ के व्यय से 32539 नये आवास निर्माणाधीन हैं।

जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हरियाली)

सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.):– 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत योगदान से संचालित है। नवगठित राज्य के 8 जिलों के 29 विकास खण्ड वर्ष अन्तर्गत सूखाग्रस्त माने गये हैं और इन्हीं 8 जिलों के 29 विकासखण्डों में सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जलग्रहण क्षेत्र

विकास की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2010–11 में सितंबर 2010 तक कुल उपलब्ध राशि रू. 2406.59 लाख में से रू. 595.40 लाख व्यय कर, 10397 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र की भूमि उपचारित की गई है, एवं 253 हेक्टेयर नयी सिंचित क्षेत्र की वृद्धि प्राप्त की गई है।

एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लू.डी.पी.) :– छत्तीसगढ़ राज्य के 8 जिलों के 29 सूखाग्रस्त माने गए विकासखण्डों को छोड़कर अन्य जिलों सहित इन जिलों के शेष विकासखण्डों में इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत शत् प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता था किन्तु 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा क्रमशः 11:1 के अनुपात में वित्त पोषण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 70 परियोजनाएं संचालित है। वर्ष 2010–11 में सितंबर 2010 तक कुल उपलब्ध राशि रू. 1769.09 लाख में से रू. 450.12 लाख व्यय कर, 6548 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र की भूमि उपचारित की गई है, एवं 310 हेक्टेयर नयी सिंचित क्षेत्र की वृद्धि प्राप्त की गई है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना :–

भारत सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 से यह योजना पूरे देश में प्रारंभ की गई है। योजना का मूल उद्देश्य 1000 या इससे अधिक आबादी (पहाड़ी/रेगीस्तानी/आदिवासी विकास खण्डों के मामले में 500 या इससे अधिक) की सभी बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में यह कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सौंपा गया है। प्रथम चरण के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 में भारत सरकार द्वारा 956.83 कि.मी. लंबाई की 112 सड़कें, 811 पुल–पुलिया स्वीकृत की गई, तथा रू. 91.92 करोड़ राशि प्रदान की गई। अभी तक कुल स्वीकृत में से 112 सड़कें 919.13 किमी लंबाई तथा 826 पुल–पुलिया पूर्ण कर 114.34 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक (2000 से 2010–11 भी शामिल) 6479.87 करोड़ की राशि से 5320 सड़कें लंबाई 25500.65 कि.मी. तथा 36583 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके अंतर्गत माह सितंबर 2010 अंत तक 3855 सड़कें लंबाई 17668.18 कि.मी. एवं 20870 पुल–पुलिया पूर्ण कर 4405.50 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 2009–10 में कुल निर्मित सड़कों में से 4020.44 कि.मी. तथा वर्ष 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक 830.32 कि.मी. सड़कें पूर्ण की गई।

अध्याय–14

सामाजिक सेवायें

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है । इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति जन जाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हे समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है ।

स्कूल शिक्षा विभाग

संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ–साथ विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे (विशेषकर 6 से 14 आयु वर्ग) को निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ प्राप्त हो, योजना को दृष्टिगत रखते हुए मानव संसाधन पर किया गया उद्देश्यपूर्ण व्यय ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सभी की सहभागिता हो इस हेतु विभाग द्वारा अधोसंरचना के विकास, शिक्षा के गुणवत्ता के विकास एवं मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। शासन शिक्षा का विकास इस तरह से संपादित कर रही है कि शिक्षण सुविधा छात्रों को उनकी पहुॅच पर प्राप्त हो रही है विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन कर समाज को शिक्षा के प्रति जागृत कर बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आकृष्ट किया जा रहा है। विभाग की प्रमुख योजनाएं जो उपरोक्त उद्देश्य से संचालित हैं निम्नानुसार हैं :–

2. छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :

प्रदेश की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु –

- एन.आई.आई.टी. द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
- प्रदेश के 1189 हाई स्कूल एवं उ.मा.विद्यालयों के 186000 बालिकाओं के लिये 54/– रूपये प्रति छात्रा की दर से शासन द्वारा भुगतान किया गया है ।
- प्रदेश के 16 जिलों में जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है ।
- इस योजना के अन्तर्गत सत्र 2009-10 से 400 केन्द्र संचालित है। जिनमें लगभग 78000 छात्राओं को योजना का लाभ मिल रहा है। वर्तमान में 300 विद्यालयों में आईसीटी योजना संचालित है एवं 800 विद्यालयों के लिए प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 525.00 लाख आबंटन के विरूद्ध 493.89 लाख व्यय किया गया एवं 78000 छात्रायें लाभान्वित हुई हैं ।

3. सरस्वती सायकल प्रदाय योजना :–

राज्य के हाई स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के बालिकाओं को निःशुल्क सायकल प्रदान कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सत्र 2007–08 से 9 वीं कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं को भी सायकल के प्रदाय से जहां शालाओं में आवागमन की सुविधा है वहीं बालिकाएं शिक्षा के प्रति आकृष्ट हो रही है।

इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को लेडीस ब्लैक सायकल के वितरण की कार्यवाही की गई है। वर्ष 2009–10 हेतु रू. 1513.14 लाख का व्यय कर 64446 बालिकाओं को सायकल प्रदाय की गईं।

4. निःशुल्क गणवेश योजना :–प्राथमिक विद्यालय (1 से 5) की अजा, अजजा एवं बी.पी.एल. वर्ग के अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क गणवेश योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 रू. 572.29 लाख रू. व्यय कर 448624 छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया गया है। वर्ष 2009-10 में इन योजनाओं के लिए 9.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 540000 लाख छात्राओं को निःशुल्क गणवेश योजना का लाभ प्राप्त हुआ।

5. छात्र दुर्धटना बीमा योजना :–

इस योजनान्तर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त, प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दुर्धटना बीमा का संरक्षण प्रदान किया गया है। जिसमें दुर्घटना–जनित मृत्यु, पूर्ण अपंगता अथवा स्थाई अपंगता होने पर 10,000 रूपये एवं एक अंग भंग होने पर अथवा आंशिक अपंगता पर 5,000 रूपये एवं उपचार हेतु 500 रू. की सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2009–10 अन्तर्गत 298 लाभान्वितों को 28.13 लाख रू. के दावों का भुगतान किया गया है ।

6 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/पुस्तकालय योजना :–

इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किया जा रहा है।

वर्ष 2005-06 से शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की गई है।

वर्ष 2008-09 में कक्षा 11 से 12 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं समस्त बालक–बालिकाओं को पुस्तक योजना के माध्यम से पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकें प्रदाय की गई।

वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग (पाठ्यपुस्तक निगम) के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान कर रही है। वर्ष 2009-10 हेतु रू. 41.16 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें से रू. 40.62 करोड़ व्यय कर राज्य के 50.32 लाख विद्यार्थियों को पाठ्य–पुस्तकें वितरित की गई।

7 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :–

योजना में औसतन 200 कार्य दिवसों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष 230 दिवस मान्य किया गया है। प्रदेश के 146 विकासखण्डों के 47175 शालाओं में लगभग 4022261 विद्यार्थीगण लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश में पंचायत द्वारा, 18672 शालाओं में महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 268 शालाओं में स्थानीय निकायों, 182 शालाओं में स्वयंसेवी संगठन पहल द्वारा एवं शेष शालाओं में शाला विकास समिति एवं जन भागीदारी समिति द्वारा भोजन पकाया जा रहा है।

मध्यान्ह भोजन केन्द्रो के प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु 172.12 लाख का व्यय प्रस्तावित है। इसमें बाह्य एजेन्सी के द्वारा मूल्यांकन कराया गया। इस हेतु जिला मुख्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर रखा गया है। वर्ष 2009-10 में 180.94 करोड़ बजट आबंटन के विरूद्ध 116.97 करोड़ व्यय किया गया है।

वर्षवार प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या :– शिक्षा के अधोसंरचना के विकास के लिए शिक्षा को घर–घर पहुॅचाने के लिए छात्रों की पहुॅच सीमा के भीतर शालाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। राज्य निर्माण से अद्यपर्यन्त प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	प्राथ. शाला	-	99	4962	1327	1066	1414	399	9	1
2	माध्य. शाला	102	771	703	778	1830	2568	446	25	404
3	हाई स्कूल	72	1	-	2	4	117	146	276	09
4	उ. मा.	25	-	-	-	1	59	84	146	31
कुल योग		199	871	5665	2107	2901	4158	1075	456	445

इस शिक्षा अभियान अन्तर्गत 2002–03 से अद्यपर्यन्त 1051 प्राथमिक शाला भवन, 8468 उच्च प्राथमिक शाला भवन एवं 37292 अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदिवासी अंचल में 10 बच्चों की उपलब्धता पर 1370 प्राथमिक स्तर ज्ञान ज्योति विद्यालय खोले गये। 565 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल की स्वीकृति प्रदान की गई है। 36 नाईट शेल्टर के माध्यम से 1803 कामकाजी बच्चें एवं आदिवासी क्षेत्रो में 24 डारमेट्री

संचालित कर 2350 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दन्तेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में 18 पोटा केबिन तैयार कर 7422 शाला त्यागी बच्चों को आवासीय सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के मुख्याधारा से जोड़ा गया।

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण :– राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित गतिविधियॉ का विवरण निम्नानुसार हैं :–

साक्षर भारत मिशन 2012 प्रधानमंत्री की धोषणा अनुसार नया कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के 12 जिलों दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, कबीरधाम, महासमुन्द, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, कोरिया व सरगुजा में प्रारंभ किया जा रहा है।

यूरोपियन कमीशन एवं यूनीसेफ प्रायोजित जनपहल ग्राम सूक्ष्म नियोजन कार्यक्रम दंतेवाड़ा, बस्तर, जशपुर, सरगुजा व राजनांदगॉव में संचालित किया जा रहा है।

यूरोपियन कमीशन सह राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत श्रेष्ठ पालकत्व (GOOD PARENTING) एवं व्यसन मुक्ति कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

उपलब्धियॉ :– वर्ष 2006–07 में दंतेवाड़ा जिले को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार **(सत्येन मैत्रा राष्ट्रीय अवार्ड)** प्राप्त।

वर्ष 2007–08 में सरगुजा जिले को सतत् शिक्षा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार **(सत्येन मैत्रा राष्ट्रीय अवार्ड)** प्राप्त।

पुस्तक वाचन अभियान 2007 लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज।

राजीवगांधी शिक्षा मिशन

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापी करण है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2010 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सुविधा युक्त उपयोगी प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001 से लगातार अभी तक प्रयास जारी है। इन प्रयासों में सभी बसाहटों में एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शाला प्रारंभ कर शिक्षकों के नये पद स्वीकृति, शिक्षक भर्ती, शाला भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तक प्रदाय, पेयजल सुविधा, शौचालय, रेम्प निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। वर्ष 2008–09 में 9276 प्राथमिक शाला, 15951 उच्च माध्यमिक शाला भवन प्रारंभ किए गये एवं 4652 शिक्षा गारण्टी शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009–10 में 01 प्राथमिक शाला एवं 404 उच्च प्राथमिक शाला प्रारंभ किए गये। वर्ष 2010–11 में नामांकन दर्ज बच्चों

में से कक्षा 1 से 8 तक 34.81 लाख बालिकाएं एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालकों को शाला प्रारंभ होने के साथ निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया एवं अध्ययनरत बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बाल मित्र संयुक्त अभ्यास पुस्तिका एवं ग्रेडिंग कार्ड उपलब्ध कराई गई हैं।

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण :– सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सत्र 2009–10 में शिक्षक प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश में ही प्रारम्भ किया जाकर 131148 शिक्षकों को 20 दिवसीय एवं 21849 नव नियुक्त शिक्षाकर्मियों को 30 दिवसीय एवं 13407 अप्रशिक्षित शिक्षकों को 2 वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित करने की कार्यवाही जारी है।

2. निःशक्त बच्चों की शिक्षा :– समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत 55764 निःशक्त बच्चे चिन्हांकित हैं। चिन्हांकित बच्चों की जांच एवं आवश्यकता निर्धारण हेतु जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर सर्जरी योग्य निःशक्त बच्चों को चिन्हाकित कर प्रमाण पत्र दिया गया। 3645 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है।

3. ज्ञान ज्योति केन्द्र :– आदिवासी जिलों में ऐसे ग्राम/बसाहट जहॉ 6–14 वर्ष आयु के 10 बच्चे उपलब्ध हों वहॉ पर प्राथमिक शाला खोलने का निर्णय लिया गया है जिसे ''ज्ञान ज्योंति केन्द्र'' नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत 9 आदिवासी जिलें में 1540 नवीन प्राथमिक शाला खोले गये हैं। जिन्हे ज्ञान ज्योति विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अभी तक कुल 20334 बालक/बालिकाएँ अध्ययनरत हैं।

4. पोटा केबिन :–राज्य के दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में जहॉ की धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। जहॉ नक्सलियों द्वारा स्कूल, भवनों एवं आश्रम शालाओं को क्षतिग्रस्त/ध्वस्त किया जा रहा है। वहॉ के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति एवं शिक्षा को सतत् जारी रखने की दिशा में कुल 38 पोटा केबिन स्थापित कर शाला त्यागी बच्चों को आवासीय सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किया जा रहा है ।

इन प्रत्येक पोटा केबिन में 5–5 सौ अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था सहित सुविधा मुहैया करायी गई है। जिसमें लगभग 20000 बच्चे अध्ययनरत हैं।

5. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) :– इस कार्यक्रम के तहत राज्य के पिछड़े सुविधा विहीन क्षेत्रों की निर्धन परिवारों की शाला त्यागी बालिकाओं को जो पांचवीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। उन्हें कक्षा आठवीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय व्यवस्था सहित मुहैया करायी जा रही है। राज्य में इस तरह के विद्यालयों की कुल स्वीकृत संख्या 93 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को

भोजन, गणवेश, कापी–किताब, लेखन सामाग्री, साबुन–तेल आदि निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। इन सभी 93 विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की कुल दर्ज संख्या 9257 है।

6. बालिकाओं की प्रारभिंक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) :– सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6–14 वर्ष की सभी बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने, महिला–पुरूष भेद–भाव को समाप्त करने एवं महिला–पुरूष साक्षरता दर के अंतर को समाप्त करने के लिए महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने एवं शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु यह विशेष कार्यक्रम शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र (ई.बी.बी.) जहॉ ग्रामीण महिला साक्षरता दर इसकी राष्ट्रीय दर 46.13 प्रतिशत से कम है, तथा राष्ट्रीय महिला–पुरूष साक्षरता दर में अंतर 21.7 प्रतिशत से अधिक है। इसके अतिरिक्त जहां अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जहॉ महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है एवं शहरी गन्दी बस्ती क्षेत्र में संचालित है।

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों के 74 (ई.बी.बी.) विकासखण्डों में संचालित है इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 3री से 8वीं तक की 10.41 लाख बालिकाओं को वर्ष 2010–11 में गणवेश प्रदाय किए जाने की कार्यवाही जारी है, जो अन्य कार्यक्रमों के तहत दिये जा रहे गणवेश के अतिरिक्त है।

स्वास्थ्य सेवायें

राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं :– राज्य के 17 आई.सी.टी.सी. जिला चिकित्सालय, 6 मेडिकल कॉलेजों में एवं 77 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व टी.बी. सेंटरों सहित कुल 100 आई.सी.टी.सी. (समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र) स्थापित हैं। राज्य के सभी 17 चिकित्सालय एवं रायपुर, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज सहित कुल 19 एस.टी.डी. क्लिीनिक स्थापित हैं। प्रदेश में 15 ब्लड बैंक की स्थापना की गई है इनमें से 8 नए ब्लड बैंक राज्य निर्माण के पश्चात् स्थापित किए गए। राज्य में स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल ब्लड बैंक की स्थापना रायपुर मेडिकल कॉलेज में की गई। राज्य के मेडिकल कॉलेज रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं दुर्ग जिला अस्पताल में ART Center (एड्स मरीजों का उपचार केन्द्र) स्थापित हैं।

राज्य में नवम्बर 2010 की स्थिति में स्वास्थ्य संस्थाएं

कमांक	संस्था का नाम	संख्या
1	जिला चिकित्सालय	17
2	सिविल अस्पताल	17
3	सिविल डिस्पेंसरी	29
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	148
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	741
6	उप स्वास्थ्य केन्द्र	5076
7	लेप्रोसी होम एंड अस्पताल 100 बिस्तर	1
8	राज्य में हेल्थ केयर संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुसंधान रायपुर में	1
9	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	10
10	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (पुरूष)	3
11	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (महिला)	13
12	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र	4
13	क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	1

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :–

वर्ष 2002 से विजन 2020 कार्यक्रम भारत शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2009–10 के लिए 1.00 लाख मोतियाबिंद नेत्र ऑपरेशन के लक्ष्य के विरूद्ध 90452 मोतियाबिंद आपरेशन हुए, जो कि वार्षिक लक्ष्य के 90.50 प्रतिशत रही है। स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण के अंतर्गत 888642 छात्रों का नेत्र परीक्षण कर 9172 छात्रों को निःशुल्क चश्में वितरित किए गए। वर्ष 2010–11 में 1.00 लाख मोतियाबिंद आपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2010 तक 46349 आपरेशन पूरे किए गये। स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण के अंतर्गत 416949 छात्रों का नेत्र परीक्षण किया गया एवं 3645 चश्मा वितरण किया गया। वर्ष 2010–11 में माह नवम्बर 2010 तक दान में 120 नेत्र प्राप्त हुए जिसमें से 101 नेत्र प्रत्यारोपित किए गए हैं।

वर्ष 2009–10 में 335 लाख अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय किए गए। वर्ष 2010–11 में माह अक्टूबर 2010 तक 217 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

वर्ष 2010–11 में बिलासपुर जिला चिकित्सालय में नेत्र बैंक की स्थापना हेतु 15.00 लाख रू. का आंबटन किया गया है एवं मेडिकल कालेज बिलासपुर के नेत्र विभाग के सुदृढ़ीकरण करने हेतु तथा जिलों में 18 विजन सेन्टर की स्थापना हेतु 34.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सभी जिलों की टी.यू. एवं एम.सी. की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	डीटीसी	टी.यू	एम.सी	प्रोज. जनसंख्या
1	रायपुर	1	7	36	3462373
2	दुर्ग	1	6	31	3223860
3	राजनांदगांव	1	3	14	1474924
4	बिलासपुर	1	5	25	2293307
5	धमतरी	1	2	9	809566
6	कांकेर	1	3	13	749460
7	रायगढ़	1	3	17	1455677
8	कबीरधाम	1	2	8	672751
9	जांजगीर–चांपा	1	3	12	1514425
10	महासमुन्द	1	2	11	989767
11	कोरबा	1	4	13	1164604
12	जशपुर	1	3	16	851233
13	जगदलपुर	1	5	27	1498446
14	कोरिया	1	3	13	673658
15	दन्तेवाड़ा	1	3	14	827397
16	सरगुजा	1	8	41	2267554
	योग	**16**	**62**	**300**	**23929000**

RNTCP संचालित सभी जिलों में 1 जनवरी से सितम्बर 2010 में (तृतीय त्रैमास 2010 तक) में 82447 नये संदेहास्पद क्षय रोगियों की जांच की गई जिसमें 10379 धनात्मक क्षय रोगी पाये गये जिसमें से डाट्स के अन्तर्गत 8882 धनात्मक सहित 8379 क्षय रोगी निःशुल्क उपचाररत है। राज्य का धनात्मक क्षय रोगियों का उपचार दर 81 प्रतिशत, सफलता दर 87 प्रतिशत एवं नये खोजे गये रोगियों का वार्षिक दर 56 प्रतिशत तथा नये खखार धनात्मक रोगियों की वार्षिक दर 56 प्रतिशत है।

विवरण	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक	1 अप्रैल 2010 से सितम्बर 2011 तक
शंकास्पद मरीजों की संख्या जिनकी खखार जांच हुई	105338	55470
खखार की जांच की धनात्मक मरीजों की संख्या	13254	6903
स्पूटम निगेटिव मरीजों की संख्या	10295	5613
एक्स्ट्रा पल्मोनरी मरीजों की संख्या	3571	2022
इलाज प्रारंभ होने के पश्चात तीन माह में स्पूटम निगेटिव हुए मरीजों की संख्या	10574	5764
इलाज के पश्चात रोग मुक्त हुए नये स्पूटम मरीज की संख्या	10385	5527
रोग मुक्ति दर	82 प्रतिशत	80 प्रतिशत
सफलता दर	87 प्रतिशत	87 प्रतिशत

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हे बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाये।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश की कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 थी, जो कि माह अक्टूबर 2010 में 2.26 प्रति दस हजार है। वर्तमान में अक्टूबर 2010 तक उपचाररत रोगी संख्या 5388 है जिन्हें नियमित बहुऔषधी उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है। वे विकास खण्ड जिसका प्रभाव दर 2 या 2 से अधिक था वहॉ परामर्श एवं सघन प्रचार प्रसार द्वारा कुष्ठ संबंधी जानकारी देकर स्व–प्रेरणा से जांचकेन्द्र में आने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

विवरण	31 मार्च की स्थिति में						अक्टूबर
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
खोजे गये नये रोगियों की संख्या	15385	13110	9040	6052	7784	5453	4638
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	17949	18034	12519	7249	6215	8016	4552
डपचाररत मरीजों की संख्या	12918	7994	4515	3322	5465	7984	5388

वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारत शासन से राशि रू. 15.41 लाख प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2010 तक 19.41 लाख खर्च किए गए (प्राप्त से अधिक खर्च पिछले वर्ष की शेष राशि से किया गया)

परिवार कल्याण कार्यक्रम : परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करना है। इस हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति में मुख्य रूप से वर्ष 2010 तक प्रदेश में जन्म दर का स्तर 21 प्रति हजार जनंसख्या जो वर्तमान 26.5 प्रति हजार है तथा शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार है। जीवित जन्म तक लाये जाने हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एवं शिशु स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रमों का पालन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है इसके अतिरिक्त सकल प्रजनन दर में अपेक्षाकृत कमी लाते हुए इसे 2.1 पर लाना है। गर्भ निरोधक साधनों के माध्यम से लक्ष्य दम्पति संरक्षण दर 65 प्रतिशत तक लाना है। वर्ष 2008–09 में यह दर राज्य स्तरीय माध्यमों से 64.85 प्रतिशत रही। जिसमें स्थायी गर्भनिरोधक साधनों से लक्ष्य दंपति संरक्षण दर 43.54 प्रतिशत रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वैच्छिक आधार पर तथा समुदाय की आवश्यकतानुसार स्थायी तरीके के रूप में नसबंदी तथा अस्थायी अन्तराल विधि के रूप में लूप निवेशन निरोध एवं ओरल पिल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है । परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनोन्मुखी बनाने के लिए पुरूष तथा महिला नसबंदी आपरेशन स्वीकार कर्ता को प्रदाय की जाने वाली छतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में नसबंदी 148073 व्यक्तियों द्वारा कराई गई जोकि लक्ष्य का 76 प्रतिशत है। इसी तरह लूप निवेशन 110735 द्वारा अपनाई गई जोकि लक्ष्य का 91 प्रतिशत है। निरोध उपयोगकर्ताओं की संख्या 376310 रही जोकि लक्ष्य का 77 प्रतिशत है। इसी तरह ओरल पिल्स उपयोगकर्ता 219226 रही जोकि लक्ष्य का 85 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 में माह अक्टूबर तक नसबंदी स्वीकारकर्ता की संख्या 40725 है (21 प्रतिशत), लूप निवेशन 60761 (43 प्रतिशत) है।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य मलेरिया की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अतः विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1997 से आदिवासी प्राथमिक स्वा. केन्द्रों में ई.एम.सी.पी. एवं शेष प्राथ. स्वा. केन्द्रो में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण किया जा रहा है।

राज्य में मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010 में 3716615 स्लाइड (रक्त पट्टी) का मलेरिया हेतु परीक्षण का लक्ष्य था जिसमें नवंबर 2010 तक उपलब्धि 3193664 स्लाइड की रही। इस परीक्षण में 137174 पॉजिटिव पाई गयी जिसमें से 107286 पैल्सीफैरम

मलेरिया पाए गए। जून से अक्टूबर के मध्य दो चक्रों में प्रदेश में 8 हजार 5 सौ 47 ग्रामों में जहॉ विगत वर्ष में एक हजार की आबादी में औसतन दो से अधिक मलेरिया रोगी प्रकाश में आए हैं, में कीटनाशक छिड़काव कराया गया है।

छिड़काव हेतु कीटनाशक औषधियों की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2010 में 8 सौ मी.टन डी.डी.टी. व 94 मी.टन सिंथेटिक पायरेथ्राईड प्राप्त हुआ है तथा राज्य स्तर से 28 मी.टन सिंथेटिक पायरेथ्राईड क्रय करने की व्यवस्था की गई है।

राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :– राज्य में एच.आई.वी. पॉजिटिव की संख्या 7955 है जिसमें पॉजिटिव महिलाओं का प्रतिशत 37 तथा पुरूषों का प्रतिशत 63 है। 25 से 49 वर्ष की आयु वर्ग सर्वाधित प्रभावित आयुवर्ग है। राज्य में ARCTC में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या 5757 है।

जिलेवार एचआईवी पाजिटिव

(अक्टूबर 2010 तक)

क्र.	जिला	एचआईवी पाजिटिव	ART पर मरीजों की संख्या
1	रायपुर	3950	906
2	दुर्ग	976	382
3	राजनांदगांव	504	19
4	बिलासपुर	872	210
5	रायगढ़	127	3
6	सरगुजा	151	37
7	जगदलपुर	378	128
8	कांकेर	67	15
9	कोरबा	181	32
10	महासमुन्द	268	73
11	धमतरी	84	27
12	कवर्धा	184	50
13	जांजगीर–चांपा	50	7
14	दन्तेवाड़ा	26	2
15	जशपुर	77	1
16	कोरिया	70	7

संजीवनी कोष : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों के गंभीर बिमारियों के इलाज हेतु संजीवनी कोष की स्थापना की गई है जिसमें गंभीर दुर्घटनाओं, बीमारियों एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों को ईलाज हेतु 25000 रूपये से 1.5 लाख की सहायता मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज कराने पर दी जाती है। वर्ष 2008–09 में ऐसे 394 व्यक्तियों को 3.53 करोड़ रू. की राशि दी गई। वर्ष 2010–11 में अब तक 269 व्यक्तियों को 4.20 करोड़ रू. की राशि ईलाज हेतु दी गई जिसके अन्तर्गत 208 हृदय रोगी 6 कैंसर रोगी एवं 55 अन्य मरीज शामिल है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय एवं स्वच्छता

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति :–

भारत शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का सन् 2003 में पुनः सर्वेक्षण किया गया है। इसके अनुसार कुल 19744 ग्रामों के 72775 बसाहटें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित की गई है। माह मार्च 2010 तक सभी 72775 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। ग्रामीण पेय जल आपूर्ति कार्य को वर्ष 2009 से ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' नाम दिया गया है। सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए इस योजना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पीने योग्य घरेलू उपयोग हेतु निश्चित गुणवत्ता का पानी पर्याप्त मात्रा में हर समय हर परिस्थिति में उपलब्ध रहना चाहिए। राज्य में अब तक 208152 हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। पेयजल के लिए राष्ट्रीय मापदण्ड 250 जलसंख्या के लिए एक हैण्डपंप के विरूद्ध छत्तीसगढ़ में 80 जनसंख्या पर एक हैण्डपंप स्थापित किए गए हैं।

आमजनों को पेयजल से संबंधित समस्याओं का तुरंत निदान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में टोल फ्री नंबर 1800–233–0008 चालू किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2010–11 में निर्धारित लक्ष्य 11738 के विरूद्ध अब तक 2412 बसाहटों में सफल नलकूप खनित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

उक्त चिन्हित 72775 बसाहटों में 8838 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गई वर्ष 2010–11 में 4662 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक 436 बसाहटों

में वैकल्पिक पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा चुकी है, शेष 4226 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था :–

भारत निर्माण योजना के अधीन चिन्हित समस्त 36072 शालाओं में पेयजल व्यवस्था का कार्य वर्ष 2009–10 तक पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2010–11 में पेयजल चिन्हित 1000 शालाओं में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक 165 शालाओं में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2010–11 में कुल 8 हजार ग्रामीण शालाओं में फोर्स लिफ्ट पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिनमें से अब तक 4556 शालाओं में फोर्स लिफ्ट पंप स्थापित किए जा चुके हैं।

स्पॉट सोर्स योजना :–

स्पॉटसोर्स योजना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 2028 स्पॉट सोर्स योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से 1758 योजनाओं पूर्ण की जाकर संचालन –संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी है तथा 243 स्पॉट सोर्स योजनाओं के कार्य प्रगति पर है एवं 27 योजनाओं के कार्य प्रारंभिक प्रक्रिया में है।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :–

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण जिलो के लिए जनभागीदारी से क्रियान्वित की जाने वाली सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत गृह शौचालय के निर्माण हेतु लागत 2500 रू. बी.पी.एल. परिवारों को 2200 रूपये प्रति हितग्राही सहयोग राशि दिया जाना प्रस्तावित है। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की कुल संख्या 1568600 एवं गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों की कुल संख्या 1823853 है। जिसमें कुल निर्मित निजी शौचालयों की संख्या बी.पी.एल. 946219 एवं ए.पी.एल. 762845 है इस तरह कुल 1709064 शौंचालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत शासन ने निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 521 ग्रामों एवं एक विकासखण्ड को निर्मल ग्राम पुरूस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

तकनीकी शिक्षा

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता युक्त विकास समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय की स्थापना 01.11.2000 में की गई। संचालनालय द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैं :–

1. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं का प्रशासकीय नियंत्रण।
2. राज्य के सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही।

उद्देश्य :

- ❖ तकनीकी शिक्षा का सर्वांगीण एवं बहु–आयामी विकास।
- ❖ अधो–संरचना विकास हेतु तकनीकी ज्ञान का प्रचार एवं शिक्षा।
- ❖ आधुनिकतम तकनीक एवं मेघा–संपन्न मानव संसाधन का विकास।
- ❖ राज्य के खनिज संपदा का राज्य के हित में प्रदूषण रहित विदोहन एवं उपयोग में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग।
- ❖ राज्य में स्थापित विभिन्न संयंत्रों/उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित करने में मार्गदर्शन एवं परामर्श देना।
- ❖ राज्य में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करना।
- ❖ छात्र/छात्राओं में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के प्रति अभिरूचि का विकास।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी ज्ञान हेतु नवीन तकनीकी शाखाओं एवं संस्थाओं का विस्तार एवं प्रस्तुति।
- ❖ तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश।

राज्य की तकनीकी संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम :–

(अ) स्नातक पाठ्यक्रम :– बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस इंजी., इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेकाट्रानिक्स, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी

(ब) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :– मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एप्लाईड जियोलॉजी, एम.बी.ए., सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एम.सी.ए., फॉर्मेसी

(स) डिप्लोमा पाठ्यक्रम :– सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी,

माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन ।

राज्य में तकनीकी शिक्षा की स्थिति

क.	संस्थाएं	1 नवम्बर 2000 की स्थिति में		वर्ष 2010–11 की स्थिति में	
		संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	इंजीनियरिंग	11	2750	50	20250
2	पॉलीटेक्निक	10	1495	23	3520
3	एम.सी.ए.	4	210	10	660
4	एम.बी.ए.	3	160	24	1560
5	एम. फॉर्मा	0	0	05	156
6	बी. फॉर्मा	0	0	11	660
7	डी. फॉर्मा	01	30	09	510
8	आर्किटेक्चर	01	20	01	80
9	एम.ई./एम.टेक	0	0	08	637

प्रवेश प्रकिया :– इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बी.ई. के लिए अर्हकारी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पी.ई.टी. एवं अखिल भारतीय ए.आई.ई.ई.ई. में प्रावीण्य सूची के आधार पर दिया जाता है। एम.ई. /एम.टेक में प्रवेश (GATE) के प्राप्तांकों के आधार पर होता है। एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. के लिए अर्हता स्नातक है तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाना है। पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पी.पी.टी. के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हता 10वीं उत्तीर्ण है।

उपलब्धियां :– राज्य के आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर, नारायणपुर कांकेर एवं दंतेवाड़ा में पॉलीटेक्निक वर्तमान सत्र 2010–11 से प्रारंभ। जशपुर, बैकुण्ठपुर एवं गरियाबंद में भी शासकीय पॉलीटेक्निक वर्तमान सत्र से प्रारंभ। बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, बैकुण्ठपुर एवं जशपुर में पॉलीटेक्निक संस्थाओं की स्थापना केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत की गई है।

राज्य में सूचना प्रौद्यौगिकी के विकास एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए N.T.P.C. के सहयोग से I.I.I.T. की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

राज्य में I.I.M. वर्तमान सत्र 2010–11 से रायपुर में प्रारंभ।

वर्ष 2010–11 से बी.ई., बी. फॉर्मेसी, एम.सी.ए. एवं इंजी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन काउन्सिलिंग के माध्यम से किया गया।

उच्च शिक्षा

1. छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 165 शासकीय, 210 अशासकीय अनुदान रहित एवं 16 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 104800 छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं जिसमें लगभग 20775 सामान्य छात्र, 15233 अनुसूचित जाति तथा 23315 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं एवं लगभग 45477 अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं ।

2. सत्र 2010-11 में विभाग द्वारा 6 नये शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है।

3. सत्र 2010-11 में विभाग द्वारा 4 शासकीय महाविद्यालयों में पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने के साथ–साथ पाठ्यक्रम संचालन हेतु बजट उपलब्ध कराते हुए पदों का सृजन भी किया गया है। साथ ही प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबॉयोलॉजी, सूचना प्रौद्यौगिकी एवं कम्प्यूटर साइंस इत्यादि रोजगारोन्मुखी विषयों का अध्यापन आरंभ किया गया है। तथा सत्र 2010-11 में 30 शासकीय महाविद्यालयों को स्ववित्तीय आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एड ऑन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुदान दिए जाने की योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत राज्य शासन ने 17 महाविद्यालयों में एड ऑन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है।

5. 11 वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज विथ पोटेंशियल फॉर एक्सिलेंस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 05 शासकीय महाविद्यालयों एवं 01 अशासकीय महाविद्यालय को 1.5 करोड रूपये (प्रत्येक) का अनुदान प्रदान किया गया है।

6. 12 शासकीय महाविद्यालयों को उत्कृष्टता मूलक संस्थान घोषित किया गया है। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को विज्ञान संस्थान के रूप में उन्नत किया जा रहा है एवं 17 शासकीय महाविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं ।

7. 21 महाविद्यालयों में अंग्रजी लेब की स्थापना की गई। राज्य के 4 महाविद्यालयों में ई–क्लास रूम योजना चिप्स के माध्यम से प्रारंभ की गई है जिसके अन्तर्गत आई.आई.टी कानपुर के शिक्षा विदों द्वारा महाविद्यालय कैम्पस में उच्च स्तरीय अध्यापन उपलब्ध कराया जा रहा है। दो नये ई–क्लासरूम प्रारंभ करने हेतु शासन की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

8. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 34890 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय किया गया है जिस पर 98.73 लाख रू. व्यय किए गए ।

9. समस्त शासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. का प्रशिक्षण एवं 120 प्रतिभावान छात्र/छात्राओं का चयन कर यू.पी.एस.एसी एवं पी.एस.सी परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है ।

10. सत्र 2010-11 मे विभाग द्वारा शासकीय दू. ब. महिला महाविद्यालय रायपुर एवं शासकीय महाविद्यालय डोंगरगॉव को ऑडीटोरियम निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

11. सत्र 2010-11 में बी.पी.एल. छात्र योजनान्तर्गत 8136 विद्यार्थियों को 2.98 करोड़ रू. की छात्रवृत्ति दी गई है ।

12. उच्च शिक्षा विभाग को इस सत्र 2010-11 में पेंड्रारोड़, रायपुर, अंबिकापुर, जशपुर, जांजगीर चापा, जगदलपुर, कबीरधाम, धमतरी एवं कांकेर के शासकीय महाविद्यालयों में स्टाफ क्वार्टर हेतु राशि 4.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

समाज सेवा

समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबधित दायित्वों को सम्पादन किया जा रहा है। निराश्रित वृद्ध विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त व्यक्तियों के देख–रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख–रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है।

1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु का निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 200 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है। पेंशन की पात्रता केवल राज्य के निवासियों के लिये ही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–2010 में 13193.88 लाख रूपये व्यय किए गए जिससे 833824 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2010–11 में माह सितंबर 2010 की स्थिति में 6964.14 रूपये व्यय कर 833780 हितग्राहियों को आर्थिक सुरक्षा पेंशन दी गई।

1.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य शासन द्वारा जुलाई, 1996 से संचालित भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राज्य द्वारा क्रियान्वित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का एकीकरण किया जाकर युक्तियुक्तकरण किया गया है। फलस्वरूप, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 300 रूपये प्रति माह एकमुश्त पेंशन दी जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–2010 में 12902.18 लाख रूपये व्यय कर 513829 हितग्राहियों को भुगतान किया गया। वर्ष 2010–2011 में माह सितंबर तक 6814.63 लाख रूपये व्यय कर 528123 हितग्राहियों को जीवन यापन हेतु वृद्धावस्था पेंशन दी गई।

1.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 10,000 रू. दिये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजनार्न्तगत वर्ष 2009–2010 में 10816 हितग्राहियों को 1081.60 लाख की सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2010–11 में माह सितंबर की स्थिति में 4850 हितग्राहियों को 485.00 लाख रूपये की सहायता दी गई।

1.4 सुखद सहारा योजना :– इसके अन्तर्गत 18–50 वर्ष तक की विधवा/परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं को 200 रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2009–2010 में 205455 हितग्राहियों को राशि रू. 4990.05 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। वर्ष 2010–2011 में माह सितंबर की स्थिति में 194650 हितग्राहियों को 2408.55 लाख रूपये की सहायता दी गई।

1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 64 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को रू. 200.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में 79912 हितग्राहियों को 1416.98 लाख की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2010-11 में माह सितंबर 2010 की स्थिति में 95433 हितग्राहियों को 1223.23 लाख पेंशन भुगतान किया गया है।

1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 64 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रू. 200.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में 18654 हितग्राहियों को रू. 289.29 लाख पेंशन भुगतान

किया गया है। वर्ष 2010-11 में माह सितंबर 2010 की स्थिति में 24398 हितग्राहियों को रू. 259.03 लाख पेंशन भुगतान किया गया है।

2. स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :– निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि वाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विशेष विद्यालय संचालित हैं। मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा कोरबा एवं रायगढ़ में विद्यालय संचालित हैं। इन स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 में राशि 148.49 लाख रूपये अनुदान स्वीकृत किया गया जिसमें 1875 बच्चे लाभान्वित हुए। वर्ष 2010–2011 में 799 निःशक्त बच्चों के लिए 25.55 लाख रूपये व्यय किये गये।

3. निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– वित्तीय वर्ष 2009-2010 में इस मद में राशि 71.56 लाख रूपये की छात्रवृत्ति 14133 निःशक्त हितग्राहियों को वितरित की गई। छात्रवृत्ति हेतु निःशक्त छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की आय सीमा रू. 8000 प्रतिमाह एवं हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता होना आवश्यक है। वर्ष 2010-2011 में माह सितंबर तक 3585 बच्चों को 8.14 लाख रूपये की छात्रवृत्ति दी गई है।

3. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को ट्रायसिकल, बैसाखी, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बेंत की छड़ी आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक साथ ही रू. 5000 से अधिक एवं रू. 8000 तक आय सीमा होने पर संबधित हितग्राही को भारत सरकार की सहायक यंत्र उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग की सहायता योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि की पूर्ति की जाती है। वर्ष 2009-10 में 228.94 लाख रूपये की राशि राज्य मद से व्यय कर 6857 व्यक्तियों को यंत्र उपकरण प्रदाय किए गए। वर्ष 2010-11 में माह सितंबर तक 1058 व्यक्तियों पर (यंत्र उपकरण खरीद हेतु) रू. 32.49 लाख व्यय किए गए।

4. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : निःशक्तजनों को सामाजिक पुनर्वसन एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 21000 रूपये प्रति विवाहित जोड़े को प्रदाय किया जाता है। विवाह योग्य 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं एवं 21 से 45 वर्ष आयु के पुरूष जिसमें से एक अथवा दोनों व्यक्ति निःशक्त हो, योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का प्रावधान है। वर्ष

2009-10 में 290 विवाहित दंपत्ति को 60.90 लाख रूपये एवं वर्ष 2010-11 में 142 विवाहित दंपत्ति को 29.82 लाख रूपये की सहायता दी गई।

5. समाज रक्षा कार्यक्रम : किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत विधि अवरूद्ध बच्चों हेतु राज्य के 16 जिलों में किशोरों के संरक्षण, भरण–पोषण, चिकित्सीय देख–रेख एवं पुनर्वास की व्यवस्था हेतु संस्थाएं संचालित है। जिसमें अवरूद्ध बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस योजना पर 290.55 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 1871 हितग्राहियों को पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध करायी गई। वर्ष 2010-11 में सितम्बर 2010 तक 183.88 लाख रूपये व्यय किए गए जिससे 1190 किशोरों को लाभान्वित किया गया है।

6. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम** :– प्रदेश के निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों को सहायता अधिनियम 1970 के अन्तर्गत अशासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को वृद्धा आश्रम संचालन करने हेतु जिले में संग्रहित निराश्रित निधि की ब्याज राशि से पात्रतानुसार 90 प्रतिशत राशि प्रदाय की जाती है। निराश्रित वृद्ध जनों के लिए प्रदेश में 17 वृद्धाश्रम संचालित है। जहॉ 365 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे है। वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय अनुदान 5.54 लाख रूपये वृद्धाश्रम को दिये गये है।

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण हेतु हेल्पलाईन की व्यवस्था की गई है, जिसका टोल फ्री टेलीफोन नं. 18001033773 है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

(1) शालेय शिक्षा :– राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालायें संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा 16941 प्राथमिक शालाएं 6202 माध्यमिक शालाएं 422 हाई स्कूल 625 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 5 आदर्श उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय 5 कन्या शिक्षा परिसर 8 एकलव्य आवासीय विद्यालय 1 गुरूकुल विद्यालय एवं 13 खेल परिसर संचालित है।

(2) राज्य छात्रवृत्तियाँ :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 10 तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	402850	846.10	155060	341.20
अनुसूचित जनजाति	901924	534.30	536205	124.05
पिछड़ा वर्ग	765544	841.00	257829	521.20

(3) पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्तियाँ :– कक्षा 11 वी एवं इससे उपर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	40990	10.92	25724	0.00
अनुसूचित जनजाति	72348	33.70	48176	52.05
पिछड़ा वर्ग	105250	3077.04	24124	1232.50

(4) अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ :– अस्वच्छ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र–छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	15161	197.00	1117	125.50

(5) छात्रावास :– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1847 छात्रावास संचालित है। प्रवेशित छात्र को 10 माह के लिये शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	12340	1299.76	11701	539.17
अनुसूचित जनजाति	51786	3022.25	52426	1877.81

(6) आश्रम शाला योजना :– प्रदेश के वनाँचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नही है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 43 एवं अनु. जनजाति के लिए 1113 आश्रम शालाएँ संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	2501	330.91	2201	176.61
अनुसूचित जनजाति	71240	5237.86	74572	2022.80

(7) निःशुल्क गणवेश प्रदाय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहली से आठवी तक के बालक–बालिकाओं को राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	43824	64.14	280358	5.60
अनुसूचित जनजाति	425051	634.00		

(8) निःशुल्क सायकल प्रदाय :– नवमी एवं दसवी में अध्ययनरत छात्राओं को विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क सायकल दिये गये है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	3319	53.72	46567	1261.00
अनुसूचित जनजाति	24183	1.00		
अन्य पिछड़ा वर्ग	10577	263.16	-	-
विशेष पिछड़ी जनजाति	676	9.50	700	18.00

(9) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसी कन्याएँ जो पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रू. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	30340	159.20	14709	62.40
अनुसूचित जनजाति	61546	586.93	42116	238.58

(10) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि (परिवार)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि (परिवार)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	847	115.30	182 (केन्द्र+राज्य)	45.52 (केन्द्र+राज्य)

(11) परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से बैठने वाले छात्र–छात्राओं की परीक्षा में प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	9214	22.25	NA	NA
अनुसूचित जनजाति	6479	24.54	NA	NA

(12) मध्यान्ह भोजन योजना :– प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से बारह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
छात्र / छात्राएं	1629830	13604.50 (केन्द्र+राज्य)	1735912	664.85 (केन्द्र+राज्य)

(13) अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :– अनुसूचित जाति / जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुदान	9	1299.40 (केन्द्र+राज्य)	9	916.66 (केन्द्र+राज्य)

(14) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण :– राज्य में विशेष 5 पिछड़ी जनजातियॉ अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा के विकास हेतु विशेष अभिकरण का गठन किया गया है। जिनके द्वारा 249 अधोसंरचना के कार्य, सामुदायिक कार्य तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए गए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि (कार्य)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि (कार्य)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
कार्य	92	529.58	-	-

(15) अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :– राज्य के सघन अनुसूचित जाति क्षेत्रों में निवासरत लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
कार्य	789	3056.95	302	1081.40

(18) मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी छात्र/छात्राओं को जो दसवी एवं बारहवी बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 700 आदिवासी एवं 300 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने हेतु प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	281	28.80	236	23.60
अनुसूचित जनजाति	676	65.70		

(19) स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन योजना :– विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में माह सितंबर 2010 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2009-10		2010-11 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	3000	9.04	-	-
अनुसूचित जनजाति	26658	59.89	-	-

(20) वाहन चालक प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवकों को वाहन चालक का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008-09 से योजना लागू की गई है। जिसमें इन वर्गों के 271 युवाओं को 34.02 लाख रूपये तक व्यय करने हेतु जिला स्तर पर आबंटित किया गया है। वर्ष 2010-11 में अनु.जाति एवं अनु. जनजाति के क्रमशः 135 एवं 200 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसके लिए वर्गवार रू. 20.00 लाख एवं रू. 40.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। चयन की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है।

(21) एअर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना :– वर्ष 2010-11 में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के क्रमशः 56, 74 युवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है जिसके लिए क्रमशः 45.00 लाख एवं 60.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

(22) सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा

परीक्षा में किसी भी स्तर पर सफल होने पर रू. 1.00 लाख एवं रू. 0.10 लाख (प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर), छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल होने पर रू. 0.20 लाख राशि प्रदान की जावेगी। वर्ष 2010-11 में इस योजनांतर्गत 10 अनु. जाति अभ्यर्थियों के लिए रू. 5.00 लाख एवं 10 अनु. जनजाति अभ्यर्थियों के लिए रू. 5.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

महिला एवं बाल विकास

आई.सी.डी.एस सेवा योजना :– भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यक्ताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया। योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न 6 प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती है। 1. पूरक पोषण आहार 2. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा 3. टीकारण 4. स्वास्थ्य जांच 5. संदर्भ सेवा 6. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। उपरोक्त सेवायें हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र आरंभ किया गया आदिवासी, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में 150 से 300 की जनंसख्या में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 300 से अधिक जनसंख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 150 से 400 की जनसंख्या पर मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 400 से अधिक की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया गया है। 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में कुपोषण शिशु एव मातृ मृत्यु दर जैसी गम्भीर समस्या रही है।

छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व प्रदेश में 152 बाल विकास परियोजनाओं में 20289 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में चरणबद्ध तरीके से विस्तार कर वर्ष 2010 में स्वीकृत नवीन 8826 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 4229 मिनी आगनबाड़ी केन्द्र के साथ कुल 43763 आंगनवाड़ी तथा 6548 मिनी आगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृत प्राप्त है। जिसके माध्यम से जहां 0 से 03 आयु वर्ग के 10.81 लाख, 03–06 आयु वर्ग के 7.99 लाख बच्चे तथा 4.72 लाख गर्भवती व धातृ महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है ।

एस.आर.एस. बुलेटिन के अनुसार विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से शिशु मृत्यु दर की संख्या में निम्नानुसार परिवर्तन दर्ज किया गया है :–

देश/प्रदेश	वर्ष 2000 कुल	वर्ष 2008 कुल	वर्ष 2008 ग्रामीण	वर्ष 2008 शहरी
भारत	68	53	58	36
छत्तीसगढ़	79	57	59	48
मध्यप्रदेश	87	70	75	48

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम :

पूरक पोषण आहार के संबंध में भारत शासन द्वारा फरवरी 2009 में जारी किए गए संशोधित वित्तीय एवं पोषण मापदंडों के अनुरूप प्रदेश में 3 से 6 वर्ष के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों को ग्राम पंचायतों, महिला स्व–सहायता समूहों व नगरीय निकायों के माध्यम से नाश्ता व चावल आधारित गर्म पका हुआ भोजन तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित गेहूं आधारित रेडी–टू–ईट फूड दिया जा रहा है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान में लगभग 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के 18.80 लाख सामान्य बच्चों, 6 माह से 6 वर्ष आयु के 46266 गंभीर कुपोषित बच्चों तथा 4.72 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में पोषण आहार कार्यक्रम पर 21324.67 रू. तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह सितम्बर 2010 तक 9745.59 लाख रू. व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ महिला कोष :–

छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन महिला स्व सहायता समूहों/महिलाओं को वित्त पोषण, आर्थिक स्वावलंबन तथा समग्र रूप से सशक्त बनाने के लिए किया गया है। वर्ष 2002 से गठन उपरांत अब तक कोष द्वारा 16252 महिला स्व–सहायता समूहों को 18 करोड़ 36 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है। कोष द्वारा समूहों को प्रथम बार में 25000 रू. तक का ऋण तथा सफलता पूर्वक भुगतान पश्चात 50000 रू. तक का ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। जोकि शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्र में प्रभावशील है। यह ऋण 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। वर्ष 2009-10 में 2837 समूहों को 6 करोड़ 21 लाख रूपये के ऋण का वितरण किया गया है।

वर्ष 2009-10 से महिला कोष द्वारा सक्षम योजना प्रारंभ की गई। इस योजनांतर्गत 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु 1 लाख रूपये का ऋण 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। वर्ष 2009-10 में सक्षम योजनांतर्गत 68 महिलाओं को 47 लाख 50 हजार रूपये तक के ऋण स्वीकृत किए गए।

वर्ष 2010-11 हेतु 2380 स्व–सहायता समूहों को 595 लाख ऋण वितरित किया जाएगा एवं सक्षम योजना हेतु 170 महिलाओं को 102 लाख का ऋण वितरित किया जाएगा।

किशोरी शक्ति योजनाः–

किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में 158 बाल विकास परियोजनाओं में योजना को लागू किया गया तथा 47400 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। प्रत्येक बाल विकास परियोजना में शाला त्यागी 11 से 18 वर्ष आयु की गरीब किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबद्ध कर स्वास्थ्य एवं पोषण से संबधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, सिकलसेल एनीमिया परीक्षण किया गया तथा आई.एफ.ए. टेबलेट एवं कृमिनाशक टेबलेट दी गई। योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ स्व–सहायता समूह के तर्ज पर किशोरी बालिका समूह का गठन, गांवो में बाल विकास के नारे लेखन, कुपोषित बच्चों की देखभाल इत्यादि कार्य भी योजनांतर्गत किए गए तथा किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2010–11 में भी योजनांतर्गत किशोरी बालिकाओं को योजना से लाभान्वित किया जावेगा।

आयुष्मति योजना : (राजीव जीवन रेखा योजना में समाहित)

ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को इलाज की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । जिसके अन्तर्गत जिला/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड चिकित्सालयों में रोगी महिलाओं को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भरती रहने पर 400 रू. तक तथा एक सप्ताह से अधिक भरती रहने पर 1000 रू. तक की चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज, दवाइयां, टानिक एवं पोषण आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है। यह अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क दवाओं के अतिरिक्त है । रोगी महिला के साथ आए परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में 21704 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं जिन पर 89.59 लाख रू. व्यय हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु सितंबर 2010 तक 4116 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा 9.75 लाख रूपये व्यय हुए हैं।

नारी निकेतन : अनाथ, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता महिला को आश्रय व सहारा प्रदाय करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए प्रदेश में तीन नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। ये नारी निकेतन रायपुर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा में संचालित हैं। संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण–पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

वर्ष 2009-10 में 70 महिलाएं एवं 15 बच्चे लाभान्वित हुए, जिन पर 43.46 लाख रूपये व्यय हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में सितंबर 2010 तक 27 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। तथा 24.80 लाख रूपये व्यय हुए हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : यह अभिनव योजना राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना है।

योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं हेतु प्रत्येक के विवाह हेतु अधिकतम 5000.00 रूपये की राशि व्यय की जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2009-10 में 4619 जोड़ों के विवाह सम्पन्न किए गए। जिन पर 235.81 लाख रूपये व्यय हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में सितंबर 2010 तक 1463 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ है तथा 58.91 लाख रूपये व्यय हुए हैं।

शासकीय झूलाघर : निम्न मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के छः माह से छः वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल के लिए प्रदेश में शासकीय झूलाघर बिलासपुर एवं रायपुर से संचालित है।

वर्ष 2009-10 में 50 बच्चे लाभान्वित किए गए हैं, जिन पर 9.55 लाख रूपये व्यय हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में सितंबर 2010 तक 50 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं तथा 5.09 लाख रूपये व्यय हुए हैं।

बाल संरक्षण गृह : संस्था में 18 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ्य बच्चों को आवास शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में स्थित पांच बाल संरक्षण गृह संचालित है। बालकों के लिए जांजगीर, जगदलपुर तथा दुर्ग एवं बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 164 बच्चे निवासरत रहे हैं जिन पर 73.78

लाख रू. व्यय हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में सितंबर 2010 तक 163 बच्चे संस्था में निवासरत हैं तथा 34.11 लाख रूपये व्यय हुए हैं।

बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र : 0–6 आयु वर्ष के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए रायपुर तथा बिलासपुर में शासकीय बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र संचालित है जहॉ सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में तक 50 बच्चे एवं 15 महिलाएं लाभान्वित हुए हैं जिन पर 9.85 लाख रू. व्यय हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में सितंबर 2010 तक 50 बच्चे एवं 15 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं तथा 5.19 लाख रूपये व्यय हुए हैं।

अध्याय–15

सहकारिता

राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकः– वर्ष, 2009–10 में बैंकों की संख्या छः एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 198 है। वर्ष 2009–10 में बैंकों की अँशपूंजी 14458.20 लाख रू. हो गई इसमें राज्य शासन का अंशदान 1059.11 लाख रूपये रहा। वर्ष 2009–2010 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः 262492.96 लाख रूपये एवं 369911.59 लाख रूपये हो गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2009–2010 में 185577.84 लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये जिसमें 118389.16 लाख़ रूपये अल्पकालीन एवं 67188.68 लाख रू. मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं। इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 104698.91 लाख रूपयों का रहा। वर्ष 2009–2010 में चार जिला सहकारी बैंकों को 6166.59 लाख़ रूपये का लाभ हुआ है, एवं दो बैंकें को 733.77 लाख रू. की हानि हुई है।

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ :– राज्य में वर्ष 2009–2010 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2008–2009 के समान ही है। इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2009–2010 में 14.40 लाख हो गई है।

कुल सदस्यों में से 290665 अनुसूचित जाति, तथा 359323 अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2008–2009 में 24071.23 लाख रूपये थी। यह वर्ष 2009–2010 में कम होकर 12919.16 लाख रूपये हो गई है। कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2009–2010 में 93671.97 लाख रूपये का अल्प ऋण वितरित किया गया, एवं 5008.44 लाख रूपये मध्यकालीन ऋण के रूप में है। इसी अवधि में कुल ऋणी सदस्यों की संख्या 9.09 लाख रही जिसमें 3.36 लाख अनुसूचित जाति तथा 1.79 लाख सदस्य अनुसूचित जनजाति के रहे। वर्षान्त पर सोसायटियों की बैंकों की कुल बकाया ऋण राशि 96624.38 लाख रूपये रही है।

अध्याय–16

बचत एवं विनियोजन

अल्प बचत के अन्तर्गत संग्रहण : अल्प बचत योजना में अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा व्याज की राशि कम होने के कारण निवेशक अन्य वित्तीय संस्थाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं । अतः बचत योजनाओं में निवेशकों की रूचि कम हुई है ।

अधिसूचित वाणिज्यिक अधिकोष

राज्य में समस्त बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या 1590 मार्च 2010 की स्थिति में है। तथा सितंबर 2010 की स्थिति में 1632 शाखाएं हैं। इनमें वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 35 है जिसमें निजी क्षेत्र में 13, सार्वजनिक क्षेत्र में 22, सहकारिता क्षेत्र के 7 एवं तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामिल है। राज्य में बैकों की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रगति का विवरण इस प्रकार हैः–

राज्य में बैकिंग कार्यो की प्रगति

(राशि करोड़ रू.में)

क्र.	विवरण	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 2010	गतवर्ष में वृद्धि	
					राशि	प्रतिशत
1	2	4	5	6	7	8
1	शाखाओं की संख्या	1415	1502	1600	-	-
2	कुल जमा	31618.05	39734.48	49379.55	9645.07	24.27
3	कुल अग्रिम	19094.61	23043.47	27943.07	4899.6	21.26
4	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	60.39	57.99	56.59	-	-
5	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	8924.81	10626.92	15925.37	5298.45	49.86
6	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	46.74	46.12	56.99	-	-
7	कृषि में अग्रिम	4126.28	4248.35	8494.65	4246.3	99.95
8	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	21.61	18.44	30.4	-	-
9	लघु उद्योगों में अग्रिम	1858.86	2711.52	3612.43	900.91	33.23
10	अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	2939.67	3336.54	3818.29	481.75	14.44
11	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	2007.16	2270.14	2842.13	571.99	25.20
12	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	10.51	9.85	10.17	-	-
13	महिलाओं को अग्रिम	997.39	1201.82	1517.53	315.71	26.27

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा–ऋण राशि
मार्च के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति (संदर्भ 9.1)

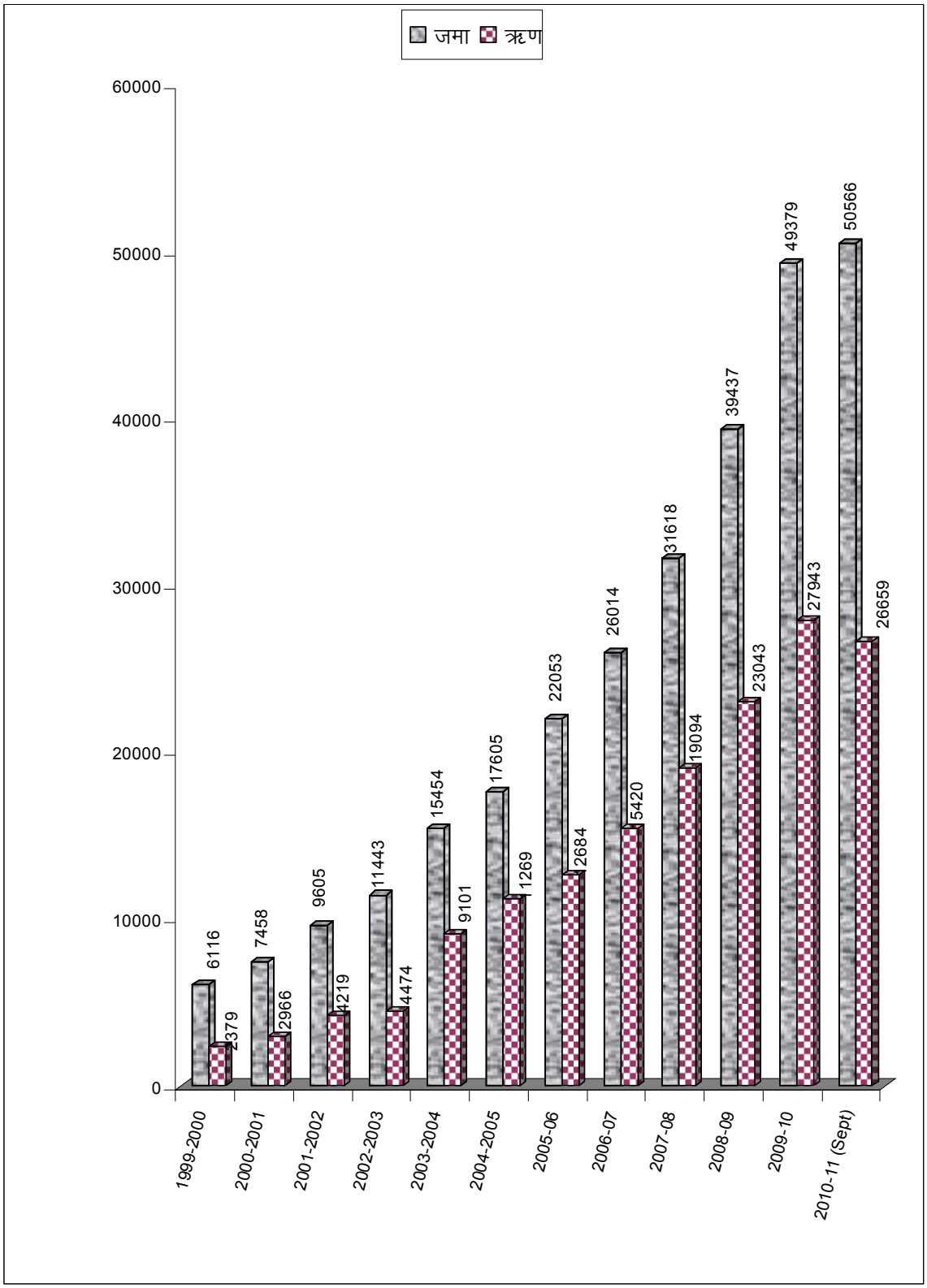

जमाः— राज्य में वित्तीय वर्ष 2009—10 में बैंकों द्वारा जमा की गई कुल राशि 49379.55 करोड़ रू. है, जो गत वित्तीय वर्ष 2008—09 की तुलना में 24.27 प्रतिशत अधिक है। विगत वर्ष की तुलना में इस राशि में 9645.07 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई है।

अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2008—09 में बैंकों के ऋण की कुल राशि 23043.47 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2009—10 में 21.26 प्रतिशत बढ़कर 27943.07 करोड़ रू. हो गई। इस प्रकार इसमें 4899.60 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई।

साख—जमा अनुपातः— यह किसी भी बैंक की कार्यक्षमता को मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है। वित्तीय वर्ष 2009—10 में राज्य में बैकों का साख—जमा अनुपात 56.59 % रहा। विगत वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 56.59 % था।

प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2008—09 में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 10626.92 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2009—10 में 49.86 % बढ़कर 15925.37 करोड़ रू. हो गई। प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की सर्वाधिक वृद्धि कृषि क्षेत्र में 5298.45 करोड़ रू. दर्ज की गई है।

कृषि अग्रिम :— वित्तीय वर्ष 2008—09 में कृषि अग्रिम की कुल राशि 4248.35 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2009—10 में 99.95 % बढ़कर 8494.65 करोड़ रू. हो गई। इस प्रकार यह वृद्धि 4246.30 करोड़ रू. रही। कुल साख की राशि में कृषि अग्रिम का प्रतिशत 99.95 % रहा है।

लघु उद्योगों में अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2008—09 में लघु उद्योगों में अग्रिम की कुल राशि 2711.52 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2009—10 में 33.23 % बढ़कर 3612.43 करोड़ रू. हो गई। यह वृद्धि 900.91 करोड़ रू. है।

अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2008—09 में अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 3336.45 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2009—10 में 14.44 प्रतिशत बढ़कर 3818.29 करोड़ रू. हो गई। यह वृद्धि 481.75 करोड़ रू. है।

अन्य कमजोर वर्ग हेतु अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2008—09 में अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम की कुल राशि 2270.14 करोड़ रू. थी जो 25.20 % बढ़कर 2842.13 करोड़ रू. हो गई, यह वृद्धि 571.99 करोड़ रू. है।

महिलाओं को अग्रिमः— वित्तीय वर्ष 2008—09 में महिला वर्गो के लिए अग्रिम की राशि 1201.82 करोड़ रू थी जो वर्ष 2009—10 में बढ़कर 1517.53 करोड़ रू. हो गई। जो विगत वर्ष से 26.27 प्रतिशत (315.71 करोड़ रू.) है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 2009–10 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय सहायता के रूप में रू. 969.82 करोड़ की राशि संवितरित की गई। इसमें से 599.67 करोड़ की राशि ऋण के रूप में और रू. 12.11 करोड़ की राशि नाबार्ड की विभिन्न निधियों से अनुदान सहायता के रूप में दी गई है तथा रू. 359.03 करोड़ की राशि भारत सरकार की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

2. वर्ष 2009–10 में बैंकिग प्रणाली से राज्य के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रवाह रूपये 2641.79 करोड़ (31 दिसम्बर 2009 को) था, इसमें से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह 2352. 79 करोड़ रूपये था।

3. मार्च 2010 की स्थिति पर मौसमी कृषि परिचालनों (फसल ऋण) के लिए विभिन्न वित्तीय एजेंसियों द्वारा ऋण संवितरण 1604.85 करोड़ रू. के स्तर तक पहुंच चुका है। (वाणिज्य बैंकों के मामले में सितम्बर 2009 की स्थिति) जबकि वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए ऋण संवितरण का लक्ष्य रू. 1528.09 करोड़ था। इस प्रकार 105 प्रतिशत उपलब्धि रही।

4. राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए वर्ष 2009–10 के दौरान क्रमशः 37000.00 लाख रू. 6600.00 लाख रू. की अल्प कालिक मौसमी कृषि परिचालन सीमा मंजूर की गई थी इसके समक्ष अपेक्स बैंक में रू. 36907.00 लाख (99.75 प्रतिशत) का उपयोग किया जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने 4468.00 लाख रू. (67.70 प्रतिशत उपयोग) तक सीमा का लाभ उठाया।

5. राज्य में सभी वित्तीय एजेंसियों द्वारा संचयी रूप से 13.42 लाख किसानों को ऋण जारी किए गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और सहकारी संस्थाओं ने वर्ष के दौरान 174992 नये किसानों को ऋण प्रदान किया। वर्ष 2007–08 ऋण माफी येाजना के तहत रू. 302.80 लाख ऋण जारी किए गए।

6. वर्ष के दौरान राज्य में 74.00 करोड़ रू. का पुनर्वित्त वाणिज्य बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और सीएसएआरडीबी को वितरित किया गया। प्रमुख उद्देश्यों में फार्म यंत्रीकरण लघु सिंचाई, बागवान और बागवानी ग्रामीण उद्योगों सहित गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म वित्त आदि थे।

7. छत्तीसगढ़ में बैंको ने 7.08 लाख मी.टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता निर्माण के लिए 254 गोदामों की इकाईयों का वित्त पोषण किया इसमें 671.711 लाख का बैंक ऋण शामिल है। ग्रामीण गोदाम योजना के तहत रू. 1.51 लाख की राशि सब्सिडी के रूप में जारी की गई ।

8. नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के विभिन्न प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत 19 ग्रामीण गोदामों एक कोल्ड स्टोरेज तथा 11 कृषि विपणन इकाईयों हेतु रू. 4.13 करोड़ की अनुदान सहायता संवितरित की गई। उक्त योजना के तहत अब तक 248 ग्रामीण गोदाम, 28 कोल्ड स्टोरेज, 100 कृषि विपणन अधोसंरचना इकाईयां, जैविक निविष्टियों की सात इकाईयां एवं डेयरी के लिए वेंचर केपिटल फन्ड के अन्तर्गत 03 इकाईयां विकसित की गई।

9. नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार को आरआईडीएफ के अन्तर्गत रू. 111.97 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया। वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा 11 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिनमें राज्य सरकार को रू. 85.575 करोड़ का ऋण दिया जायेगा। इसके फलस्वरूप राज्य में कुल परियेाजनाओं की संख्या 1031 हो गई है जिसकी ऋण राशि 1538.856 करोड़ है एवं इसके समक्ष 31 मार्च, 2010 तक राज्य सरकार को प्रदत्त ऋण की कुल राशि 1185.82 करोड़ रू. है।

10. नाबार्ड द्वारा राज्य के कृषि, गैर कृषि तथा सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों में विभिन्न संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिये रू. 12.11 करोड़ का अनुदान दिया गया। वर्ष के दौरान नाबार्ड के इन प्रयासो में वाटर शेड विकास के अंतर्गत 19707 हेक्टेयर भूमि का विकास, 29 आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 23550 आदिवासी परिवारों को सहायता, दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, ग्रमीण हाटों का निर्माण इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2009–10 की समाप्ति पर छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक टीडीएफ परियोजनाएं कार्यान्वित करने वाला राज्य रहा।

11 इसी प्रकार, 19707 हेक्टेयर की कार्यान्वित की जा रही मौजूदा 18 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अलावा 32000 हेक्टेयर को कवर करने वाली 32 नई परियोजनाएं वर्ष के दौरान चिन्हित की गई हैं। इन नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से वाटरशेड विकास परियोजनाओं की संख्या 50 हो जाएगी और इनमें 51000 हे. क्षेत्र शामिल होगा।

12. वर्ष के दौरान ग्राम विकास योजना में 10 नए गॉव शामिल किए गए और इनको मिलाकर कुल 64 गॉव अब इस योजना में शामिल है, इसके अतिरिक्त भिलाई इस्पात संयंत्र ने दुर्ग जिले में अपने परिचालन क्षेत्र के 21 गांवो में इस योजना को कार्यान्वित करने में

नाबार्ड से सहयोग लिया है। उक्त गांवो में से इस योजना के 3 चरणों के लिए 10 गांवो को चयनित कर लिया गया हैं। वर्ष के दौरान 20 नए गांवो में योजना तैयार करने से संबंधित प्रारभिंक गतिविधियां शुरू की गई है।

13. कृषि विकास हेतु किए जा रहे नियमित प्रयासो के अलावा नाबार्ड से जुड़ी एक नोडल एजेंसी रायगढ़ सहयोग समिति ने नई पहल करते हुए रायगढ़ और जशपुर जिलों के 6 ग्राम विकास कार्यक्रम वाले गांवो में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया।संबंधित गांवो के किसान क्लबों को इस बैंक के प्रबंधन, यंत्रो को किराए पर देने, किराया दर तय करने और उसकी वसूली, रिकार्ड रखने आदि की पूरी जिम्मेदारी दी गई। यह पहल काफी उपयोगी रही है और अब एजेंसियो द्वारा इसे गांवो में अपनाया जा रहा है।

14. गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 62 ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम/कौशल विकास कार्यक्रम में ग्रामीण युवकों को अपनी रोजगार इकाई लगाने हेतु उद्यमिता एवं विकास के लिए रू. 38.15 लाख की अनुदान सहायता दी गई, साथ ही रायगढ़ जिले में बांस और टसर रीलिंग क्लस्टर तथा बस्तर जिले में पारिस्थितिकी पर्यटन क्लस्टर के लिए सहायता दी गई ताकि चिन्हित गतिविधियों का व्यापक रूप से संवर्धन किया जा सके, ग्रामीण नवोन्मेष निधि से सहायता प्राप्त 14 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाएं राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं ।

15. राज्य के 18 में से 10 जिलों में सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम गति पकड़ चुका है, इस कार्यक्रम को और मजबूती देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रामीणजनों, सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के नेताओं और सदस्यों के लिए जागरूकता, संसिटाइजेशन, क्षमता निर्माण तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, वर्ष 2009–10 में छत्तीसगढ़ में बैंको के साथ 12400 स्वयं सहायता समूह ऋण से संबद्ध किये गये, इन समूहों के संवर्धन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य में बैंको और गैर सरकारी संगठनों को अब तक 66 स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्था परियोजना मंजूर की गई है।

16. वर्ष के दौरान 607 नए किसान क्लबों की स्थापना से राज्य में गठित किसान क्लबों की संख्या 1471 हो गई है, क्लब स्तर पर आयेाजित जागरूकता और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या 350 हो गई है। वर्ष के दौरान बैंको और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से राज्य में किसान क्लबों को रू. 32.62 लाख की वित्तीय सहायता दी गई।

17. डॉ बैद्यनाथन समिति की संस्तुतियों के अनुसार अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे हेतु पुनरूद्धार पैकेज के तहत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको और राज्य सहकारी बैंको की विशेष लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान पूरी कल ली गई। राज्य में समस्त 1333 प्राथमिक कृषि सहकारी

समितियों का विशेष अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस पैकेज के अंतर्गत समितियों को भारत सरकार के हिस्से में से रू. 162.68 करोड़ और राज्य सरकार के हिस्से में से रू 31.49 करोड़ की पुनः पंजीकरण सहायता 1047 समितियों को प्रदान की गई हैं।

18 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता समावेश के संस्थागत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय ने रायपुर में एक राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला और बस्तर तथा बिलासपुर में दो कार्यशालाएं आयोजित की। 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड यूएनडीपी सहयोग के तहत इस पहल के कार्यान्वयन की कार्यनीति को सभी हितधारकों के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया गया। यूएनडीपी परियोजना उन गांवो में कार्यान्वित की जा रही है जो आदिवासी विकास, ग्राम विकास और वाटरशेड परियोजना में शामिल हैं। दुर्ग जिले के गुंडरदेही में नाबार्ड यूएनडीपी सहयोग से संसाधन केन्द्र की स्थापना राज्य वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की एक अनूठी पहल है।

19 एनआरएमसी कोलकाता के अनुरोध पर नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय ने पांच राज्यों के कृषक समूह, गैर सरकारी संगठनों और नाबार्ड अधिकारियों के लिए छत्तीसगढ़ की विभिन्न इकाइयों/परियोजनाओं की एक एक्सपोजर विजिट आयेाजित की। प्रतिभागियों ने आदिवासी विकास परियोजना, मछलीपालन इकाई, बीज उत्पादन इकाईयों का दौरा किया और सब्जियों की सामूहिक खेती तथा विपणन करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह से बातचीत की, जो राज्य में कृषि माल की प्रणाली तैयार करने का प्रयास कर रहा है।

20. वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय ने चतुर्थ हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया। इसमें अन्य राज्यों से 83 शिल्पकारों ने भाग लिया। 10 दिन के इस मेले में शिल्पकारों की बिक्री 12 लाख तक पहुंच गई। इस मेले से शिल्पकारों को शहरी ग्राहकों से बातचीत करने और बाजार मांग की रूझान को पहचानने का अवसर मिला साथ ही विभिन्न उत्पादों के डिजाइन,रंग आदि की नवीनतम रूचि को जानने का उन्हें मौका मिला। उक्त मेले के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय ने मुंबई (सरस), कोलकाता (कालीमठ हाट) और अहमदाबाद में आयोजित मेलों के लिए भी शिल्पकारों को सहायता दी।

अध्याय–17

संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन

राजभाषा आयोग :– छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं विकास के लिए कार्यरत अमले के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2009-10 में इस हेतु राशि रू. 62.40 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 30.86 लाख व्यय किए गए। वर्ष 2010-11 में इस योजनांतर्गत राशि रू. 54.11 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से अब तक राशि रू. 11.92 लाख का व्यय हुआ है।

बहुआयामी संस्कृति संस्थान :– बहुआयामी संस्कृति संस्थान, राज्य के समस्त प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन, विकास, प्रचार–प्रसार, संकलन, कार्यशाला आदि के प्रत्यक्ष आयोजन से संबंधित संस्थान होगा, इसे साकार करने के उद्देश्य से आडिटोरियम, मुक्ताकाश मंच, आर्ट गैलरी आदि तैयार करने की योजना बनाई गई है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश की केन्द्र प्रवर्तित योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ हुई है। इस परिसर में आडीटोरियम, मुक्ताकाश मंच, आर्ट गैलरी, कलाविथिकाएं, संग्रहालय, ग्रंथालय, पार्किग स्थल आदि तैयार किए जाने की योजना बनाई गई है।

फोटोग्राफी सेलः– विभाग के अधीन 58 पुरातत्वीय प्राचीन स्मारक है, जिनकी देख–रेख एवं रख–रखाव कार्य किया जाता है। पुरातत्वीय उत्खनन/सर्वेक्षण में प्राचीन पुरातत्वीय स्मारक साईट की खोज होती है। इसका डॉक्यूमेंटेशन तथा विडियोग्राफी की जाती है। साथ ही वांछित स्थलों की समय–समय पर फोटोग्राफी, विडियोग्राफी का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थलों के सर्वेक्षण कार्य के समय वहां की फोटोग्राफी की जाती है। इसके लिए कैमेरा, रील, रील धुलाई, एलबम क्रय आदि किया जाता है। पुरातत्वीय प्रदर्शनी के आयोजन अवसर पर बड़े साईज के छायाचित्र इनलार्ज करवाए जाते हैं तथा प्रदर्शन हेतु रखे जाते हैं। वर्ष 2009-10 में इसके लिए रू. 4.40 लाख का प्रावधान था। जिसके विरूद्ध 5 स्मारकों की फोटोग्राफी की जानी थी ।जिसमें से राशि रू. 4.38 लाख व्यय कर 3 स्थलों की फोटोग्राफी प्राप्त हुई। वर्ष 2010-11 में राशि रू. 8.00 लाख का बजट प्रावधान है। जिसके विरूद्ध अभी तक राशि रू. 1.03 लाख का व्यय हुआ है।

मेला/उत्सव/प्रदर्शनीः– इस योजना का उद्देश्य मेला उत्सव एवं प्रदर्शनी के माध्यम से संस्कृति एवं पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित जानकारी लोकसाधारण तक पहुंचाना है।

इसके अंतर्गत मेला उत्सव व प्रदर्शिनियां राज्य के साथ–साथ राज्य के बाहर भी आयोजित की जाती हैं।

इसमें बुद्ध जयंती प्रदर्शनी, महावीर जयंती अवसर पर पुरातत्वीय प्रदर्शनी, स्वाधीनता दिवस पर प्रदर्शनी, शहीद वीरनारायण सिंह के छायाचित्रों की प्रदर्शनी, छत्तीसगढ़ में भगवान रामचन्द्रजी के वनगमन मार्ग पर आधारित प्रदर्शनी, विश्व धरोहर दिवस पर छत्तीसगढ़ के राज्य स्मारक/धरोहर पर आधारित प्रदर्शनी, गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थल एवं रायपुर में प्रदर्शनी, छत्तीसगढ़ के प्राचीन गहनों (आदिवासी) की प्रदर्शनी, हिन्दी दिवस के अवसर पर रायपुर में प्रदर्शनी, संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्राचीन स्मारकों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी, राज्योत्सव में पुरातत्वीय एवं संस्कृति की झलक से संबंधित प्रदर्शनी, श्री राजीवलोचन महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी, स्वतंत्रता दिवस समारोह, राष्ट्रीय रंग समारोह, नाचा महोत्सव, पावस प्रसंग आजादी 50 आदि कार्यक्रम का आयेाजन किया गया है। इसी प्रकार संगीत प्रतिभा उत्सव, लोक मड़ई मेला राजनांदगांव, दशहरा मेला (बस्तर) जगदलपुर, ग्वालियर म.प्र. के व्यापार मेले में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, रायपुर में राष्ट्रीय शिल्प मेला, लोक नृत्य उत्सव, रायपुर गुरू घासीदास जी की जयंती पर गिरौदपुरी मेला, कुल्लू दशहरा मेला में छ.ग. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, स्वदेशी मेला, जगार, शिल्प मेला में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पंथी नृत्य उत्सव, सरस मेला रायपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावानुसार पारम्परिक मेले उत्सव के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2009-10 में इसके लिए रू. 55.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 42.22 लाख व्यय किए गए थे। वर्ष 2010-11 में राशि रू. 55.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसके विरूद्ध अभी तक राशि रू. 33.21 लाख का व्यय हुआ है।

शोध संगोष्ठीः–इस मद के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित विषय पर राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ तथा कलेक्टर सरगुजा को पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित संगोष्ठी के आयोजन हेतु उत्प्रेरक की भूमिका निभायी गई। हिन्दी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी, विश्व धरोहर दिवस पर संगोष्ठी, संग्रहालय दिवस पर संगोष्ठी तथा पुरातत्वीय धरोहर विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वर्ष 2009-10 में इसके लिए रू. 22.73 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 15.76 लाख व्यय किए गए थे।

उत्खनन तथा सर्वेक्षणः– इस मद के अंतर्गत तहसीलवार एवं ग्रामवार सर्वेक्षण कर पुरातत्वीय धरोहर/स्मारक संरचना, पुरावशेष की जानकारी का एकत्रीकरण जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2005-06 में पुरातत्वीय नगरी 'सिरपुर' का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। वर्ष 2009-10 में इस योजना के लिए राशि रू. 100.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसमें राशि रू. 83.90 लाख का व्यय किया गया, एवं निर्धारित भौतिक लक्ष्य 3 उत्खनन कार्य व 5 सर्वेक्षण कार्य के विरूद्ध 2 उत्खनन कार्य एवं 3 सर्वेक्षण कार्य का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट प्रावधान राशि रू. 100.00 लाख है, जिसमें से 3 उत्खनन कार्य व 5 सर्वेक्षण कर्य किया जाना है।

सार्वजनिक पुस्तकालयः– इस मद के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित महंत सर्वेश्वरदास ग्रंथालय को राज्य केन्द्रीय ग्रंथालय का दर्जा दिया गया है। शहीद स्मारक भवन में स्थानांतरित इस ग्रंथालय को ई–लाईब्रेरी के रूप में विकसित कर आधुनिक ग्रंथालय का रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में राशि रू. 41.00 लाख का प्रावधान था, जिसमे राशि रू. 29.35 लाख व्यय हुए। ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, ग्रंथ, मासिक पत्रिकाएं, ग्लास डोर आलमारियों का क्रय, लकड़ी के रैक्स आदि तैयार किए गए।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए राशि रू. 25.10 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, ग्रंथ, मासिक पत्र–पत्रिकाओं का क्रय, फर्नीचर, कम्प्यूटर उपकरण, आलमारियॉ क्रय किया जाना है।

विभिन्न शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं को अनुदानः– इस मद के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों, सर्वेक्षण, प्रकाशन, प्रदर्शनी, संगोष्ठी के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर तथा पुरातत्व संघ को राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभाग के अंतर्गत शासकीय तौर पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ भिलाई में स्थापित है तथा दूसरी संस्था छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान का गठन कर उसे भी स्थापित किया गया है। इन दोनों संस्थाओं को पोषण अनुदान के साथ–साथ सांस्कृतिक गतिविधियां चलाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस मद में राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल राशि रू. 30.00 लाख का व्यय किया गया था। इस राशि से 37 ऐसी पंजीकृत संस्थाएं जो कि सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करते है, इस हेतु वित्तीय सहायोग/अनुदान प्रदाय किया गया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से इस प्रावधान से विभाग के अंतर्गत स्थापित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ, भिलाई तथा छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान को पोषण अनुदान तथा कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जावेगी। इसके साथ–साथ छत्तीसगढ़ की पंजीकृत संस्थाओं जिनके प्रस्ताव जिलाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी की अनुशंसा से प्राप्त हुए है ऐसी लगभग 69 संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

समारोह हेतु अनुदानः– विभाग के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहित करना कला का प्रचार–प्रसार करना, उनकों शासकीय मंच प्रदान करना, उन्हें प्रदेश, देश एवं देश के बाहर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में राशि रू. 285.00 लाख बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल राशि रू. 282.17 लाख का व्यय किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में राशि रू. 240.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें अभी तक राशि रू. 108.35 लाख का व्यय हुआ है। जिसमें 18 उच्च स्तरीय समारोह (नाट्य संगीत, गायन, शास्त्रीय) महोत्सव का अयोजन किया जाएगा। जिलों में समारोह हेतु वित्तीय सहयोग भी किया जाएगा।

विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थानः– इस योजनांतर्गत स्वामी विवेकानंद के आदर्शो पर आधारित संस्थान का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2009-10 में इस हेतु राशि रू. 5.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 2.61 लाख का व्यय हुआ था। वर्ष 2010-11 में इस योजनांतर्गत 5.00 लाख का बजट प्रावधान प्राप्त हुआ है। आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस योजनांतर्गत राशि रू. 15.00 लाख प्रस्तावित है।

कलाकार कल्याण कोषः– इस योजना मद वरिष्ठ कलाकारों/साहित्यकारों के परिवार को गंभीर बीमारी के ईलाज हेतु परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। वर्ष 2009–10 के बजट में राशि रू. 5.00 लाख का प्रावधान था। इसके लिए कोषालय में विभागाध्यक्ष के पदनाम से पी.डी. अकाउंट है, इसमें उक्त बजट मद में प्रावधानित राशि प्रतिवर्ष जमा होती है। वर्ष 2009–10 में 44 साहित्यकार/कलाकारों पर आर्थिक सहायता के रूप में राशि रू. 5.00 लाख व्यय किए गए।

चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस मद में राशि रू. 5.00 लाख का बजट प्रावधान है। पूर्व में प्रति कलाकारों/साहित्यकारों को राशि रू. 5000/– आर्थिक सहायता दी जाती थी। वर्तमान में शासन स्तर पर निर्णय एवं अनुमोदन पश्चात इसमें वृद्धि की गई है। अब प्रति साहित्यकार/कलाकार को राशि रू. 15000/– मात्र आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसका भौतिक लक्ष्य 30 साहित्यकारों/कलाकारों को अनुदान देने का है।

मुक्तांगन संग्रहालयः– विभाग के अधीन पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय एक महत्वाकांक्षी योजना है। पुरखौती मुक्तांगन की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति के मुलतत्व, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक धरोहर की संपन्नता तथा जनजातीय के साथ प्रकृति के संबंध की अभिव्यक्ति है जिसमें लोक, नागर तथा जनजातीय सांस्कृतिक धारा रूपायित हो। यह एक निर्जिव संग्रहालय न होकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति का जीवंत परिसर होगा जहां सृजनशील मानव की कर्मठता आकार ले सकेगी ।

पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से 18 कि.मी. दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के सन्निकट ग्राम उपरवारा स्थित लगभग 200 एकड़ की विशाल समतल भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

इस परिसर में पैनल, चार्ट, मॉडल के द्वारा भौगोलिक परिस्थितियां सांस्कृतिक पुरातात्विक स्थल, वनौषधि, कृषि, सिंचाई व्यवस्था आदि प्रदर्शित की जाएंगी। फ्लड हिस्ट्री, टेक्टोनिक हिस्ट्री वनस्पतियों का विकास, नदियों एवं पर्वतों का विकास भी प्रदर्शित किया जाएगा। कला के माध्यम से आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन किया जायेगा, इनके साथ खेलगुड़ी, उड़ीसारथ, बस्तर घोटुल, बस्तररथ, राजस्थान गृह, मणिपुर गृह आदि भी विकसित किये जाते है, उपरोक्त प्रकार का विकास करने हेतु परिसर के सिविल कार्यो को करने के लिए ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग को राशियों का समय–समय पर आबंटन किया जा रहा है।

परिसर में कॉस्य प्रतिमाएं, मूर्तिशिल्प काष्ठ शिल्प, लौह शिल्प, ढोकरा शिल्प, मृदा शिल्प, गोदना चित्रकारी, रजवार शिल्प, बांस शिल्प आदि कलाकृतियों को निर्मित कर स्थापित करने हेतु अलग अलग विधाओं की कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। इन कार्यशालाओं में आदिवासी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के शिल्पियों कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। इन्हे कच्ची सामग्री प्रदाय की जाती है। मुख्य शिल्पियों को प्रतिदिन रू. 200/–मात्र मानदेय तथा सहायक शिल्पकार को रू. 150/– मानदेय दिया जाता है। परिसर में ही इनके आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाती है। एक एक विधा की कार्यशाला 15 से 20 दिन की अवधि तक रहती है तथा शिल्पियों की संख्या 15 से लेकर 30 तक रहती है। इसमें कॉस्य प्रतिमाएं, लौह शिल्प कलाकृतियां, काष्ठ शिल्प, बेल मेटल शिल्प, भित्ति चित्र पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग द्वारा सिविल वर्क के तहत सम्पन्न करवाये जा रहे है।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2002-03 से आरंभ हुई है जिसमें इस हेतु बजट प्रावधान राशि 40 करोड़ मात्र था।

वर्ष 2009-10 में राशि रू. 250.00 लाख बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें 11 लघु निर्माण कार्य व 5 कार्यशाला का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू. 240.71 लाख व्यय हुआ एवं 9 लघु निर्माण कार्य व 3 कार्यशाला के आयोजन का लक्ष्य प्राप्त हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 में पुरखौती मुक्तांगन का डी.पी.आर. राशि रू. 201.00 करोड़ का स्वीकृत होने की आशा है। अतः पुरखौती मुक्तांगन के निर्माण कार्य में गति लाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में और अधिक राशि की आवश्यक्ता होगी। अतः 2011-12 हेतु 300.00 लाख प्रस्तावित है, जिससे 12 भौतिक लक्ष्य निर्धारित हैं जिसके अंतर्गत 11 लघु निर्माण तथा 5 कार्यशाला का आयोजन आदि कार्य किए जाने हैं।

गजेटियर और सांख्यिकी विवरणः— इस मद के अंतर्गत कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनभत्ते एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य किए जाते है।

वर्ष 2009—10 में इस मद में वेतन भत्तों को राशि रू. 20.45 लाख का बजट प्रावधान था। चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 में राशि रू. 21.18 लाख का बजट प्रावधान है, जिसके विरूद्ध अभी तक राशि रू. 9.97 लाख का व्यय हुआ है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

छत्तीसगढ़ राज्य में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व के बहुआयामी पर्यटन स्थल हैं। छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों की मूलभूत आवश्यक्ता को पूर्ण करने की दृष्टि से प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने की विभिन्न योजनाओं पर तेजी से अमल किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006 :— इस योजना के अंतर्गत अर्हता पूर्ण करने वाली नवीन इकाईयों एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण हेतु निर्दिष्ट प्रोत्साहन देय होगा। प्रोत्साहन पात्रता इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है :— होटल, टूरिस्ट रिसोर्ट, हेरीटेज होटल, मार्ग सुविधाएं, हेल्थ फॉर्म, कला एवं शिल्पग्राम, मनोरंजन पार्क, कैपिंग एवं टेंट सुविधाएं, साहसिक/मनोरंजक गतिविधियों के केन्द्र, रोप—वे, गोल्फ कोर्स, मल्टीप्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर आदि।

प्रोत्साहन :— इसके अंतर्गत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :— भूमि—प्रीमियम में छूट, भूमि आबंटन, भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि बैंक योजना, भू—आबंटन सेवा शुल्क, वाणिज्यिक कर (VAT), अन्य रियायतें ।

राज्य सरकार द्वारा आबंटित विगत तीन वर्षों के बजट की स्थिति निम्नानुसार हैः– वर्ष 2008–09 हेतु राशि रू. 4100.00 लाख, 2009–10 हेतु राशि रू. 5233.00 लाख तथा 2010–11 हेतु राशि रू. 4535.00 लाख का आबंटन किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा विगत वर्षों में प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियॉ :–

1. पर्यटकों को बुनियादी सुविधा देने हेतु लोक निर्माण विभाग से एक तथा जल संसाधन विभाग से 17 विश्रामगृहों का आधिपत्य ग्रहण करने के उपरांत जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है।

2. राज्य में हिल स्टेशन के रूप में मैनपाट, चैतुरगढ़, राजमेरगढ़, सरोदा दादर (चिल्फी) एवं कबीर चबूतरा को विकसित किया जा रहा है।

3. छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की वेबसाईट में पर्यटन साहित्य को अप–लोड किया गया है।

4. पर्यटन मंडल द्वारा प्रतिवर्ष राजिम कुम्भ महोत्सव, बस्तर लोकोत्सव, भोरमदेव महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, मल्हार महोत्सव, डोंगरगढ़ महोत्सव, नारायणपुर मालवी मेला, रतनपुर महोत्सव, नगपुरा महोत्सव व ताला महोत्सव में भाग लिया जाता रहा है।

5. राज्य में 19.80 करोड़ की लागत से होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। जिसका कार्य प्रगति पर है। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थियों को होटल प्रबंधन संस्थान में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात रोजगार का अवसर प्राप्त होगा तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे।

6. छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए व्यक्तिगत एवं पैकेज टूर के अंतर्गत आरक्षण की सुविधा हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों जैसे :– कोलकाता, नागपुर, नई–दिल्ली, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद एवं भोपाल में पर्यटक सूचना केन्द्र प्रारंभ किया गया है, इसके अतिरिक्त राज्य में चम्पारण्य, बिलासपुर रेल्वे स्टेशन, रायपुर रेल्वे स्टेशन, रायपुर एयरपोर्ट, धमतरी, जगदलपुर एवं डोंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन में पर्यटन सूचना केन्द्रों का निर्माण कर संचालन किया जा रहा है।

अध्याय –18

नगरीय निकाय

विभागीय परिचय :– छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं। विभाग के अधीन स्थापित संचालनालय तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर में स्थापित है।

अधीनस्थ कार्यालय

1. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
2. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर

शहरी गरीबी उपशमन की योजनाओं के संचालन व अनुश्रवण हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यों के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ किए गए हैं।

नगरीय निकाय :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार है :–

निकाय	वर्ष 2000	वर्ष 2003	वर्ष 2010
नगर पालिक निगम	06	10	10
नगर पालिका परिषद्	20	28	33
नगर पंचायत	49	72	125
कुल योग	75	110	168

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :–

1. राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग. रायपुर
2. राज्य की 10 नगर निगम
3. राज्य की 33 नगर पालिकाएं
4. राज्य की 125 नगर पंचायतें

विभाग के दायित्व :– नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित विषय, तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण, छ.ग. नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम का क्रियान्वयन एवं पट्टों के दस्तावेजों का पर्यवेक्षण, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण, चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि प्रशासन, वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन आदि।

सरोवर धरोहर योजना :– शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 9.10 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010 में 213 कार्यों हेतु 3449.23 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 378 परियोजनाओं में रू. 5388.00 लाख व्यय कर 234 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

ज्ञानस्थली योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 3 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के 5 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 7 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 8 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में 460 कार्यों हेतु 1794.66 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 950 शाला भवनों में से रू. 3313.00 लाख व्यय कर 811 शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उन्मुक्त खेल मैदान योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 7.50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में 53 कार्यों हेतु 537.08 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 150 परियोजनाओं में राशि रू. 1411.00 लाख व्यय कर 108 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

पुष्प वाटिका उद्यान योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कॉलोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्पवाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू.11.05 लाख का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में 105 कार्यों हेतु 1394.82 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 220 परियोजनाओं में रू. 2061.00 लाख व्यय कर 160 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

मुक्तिधाम निर्माण योजनाः— शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. 12.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. 9.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। समस्त नगरीय निकायों में योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010—11 में 187 कार्यों हेतु 1663.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में 100 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना :—राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत रू. 25,000/— की लागत से छोटी दुकान एवं रू. 65000/— की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। योजनांतर्गत अभी तक रूपए 2738.52 लाख की लागत से 15359 दुकानों तथा 5429 चबूतरों का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010—11 में 7856 दुकान तथा 2928 चबूतरा कार्य हेतु रू. 2229.16 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

महिला समृद्धि बाजार योजना :— राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेराजगार महिलाओं को सस्ता, सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से **महिला समृद्धि बाजार योजना** प्रथम चरण में प्रदेश के 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010—11 में 778 दुकानों हेतु 194.50 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत अभी तक 515 दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं। 263 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना :—प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 8 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत वर्ष 2010 हेतु 08 निकायों में रू. 2131.49 लाख की योजना के विरूद्ध 16.39 करोड़ की राशि जारी की गई है। दो परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है।

गोकुल नगर योजना :– नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अभी तक राशि रू. 1597.00 लाख की लागत से 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। 05 परियोजना पूर्ण तथा शेष पूर्णता पर है।

कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :– शहरों में निवासरत् आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं/महिलाओं को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरूप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007–08 में लागू की गई है। प्रथम चरण में 5000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरूद्ध 4758 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया है। 2009–10 में द्वितीय चरण में 5000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :–वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकापार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक–एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को रूपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रूपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। योजनांतर्गत अब तक 69 हाट बाजार के लिए रू. 2707.00 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 1929.00 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 03 परियोजना पूर्ण किया जाकर 66 हाट बाजार निर्माणाधीन है।

सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :– वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा,

बैकुण्ठपुर, नारायणपुर में रू. 35.00 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में 25.00 लाख रू. की लागत से निर्माण किये जा सकेंगें।

योजनांतर्गत अब तक 68 सांस्कृतिक भवन के लिए रू. 1916.00 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 1296.00 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 05 परियोजना पूर्ण किया जाकर 63 सांस्कृतिक भवन का कार्य निर्माणाधीन है।

अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना (नवीन योजना) :– नगरीय क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करने, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने तथा स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों या अन्य आर्थिक उद्यमों का संचालन हेतु 3000 वर्गफीट भूमि पर निर्माण हेतु 15 लाख का शत्–प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में 05 निकायों में 23 केन्द्र स्वीकृत कर रू. 3.45 करोड़ राशि प्रदाय की गई है।

भागीरथी नल–जल योजना (नवीन योजना) :– राज्य के लगभग 2.5 लाख गरीब परिवार, विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। ये गरीब परिवार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। वर्तमान में इन परिवारों को सार्वजनिक नल तथा टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इन गरीब परिवार को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किए जाने हेतु भागीरथी नल–जल योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत हितग्राही परिवार से निर्धारित मासिक जल कर लिया जावेगा। इस योजनांतर्गत प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000/– की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। वर्तमान में 05 नगरीय निकायों को 14338 निःशुल्क जल संयोजन हेत रू. 4.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित अन्य जनकल्याणकारी योजनाएंः–

व्यवसायिक परिसरों का निर्माण :– शहरी क्षेत्रों में निकाय के आय के स्रोतों में वृद्धि हेतु व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने के साथ–साथ एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सामाग्री मिल सके। व्यवसायिक परिसरों में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पर पार्किंग, पेयजल तथा शौचालय व्यवस्था हो । इस हेतु वर्ष 2008–09 में अभी तक राशि रूपये 19.03 करोड़ स्वीकृत किया गया है।

नाली निर्माण :– प्रदेश के नगरीय निकायों 10 नगर निगमों, 33 नगरपालिकाओं एवं 125 नगर पंचायतों में वर्षा के समय नाला एवं नालियों के न होने से जलभराव की स्थिति तथा गंदे जल का निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण नालियों के निर्माण के लिए प्रावधान करते हुए उक्त योजनांतर्गत नाली निर्माण, व्यवस्था हेतु अब तक राशि रू. 3206.88 लाख की स्वीकृति देकर राशि उपलब्ध कराई गई है।

द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली :–भारत शासन, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत नगरीय निकायों में एक्रुअल आधार पर द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू करने को अनिवार्य अर्बन रिफार्म एजेण्डा में सम्मिलित किया है। इसका क्रियान्वयन समयबद्ध कार्यक्रम के तहत् किया जाना आवश्यक है। 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत इसके लिए अनुदान दिया जावेगा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों, संचालनालय, राज्य शहरी विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरणों में द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू करने हेतु विशेषज्ञ परामर्शदात्री संस्था की नियुक्ति की जा चुकी है। संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

मॉडल रोड (गौरव पथ) :– प्रदेश के नगरीय निकायों– नगर निगमों, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में व्यस्ततम एक–एक मार्ग को आवश्यक्तानुसार बड़े शहरों की भॉति चौड़ा कर सी.सी. रोड/बी.टी. रोड, नाली निर्माण, फुटपाथ एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रकाश स्तंभों को शामिल किया गया है। योजनांतर्गत अब तक राशि रू. 13621.044 लाख की स्वीकृति देकर राशि उपलब्ध कराई गई है।

विभाग द्वारा भविष्य की कार्ययोजनाएं :–

कम्प्यूटरीकरण :– प्रदेश के समस्त नगरनिगम एवं नगर पालिकाओं को राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान/ऋण के मापदण्ड अनुसार प्रस्तावित समस्त कार्यों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु डाटा बेस आधारित कम्प्यूटरीकरण प्रारंभ किया जा रहा है।

नया रायपुर जल प्रदाय योजना :– 52 एमएलडी जल प्रदाय हेतु रू. 156.23 करोड़ की योजनांतर्गत सर्वे कार्य पूर्ण। इन्टेकवेल निर्माण प्रगति पर।

सिटी बस योजना रायपुर :– रू. 14.85 करोड़ की योजना अंतर्गत 35 बड़ी एवं 65 छोटी बसें प्रावधानित है।

अध्याय–19

पंचवर्षीय योजना

1. ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) :– केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास संकेतकों में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की अवधि हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :–

क्र.	इकाई	वर्तमान स्थिति	11वी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य
1	गरीबी में कमी 1. ग्रामीण 2. शहरी	 45% 7.23%	 23% 5%
2	शिशु मृत्यु दर (IMR)	61/1000	30/1000
3	मातृत्व मृत्यु दर (MMR)	379 (2003 में)	126
4	जन्म दर (TFR)	2.6	2.00
5	कुपोषण	55 (1999 में)	20
6	रक्ताल्पता	NA	27
7	लिंगानुपात	989	999
8	ड्राप आउट रेट	13.62	10
9	साक्षरता दर	65.18%	85%
10	सकल घरेलू उत्पादन (GDP) 1. कृषि 2. उद्योग 3. सेवाएं योग		 3-4% 12.00% 8.00% **9.50%**

विभिन्न विकास संकेतकों के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य की पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) के लिए रूपये 53730.00 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया गया है।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना निम्नानुसार अनुमोदित की गई है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)

(करोड़ रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	कुल परिव्यय	कुल का प्रतिशत
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1,955.46	3.64
2.	ग्रामीण विकास	4,260.06	7.93
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	284.30	0.53
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7,227.73	13.45
5.	ऊर्जा	1,805.37	3.36
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	815.06	1.52
7.	यातायात	7,272.48	13.54
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	3,369.53	6.27
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	1.55
10.	सामाजिक सेवायें	25,568.96	47.59
11.	सामान्य सेवायें	336.36	0.63
कुल योग		**53,730.00**	**100.00**

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संकेतकों में सुधार एवं सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सेवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना की 47.59 प्रतिशत राशि सामाजिक सेवा पर व्यय किए जाने के प्रावधान का प्रस्ताव है। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 10.14 प्रतिशत राशि, शिक्षा पर 4.32 प्रतिशत राशि, स्वास्थ्य सेवाओं पर तथा 14.61 प्रतिशत राशि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य में कृषि के विस्तार के लिए 13.45 प्रतिशत राशि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर तथा यातायात के साधनों के विकास हेतु 13.54 प्रतिशत राशि सड़क सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य के वार्षिक योजना के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉः–

वर्ष 2007–08 में अनुमोदित परिव्यय रूपये 7,413.72 करोड़ के विरूद्व रूपये 6,196.11 करोड़ का व्यय किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2008–09 में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 9,599.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था, जिसके विरूद्व रूपये 8,137.37 करोड़ का व्यय किया गया। कृषि एवं सम्बद्व सेवाओं पर रूपये 623.03 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्व रूपये 655.44 करोड़ का व्यय किया गया। ग्रामीण विकास पर रूपये 605.14 करोड़ के विरूद्व रूपये

425.79 करोड़ का व्यय किया गया एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय रूपये 4,682.10 करोड़ के विरूद्ध रूपये 4,034.58 करोड़ का व्यय किया गया।

वार्षिक योजना 2009–10 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 10,947.02 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया। वार्षिक योजना 2010–11 का अनुमोदित परिव्यय रू. 13230 करोड़ है, जो कि वार्षिक योजना 2009–10 के परिव्यय की तुलना में 20.86 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना 2010–11 में कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु रू.1385.03 करोड़, सिचांई सुविधाओं के विस्तार हेतु रू. 1687.60 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं के विस्तार हेतु रू. 6833.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित परिव्यय

(लाख रूपये में)

क्र.	**प्रमुख क्षेत्रक**	**वार्षिक योजना 2007–08**	**वार्षिक योजना 2008–09**	**वार्षिक योजना 2009–10**	**वार्षिक योजना 2010–11**
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	24,030.60	62,302.83	78,933.31	1,38,502.58
2	ग्रामीण विकास	45,313.72	60,514.00	57,624.65	37,778.26
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	29,155.51	36,495.35	37,731.40	38,726.53
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	97,813.67	93,746.80	96,870.23	1,68,759.70
5	उर्जा	11,132.83	7,064.15	21,180.25	26,129.00
6	उद्योग तथा खनिकर्म	18,318.34	20,464.20	22,055.47	18,966.79
7	यातायात	1,34,366.96	1,44,243.88	1,11,489.53	1,03,767.75
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	18,815.83	34,864.75	28,501.30	32,800.80
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	25,263.22	24,061.71	25,043.21	61,044.41
10	सामाजिक सेवायें	3,26,132.23	4,68,209.93	6,05,941.95	6,83,381.75
11	सामान्य सेवायें	11,029.03	7,932.40	9,331.46	13,142.43
	योग	**7,41,371.94**	**9,59,900.00**	**10,94,702.76**	**13,23,000.00**

वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित व्यय

(लाख रूपये में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना 2007–08 व्यय	वार्षिक योजना 2008–09 व्यय
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	16,297.76	65,544.15
2	ग्रामीण विकास	35,630.39	42,578.91
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	32,072.92	32,238.81
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	84,868.24	91,615.24
5	उर्जा	17,987.61	11,309.35
6	उद्योग तथा खनिकर्म	18495.02	11,814.25
7	यातायात	1,02,995.14	1,00,352.54
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	19,419.06	23,894.08
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	48,497.20	23,288.40
10	सामाजिक सेवायें	2,39,109.69	4,03,458.22
11	सामान्य सेवायें	4,238.00	7,643.06
	योग	**6,19,611.03**	**8,13,737.01**

3. जिला वार्षिक योजना

भारतीय संविधान के 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत अधिकार प्रदान किया गया है। योजना आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला वार्षिक योजनाओं को जिला योजना समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी से बनाई जा रही हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2009–10 हेतु 8 जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत जिला योजना तैयार करके प्राप्त हुई थी तथा वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के लिए सभी 18 जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत जिला योजनाएं राज्य योजना आयोग को प्राप्त हो गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

जिलों द्वारा प्रस्तावित जिला योजना का जिलेवार विवरण

(राशि रूपये लाख में)

स. क्र.	जिला का नाम	जिला योजना वर्ष 2009–10	जिला योजना वर्ष 2010–11	जिला योजना वर्ष 2011–12
1	2	3	4	5
1	सरगुजा	अप्राप्त	71710.92	69071.27
2	जशपुर	26210.49	46687.35	44908.15
3	कोरिया	अप्राप्त	4956.89	27645.58
4	बस्तर	अप्राप्त	100354.94	116388.12
5	दंतेवाड़ा	अप्राप्त	24857.87	40898.26
6	बीजापुर	अप्राप्त	9861.93	40980.93
7	नारायणपुर	अप्राप्त	14055.45	17482.44
8	कांकेर	अप्राप्त	48499.88	43872.91
9	रायपुर	28892.60	30845.34	63445.02
10	महासमुंद	अप्राप्त	56753.64	37847.67
11	धमतरी	39876.16	51211.09	72373.92
12	दुर्ग	अप्राप्त	105788.15	134313.27
13	राजनांदगांव	80619.96	97777.19	96453.72
14	कबीरधाम	34375.35	18061.72	33301.22
15	बिलासपुर	78107.65	110802.01	126603.36
16	जांजगीर–चाम्पा	39186.92	29495.63	40494.47
17	कोरबा	51579.56	51192.71	56500.12
18	रायगढ़	54583.44	91464.76	113498.31
	योग :–	**433432.13**	**964377.47**	**1176078.74**

जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करने के उपरांत योजनावार संबंधित विभागाध्यक्ष को वित्त विभाग व राज्य योजना आयोग द्वारा सूचित किया जाता है जिससे जिलों को उनके प्रस्ताव अनुसार राशि उपलब्ध किया जा सके।

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुरूप राज्य के पांच जिलों यथा महासमुंद, कांकेर, कोरबा, सरगुजा एवं जशपुर में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण में सहयोग देने के लिए GoI- UN Joint Programme on Convergence क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यूनिसेफ तथा यूएनडीपी द्वारा एक–एक तकनीकी सहायक उल्लेखित जिलों में उपलब्ध किया गया है एवं राज्य स्तर पर एक–एक अधिकारी उपलब्ध करवाया गया है।

वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित व्यय

(लाख रूपये में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना 2007–08 व्यय	वार्षिक योजना 2008–09 व्यय	वार्षिक योजना 2009–10 व्यय
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	16,297.76	65,544.15	80827.81
2	ग्रामीण विकास	35,630.39	42,578.91	29593.95
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	32,072.92	32,238.81	30616.70
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	84,868.24	91,615.24	103152.62
5	उर्जा	17,987.61	11,309.35	17795.10
6	उद्योग तथा खनिकर्म	18495.02	11,814.25	16899.73
7	यातायात	1,02,995.14	1,00,352.54	88281.09
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	19,419.06	23,894.08	27872.77
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	48,497.20	23,288.40	59187.55
10	सामाजिक सेवायें	2,39,109.69	4,03,458.22	559961.94
11	सामान्य सेवायें	4,238.00	7,643.06	6246.48
	योग	**6,19,611.03**	**8,13,737.01**	**1020435.74**

भाग–दो

सांख्यिकी तालिकाएँ

:: विषय सूची ::

भाग–दो (सांख्यिकी तालिकाएँ)

1.	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	1–3
2.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	4
3.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	5
4.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	6
5.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	7
6.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर	8
7.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	9
8.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर	10
9.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	11
10.	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	12
11.	प्रमुख फसलों का उत्पादन	13
12.	प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन	14
13.	सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र	15
14.	प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य	16
15.	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य	17
16.	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	18
17.	महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य	19
18.	महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य	20
19.	सड़को की लम्बाई	21
20.	कुल पंजीकृत वाहन	22
21.	छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	23
22.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	24
23.	प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ	25
24.	जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	26
25.	प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति	27

तालिका–1.1

छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
भौगोलिक क्षेत्रफल (ग्रामीण पत्रक अनुसार)	**वर्ग कि. मी.**		137898
प्रशासनिक संरचना			
जिला	संख्या	2009–10	18
तहसीलें	–,,–	–,,–	149
विकास खण्ड	–,,–	–,,–	146
आदिवासी विकास खण्ड	–,,–	–,,–	85
कुल ग्राम	–,,–	जनगणना 2001	20308
कुल जनसंख्या	हजार	–,,–	20834
पुरूष	–,,–	–,,–	10474
स्त्री	–,,–	–,,–	10360
ग्रामीण	–,,–	–,,–	16648
नगरीय	–,,–	–,,–	4186
अनुसूचित जाति	–,,–	–,,–	2419
अनुसूचित जनजाति	–,,–	–,,–	6617
जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	प्रतिशत	–,,–	18.27
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	–,,–	154
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	–,,–	989
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान)			
प्रचलित भावों पर	रूपये	2009–2010	38059
स्थिर (2004–2005) भावों पर	–,,–	–,,–	25835
कृषि वर्ष 2009–2010			
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	–,,–	4683
कुल बोया गया क्षेत्र	–,,–	–,,–	5561
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1323
कुल सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1487
कृषि जोत (कृषि संगणना)			
कृषि जोतों की संख्या	लाख	2005–2006	34.61
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	–,,–	52.10
कृषि जोतों का औसत आकार	हेक्टेयर	–,,–	1.51
कृषि उत्पादन (वास्तविक)			
अनाज	हजार मेट्रिक टन	2009–2010	4653
खाद्यान्न	–,,–	–,,–	5163
तिलहन	–,,–	–,,–	178

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
धान	—,,—	—,,—	6521
गेंहूं	—,,—	—,,—	119
मक्का	—,,—	—,,—	145
चना	—,,—	—,,—	230
तुअर	—,,—	—,,—	28
स्त्रोतः—आयुक्त भू—अभिलेख			
पशु संगणना 2007			
गौवंश पशु	हजार में	2007	9486
भैंस वंशीय पशु	—,,—	—,,—	1603
भेंड़ / भेंड़ी	—,,—	—,,—	140
बकरा / बकरी	—,,—	—,,—	2766
सूअर	—,,—	—,,—	412
अन्य पशु	—,,—	—,,—	3319
कुक्कूट	—,,—	—,,—	14245
विद्युत			
अधिष्ठापित उत्पाद क्षमता	मेगावॉट	2009—2010 *	1924.70
उत्पादन	मि.यू.	—,,—	13545.79
उपभोक्ताओं की संख्या	हजार	—,,—	3010
घरेलू विद्युत उपभोक्ता	—,,—	—,,—	2544
विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	—,,—	19132
एक बत्ती कनेक्शन	हजार	—,,—	1059.48
* (प्रावधिक)			
मत्स्योत्पादन			
मछली उत्पादन	हजार मीट्रिक टन	2009—2010	174.25
वन			
वनों का कुल क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी. में	2009—2010	59772
आरक्षित वन	—,,—	—,,—	25782
संरक्षित वन	—,,—	—,,—	24036
अवर्गीकृत	—,,—	—,,—	9954
परिवहन			
कुल सड़कों की लंबाई	कि.मी.	दिस., 2010	33448.75
पंजीकृत वाहन	हजार	मार्च, 2009	2435.00
साक्षरता			
कुल	प्रतिशत	जनगणना, 2001	64.66
पुरूष	—,,—	—,,—	77.38
स्त्री	—,,—	—,,—	51.85
शैक्षणिक संस्थायें			

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2009–10	37678
माध्यमिक विद्यालय	–,,–	–,,–	15748
हाई स्कूल उ. मा. विद्यालय	–,,–	–,,–	2208
माध्यमिक (10+2) विद्यालय	–,,–	–,,–	2635
सामान्य शैक्षणिक महाविद्यालय	–,,–	–,,–	165
तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थाएं	–,,–	2010–11	141
विश्व विद्यालय(केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित)	–,,–	2009–10	07
स्वास्थ्य सेवाएं			
जिला चिकित्सालय	संख्या	नव. 2010	17
सिविल अस्पताल	–,,–	–,,–	17
सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	–,,–	148
प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	–,,–	741
उप स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	–,,–	5076
जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय	संख्या	–,,–	07
आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक औषधालय	–,,–	–,,–	693
आयुष विंग,स्पेस्लाइस्ड थेरेपी सेन्टर, स्पेशिलिटि क्लीनिक, आयुष केन्द्र	–,,–	–,,–	460
नियोजन			
पंजीकृत बेरोजगार	हजार	अक्टू 2010	225
जीवित पंजी पर दर्ज व्यक्ति	–,,–	–,,–	1331
नौकरी दिलाये गये व्यक्ति	संख्या	–,,–	2526
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
कार्यालय/शाखाएँ	संख्या	मार्च, 2010	1295
जमा राशि	करोड़	–,,–	48417
ऋण राशि	–,,–	–,,–	25540

तालिका क्रमांक 2.1
छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (P)	2009-10 (Q)	2010-11 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	705744	890805	967892	1295565	1284362	1489049	1631127
2	वन उद्योग	257701	262491	290518	311445	322580	372440	440549
3	मत्स्य उद्योग	52465	59822	72536	75227	87008	92683	100742
4	खनन तथा उत्खनन	536715	678985	810723	976239	996505	1006418	1158502
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1552625**	**1892104**	**2141668**	**2658477**	**2690455**	**2960590**	**3330920**
5	**विनिर्माण**	**1047925**	**918164**	**1490190**	**1801186**	**2023347**	**2448516**	**2963742**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	935064	791703	1335169	1619746	1820314	2212629	2689653
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	112861	126461	155021	181440	203033	235887	274089
6	निर्माण कार्य	327428	430685	644367	668015	795086	929231	1125590
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	210074	212490	235546	295678	753062	820082	1006612
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1585427**	**1561339**	**2370103**	**2764879**	**3571495**	**4197829**	**5095944**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**231187**	**254911**	**316602**	**375366**	**446448**	**541814**	**655860**
8.1	रेलवे	54939	57299	76116	84313	93031	106577	122096
8.2	परिवहन	128850	151953	187102	230940	281364	345939	425843
8.3	स्टोरेज	5127	5176	6229	7518	9109	10725	12534
8.4	संचार	42271	40482	47155	52596	62944	78573	95386
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**409082**	**508972**	**575003**	**708245**	**802100**	**967267**	**1196768**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**427193**	**481569**	**561058**	**667536**	**782116**	**927301**	**1077690**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	111485	124964	157240	178150	218201	258404	306014
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	315708	356605	403818	489386	563915	668897	771676
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**580716**	**639215**	**723055**	**851007**	**1025357**	**1387542**	**1614573**
11.1	लोक प्रशासन	165767	200130	205799	228362	290011	366270	481119
11.2	अन्य सेवाएँ	414949	439085	517256	622645	735346	1021272	1133454
स	**उप–योग**	**1648178**	**1884667**	**2175718**	**2602155**	**3056021**	**3823924**	**4544890**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**4786229**	**5338110**	**6687489**	**8025511**	**9317971**	**10982343**	**12971754**
	जनसंख्या (लाख में)	223	227	232	236	241	245	250
	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)	21463	23516	28825	34006	38664	44826	51887

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम
स्त्रोत – आर्थिक एवं सॉख्यिकी संचालनालय,

तालिका क्रमांक 2.2
छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (P)	2009-10 (Q)	2010-11(A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	705744	832472	873831	974345	831382	920385	965663
2	वन उद्योग	257701	255423	262794	273137	273046	278015	283598
3	मत्स्य उद्योग	52465	57568	60191	60898	69342	73514	78710
4	खनन तथा उत्खनन	536715	571913	640056	671729	737414	778273	805875
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1552625**	**1717375**	**1836872**	**1980108**	**1911184**	**2050187**	**2133847**
5	**विनिर्माण**	**1047925**	**855197**	**1290532**	**1453736**	**1449024**	**1637546**	**1849855**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	935064	736177	1155549	1304310	1296487	1470608	1667239
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	112861	119019	134983	149426	152537	166938	182616
6	निर्माण कार्य	327428	408127	574353	556165	595071	684197	819993
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	210074	206128	204466	227750	498874	555892	635725
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1585427**	**1469451**	**2069351**	**2237650**	**2542970**	**2877635**	**3305573**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**231187**	**249364**	**296819**	**333814**	**366596**	**408384**	**459139**
8.1	रेलवे	54939	58269	70727	73814	80129	88624	98020
8.2	परिवहन	128850	142907	163381	185585	200659	219642	240716
8.3	स्टोरेज	5127	4881	5513	6055	6703	6957	8073
8.4	संचार	42271	43307	57198	68360	79104	93160	112330
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**409082**	**433713**	**494142**	**556069**	**596318**	**676357**	**770417**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**427193**	**467343**	**524998**	**567975**	**621223**	**688414**	**773210**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	111485	134604	173825	198957	232647	279914	336783
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	315708	332738	351174	369018	388576	408500	436427
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**580716**	**603528**	**637634**	**688760**	**758880**	**906815**	**1045800**
11.1	लोक प्रशासन	165767	189468	183538	187376	218987	247012	319032
11.2	अन्य सेवाएँ	414949	414060	454097	501385	539893	659804	726768
स	उप–योग	**1648178**	**1753948**	**1953594**	**2146618**	**2343017**	**2679970**	**3048567**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**4786229**	**4940774**	**5859816**	**6364377**	**6797171**	**7607792**	**8487986**
	जनसंख्या (लाख में)	223	227	232	236	241	245	250
	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)	21463	21766	25258	26968	28204	31052	33952

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत – आर्थिक एवं सॉख्यिकी संचालनालय,

तालिका क्रमांक 2.3

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (P)	2009-10 (Q)	2010-11 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	639982	816587	881435	1197268	1186915	1376072	1507370
2	वन उद्योग	254303	259541	287128	308006	319092	368901	436959
3	मत्स्य उद्योग	45776	52148	63528	65860	77267	82308	87733
4	खनन तथा उत्खनन	447709	557755	662793	793736	810213	820126	972210
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1387770**	**1686032**	**1894883**	**2364871**	**2393487**	**2647407**	**3004273**
5	**विनिर्माण**	**820238**	**635345**	**1140835**	**1412066**	**1586250**	**1919797**	**2324031**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	738012	543771	1025411	1273572	1431274	1739744	2114818
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	82226	91574	115424	138494	154976	180053	209213
6	निर्माण कार्य	314677	413553	617370	638396	759833	888030	1075683
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	94882	93923	88145	105034	267510	291318	357579
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1229797**	**1142821**	**1846350**	**2155496**	**2613594**	**3099145**	**3757293**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**198855**	**220767**	**279181**	**334400**	**401866**	**493180**	**602671**
8.1	रेलवे	38565	40787	59270	65999	74010	86822	101579
8.2	परिवहन	119837	141278	174865	217013	265260	327319	404313
8.3	स्टोरेज	4962	4982	5982	7196	8706	10221	11904
8.4	संचार	35491	33719	39064	44193	53890	68818	84875
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**401430**	**499427**	**563604**	**694453**	**785312**	**946833**	**1171897**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**386594**	**434610**	**507174**	**604227**	**708688**	**842133**	**978901**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	109306	122480	154344	175031	214684	254438	301542
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	277288	312130	352830	429196	494004	587695	677360
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**534231**	**582792**	**662379**	**781337**	**945437**	**1295834**	**1509305**
11.1	लोक प्रशासन	133773	160773	165177	182239	237774	307108	414113
11.2	अन्य सेवाएँ	400458	422019	497202	599098	707663	988726	1095192
स	**उप–योग**	**1521110**	**1737596**	**2012338**	**2414418**	**2841304**	**3577980**	**4262774**
	कुल योग (अ ब स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)	**4138676**	**4566449**	**5753571**	**6934785**	**7848385**	**9324532**	**11024339**
	जनसंख्या (लाख में)	223	227	232	236	241	245	250
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	18559	20117	24800	29385	32566	38059	44097

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत – आर्थिक एवं सॉख्यिकी संचालनालय,

तालिका क्रमांक 2.4

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (P)	2009-10 (Q)	2010-11 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	639982	761507	796216	891150	760394	841797	883210
2	वन उद्योग	254303	252593	259748	270234	270279	275379	281085
3	मत्स्य उद्योग	45776	50114	51455	51689	59634	63222	67696
4	खनन तथा उत्खनन	447709	457117	505982	513021	563187	604046	631648
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1387770**	**1521330**	**1613401**	**1726093**	**1653494**	**1784445**	**1863638**
5	**विनिर्माण**	**820238**	**585475**	**966800**	**1104456**	**1100844**	**1244116**	**1405469**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	738012	499128	867401	992140	986189	1118637	1268206
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	82226	86346	99399	112316	114654	125479	137263
6	निर्माण कार्य	314677	391698	549178	529410	566445	651283	780546
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	94882	93564	71866	65854	144250	160736	183820
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1229797**	**1070736**	**1587844**	**1699719**	**1811538**	**2056135**	**2369835**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**198855**	**217011**	**262291**	**297798**	**328980**	**368962**	**417680**
8.1	रेलवे	38565	42758	55228	58065	64576	73265	82852
8.2	परिवहन	119837	132634	151851	172862	186386	203629	222751
8.3	स्टोरेज	4962	4695	5290	5782	6380	6575	7621
8.4	संचार	35491	36924	49922	61089	71638	85493	104456
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**401430**	**424610**	**483727**	**544126**	**582463**	**660282**	**751768**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**386594**	**422945**	**476862**	**515361**	**563858**	**625868**	**705016**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	109306	132238	171152	196172	229623	276630	333217
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	277288	290706	305711	319189	334235	349238	371798
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**534231**	**549709**	**582352**	**628117**	**692444**	**834004**	**965968**
11.1	लोक प्रशासन	133773	151922	146647	147436	175868	200462	268778
11.2	अन्य सेवाएँ	400458	397787	435706	480682	516576	633542	697190
स	**उप–योग**	**1521110**	**1614275**	**1805233**	**1985402**	**2167744**	**2489115**	**2840432**
	कुल योग (अ़ब़स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)	**4138676**	**4206341**	**5006477**	**5411215**	**5632777**	**6329695**	**7073905**
	जनसंख्या (लाख में)	223	227	232	236	241	245	250
	प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (रूपयों में)	18559	18530	21580	22929	23373	25835	28296

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत – आर्थिक एवं सॉख्यिकी संचालनालय,

तालिका –2.5

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	21.86	-1.52	14.35	11.53
2	2006-07	13.19	51.80	15.44	25.28
3	2007-08	24.13	16.66	19.60	20.01
4	2008-09(P)	1.20	29.17	17.44	16.10
5	2009-10(Q)	10.04	17.54	25.13	17.86
6	2010-11(A)	12.51	21.39	18.85	18.11

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.6

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों(2004–2005) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	10.61	-7.32	6.42	3.23
2	2006-07	6.96	40.82	11.38	18.60
3	2007-08	7.80	8.13	9.88	8.61
4	2008-09(P)	-3.48	13.64	9.15	6.80
5	2009-10(Q)	7.27	13.16	14.38	11.93
6	2010-11(A)	4.08	14.87	13.75	11.57

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.7

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से)
प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	21.49	-7.07	14.23	10.34
2	2006-07	12.39	61.56	15.81	26.00
3	2007-08	24.80	16.74	19.98	20.53
4	2008-09(P)	1.21	21.25	17.68	13.17
5	2009-10(Q)	10.61	18.58	25.93	18.81
6	2010-11(A)	13.48	21.24	19.14	18.23

(X) =कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) =विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) =प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.8

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	9.62	-12.93	6.12	1.63
2	2006-07	6.05	48.29	11.83	19.02
3	2007-08	6.98	7.05	9.98	8.08
4	2008-09(P)	-4.21	6.58	9.18	4.09
5	2009-10(Q)	7.92	13.50	14.83	12.37
6	2010-11(A)	4.44	15.26	14.11	11.76

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन (#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –3.1

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	अनाज									
1.1	धान	3810.1	3777.7	3829.0	3843.8	3854.3	3905.3	3902.9	3928.8	3837.7
1.2	गेहूँ	97.9	93.8	106.1	99.2	97.1	93.2	95.0	94.8	109.1
1.3	ज्वार	9.4	9.3	9.1	8.4	8.5	6.0	7.7	5.3	5.6
1.4	मक्का	93.8	94.0	98.6	97.9	101.6	100.1	100.1	99.3	101.7
1.5	कोदो–कुटकी	229.3	212.9	205.4	194.2	177.7	161.1	151.9	145.5	137.1
1.6	जौ	4.2	4.0	4.4	4.0	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1
1.7	छोटे अनाज	60.7	57.7	56.4	56.8	50.4	49.1	64.6	54.3	44.30
2.0	**दालें**									
2.1	चना	169.5	175.6	204.7	233.3	242.7	231.4	243.5	237.5	263.9
2.2	तुअर	50.3	55.7	52.3	52.5	50.7	53.8	50.4	49.2	52.9
2.3	उड़द	119.0	122.5	121.3	119.5	117.6	114.5	114.9	110.8	107.2
2.4	मूग–मोठ	15.3	16.5	18.1	16.4	17.1	16.6	16.2	16.2	16.5
2.5	कुल्थी	61.2	57.5	56.7	55.4	53.9	52.8	53.0	51.6	51.1
2.6	लाख (तिवड़ा)	416.8	330.1	460.9	449.4	458.1	425.4	428.6	387.6	327.5
3.0	**गन्ना**	7.1	9.1	11.2	12.3	14.5	19.2	19.3	16.0	14.7
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	33.8	34.3	36.3	34.1	32.8	33.1	31.7	30.5	30.6
4.2	रामतिल	74.6	72.0	74.4	73.1	72.8	72.8	71.9	70.9	68.1
4.3	तिल	23.6	24.8	25.1	24.3	24.6	21.3	21.2	20.0	19.6
4.4	सोयाबीन	14.6	15.2	20.8	32.3	46.8	64.5	72.9	81.8	83.7
4.5	अलसी	82.3	67.6	75.0	71.1	70.8	64.6	55.9	47.6	44.8
4.6	राई सरसों	50.3	47.5	55.3	54.5	57.2	54.5	51.4	52.0	52.3

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका –3.2
प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	5073.7	2634.9	5567.6	4586.8	5267.5	5441.5	5635.0	6021.8	6520.9
1.2	गेहूँ	103.5	98.6	108.6	85.2	85.2	94.0	104.6	97.4	118.92
1.3	ज्वार	9.2	5.8	7.6	4.9	5.8	5.2	7.2	6.3	6.8
1.4	मक्का	69.7	122.6	135.0	140.0	109.6	123.5	157.1	139.9	145.36
1.5	कोदो–कुटकी	53.9	29.4	50.9	38.6	29.3	30.0	39.2	24.9	22.83
1.6	जौ	3.5	3.1	4.3	3.5	3.0	2.8	4.0	2.8	2.3
1.7	छोटे अनाज	18.5	13.5	16.8	12.5	13.1	6.9	16.8	9.5	9.3
2.0	**दालें**									
2.1	चना	124.6	113.1	197.3	119.7	172.2	193.5	212.4	190.3	230.18
2.2	तुअर	20.2	24.1	31.5	26.9	22.5	22.9	26.3	28.4	27.61
2.3	उड़द	36.3	29.4	35.1	32.6	33.9	34.5	35.1	32.4	29.20
2.4	मूँगमोठ	4.4	4.0	4.8	3.9	4.3	4.3	4.2	4.0	3.94
2.5	कुल्थी	20.7	13.9	18.4	16.4	17.6	16.6	16.9	16.1	14.13
2.6	लाख (तिवड़ा)	230.5	170.3	278.8	175.3	208.3	225.2	553.0	211.0	193.19
3.0	**गन्ना**	9.0	10.0	13.3	16.5	19.0	20.3	27.3	22.0	35.35
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	41.7	38.1	40.2	38.1	35.5	37.7	40.0	37.7	45.06
4.2	रामतिल	14.3	11.5	13.1	12.1	12.3	12.8	12.8	12.6	10.90
4.3	तिल	5.7	6.4	7.1	7.3	7.3	6.4	6.7	6.1	8.64
4.4	सोयाबीन	12.0	8.3	18.4	31.0	41.9	64.2	83.6	79.9	77.83
4.5	अलसी	22.2	19.7	23.1	16.3	17.5	16.2	17.1	13.0	13.00
4.6	राई सरसों	18.7	15.6	22.8	20.6	18.2	21.8	20.6	19.7	21.68

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका –3.3

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999-2000	1337	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	988	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	1402	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	683	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	1531	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1232	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	1367	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	1425	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	1451	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1198	1027	1188	1404	801	583	977	अनुपलब्ध	2387
2009-2010	1179	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –3.4

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	1999–2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000–2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001–2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002–2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003–2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004–2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005–2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006–2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007–2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008–2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009–2010	869701	50398	26790	375903	1322792

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –4.1

प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य

(रूपये प्रति क्विंटल)

फसल / किस्म	विपणन वर्ष				
	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2009–10
1	3	4	5	6	7
धान–सामान्य	580+40	645+100	850+50	950+100	1000+50
धान– ग्रेड–ए	610+40	675+100	880+50	980+100	1030+50
ज्वार, बाजरा आदि	540	600	860	840	-
मक्का	540	620	840	840	880
गेंहूँ	650	1000	1000	1150	1100
चना	1435	1600	-	-	-
मूंगफली	1520	1550	-	-	-
तुअर	1410	1550+40	-	-	-
उड़द	1520	1700+40	-	-	-
मूंग	1520	1700+40	-	-	-
सूर्यमुखी	1500	1510	-	-	-
राई एवं सरसों	1715	1800	-	-	-
सोयाबीन काली / पीली	900	910	-	-	-
	1020	1050	-	-	-

* –अनिर्धारित

रबी फसलें – गेहूँ, चना एवं राई व सरसों ।

खरीफ फसलें– धान, ज्वार, बाजरा व मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी ।

विपणन वर्ष– गेंहूँ, चना, राई व सरसों (अप्रैल–मार्च), अन्य फसलें (अक्टूबर से सितंबर) ।

स्त्रोत – संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़

तालिका –5.1

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा
का उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन में)
(मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य							
	इन्गाट्स		प्रापजी राडस		ोल्ड उत्पादन		योग	
	ात्रा	मूल्य	ात्रा	मूल्य	ात्रा	मूल्य	ात्रा	ूल्य
-2001	361	806	621	0337	267	398	0249	0541
-2002	0805	7382	3433	1443	305	843	9543	7668
-03	0490	2922	7490	9947	7510	272	5490	1141
-04	3149	1834	3243	4865	696	696	7088	2395
-05	342	707	4551	2132	803	803	2696	9642
-06	6462	7251	3302	5255	0391	456	0155	0962
-07	4482	9832	2948	2263	7572	366	5002	5461
-08	5785	4496	1183	5962	693	397	8661	2855
-09	2342	5528	7041	8150	7398	991	6781	3669
-10	4173	2307	8280	9901	5972	040	8425	4248
-11 December	1102	7334	3376	3915	3889	910	3367	1159

स्त्रोत–भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ ।

तालिका –5.2

महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(हजार मेट्रिक टन में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	50,226	557	20016	695	13954	12979
2001-02	53,677	556	18660	855	13149	13887
2002-03	56758	611	19781	918	13626	10630
2003-04	61505	888	23361	1005	13833	13342
2004-05	69253	1111	23118	1043	14855	23503
2005-06	76358	1332	26084	1109	15088	98734
2006-07	83241	1593	28731	1120	14972	100835
2007-08	90172	1794	30997	1295	14172	63218
2008-09	101913	1668	30093	1341	15318	59776
2009-10*	110398	1784	28290	1015	16474	56708

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ

* अनंतिम

तालिका –5.3
महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

(लाख रू. में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	300026	2529	49042	1816	18495	10
2001-02	286880	1445	63231	2320	17022	11
2002-03	355239	2188	69834	2351	15145	9
2003-04	334587	2774	84162	2430	15492	13
2004-05	417436	2900	131138	2329	17090	35
2005-06	489378	3861	237338	2524	19316	148
2006-07	532010	5487	326767	2617	21402	184
2007-08	581204	7083	468950	2944	19394	146
2008-09	651346	4989	528337	3393	21509	175
2009-10*	719511	10390	461562	2921	21024	130

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ

* अनंतिम

तालिका–5.4

महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य

(रूपयों में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	597	454	245	261	133	77
2001-02	534	260	339	271	129	79
2002-03	525	358	353	256	111	85
2003-04	544	312	360	242	112	97
2004-05	603	261	567	223	115	149
2005-06	641	290	910	228	128	150
2006-07	639	344	1137	234	143	182
2007-08	645	395	1513	227	137	231
2008-09	639	299	1756	253	140	292
2009-10	652	582	1632	287	127	229

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ

* अनंतिम

तालिका –6.1

सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राज्यमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला ग्रामीण मार्ग	कुल सड़कों की लम्बाई (लो.नि.वि.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
1	2	3	4	5	7	6
2000-2001	1,827	2,197	3,532	27,526	35,082	0.00
2001-2002	1,827	3,611	2,118	27,526	35,082	0.00
2002-2003	1,827	3,611	2,118	28,768	36,324	683.47
2003-2004	2225	3213	2118	28768	36324	1071.77
2004-2005	2225	3213	4814	24678	34930	921.87
2005-2006	2225	3213	4817	24756	35728	2004.98
2006-2007	2228	3213	4818	25811	36066	3031.86
2007-2008	2228	3213	4818	25122	35381	2676.38
2008-2009	2228	3213	4818	25133	35392	2427.09
2009-2010	2228	3213	4814	25133	35407	4020.44
2010-2011 (Dec)	2226	5240	10539.80	15442.95	33448.75	1080.93

(प्रा.) – प्रावधिक

तालिका –6.2

कुल पंजीकृत वाहन

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च,)	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / थ्री–व्हीलर	यात्री वाहन (बस)	माल वाहन (ट्रक)	द्विपहिया वाहन	अन्य (टेक्टर ट्रोली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8
1998	28	6	9	31	526	44	644
1999	29	7	10	32	585	50	713
2000	31	7	12	35	643	53	781
2001	34	8	14	36	707	58	857
2002	38	10	15	39	793	65	960
2003	42	11	17	52	881	75	1078
2004	50	11	19	57	991	85	1215
2005	59	13	23	66	1719	97	1375
2006	68	14	24	73	1247	111	1540
2007	78	16	27	85	1396	126	1728
2008	90	18	31	97	1553	139	1928
2009	104	20	36	107	1745	155	2167
2010	121.6	22.5	38.5	116.8	1964.71	171.36	2435

स्त्रोत : परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

तालिका 7.1

छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

नियोजन क्षेत्र (31 मार्च की स्थिति)

गणना वर्ष	शासकीय विभाग (नियमित)	नगरीय स्थानीय निकाय	ग्रामीण स्थानीय निकाय	विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं विशेष क्षेत्र	विश्व विद्यालय	**योग**
1	2	3	4	5	6	7
1999	177988	14102	23535	468	1300	217393
2000	177890	13107	23864	396	1288	216545
2001	182352	12913	24181	399	2092	221937
2002	174273	12871	25795	395	2323	215657
2003	174423	14514	31083	184	2228	222432
2004	175124	15472	35122	14	2536	228268
2005	174453	12552	38500	426	2296	228227
2006	175347	13358	47380	557	2439	239080
2007	178165	13779	59400	363	2940	254647
2008	189434	14983	126090	363	2940	333810

- वर्ष 2004 में रायपुर विकास प्राधिकरण का विलय नगर निगम रायपुर में हो गया था। पुनः 2005 में रायपुर पुनः विकास प्राधिकरण अलग हो गया है।

#- बिलासपुर विकास प्राधिकरण का विलय नगर निगम बिलासपुर में हो गया है।

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी, संचालनालय छत्तीसगढ़

तालिका–8.1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाख रू.)

विवरण	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1	4	5	6	7	8	9	10
बैक संख्या	06	06	06	06	06	06	06
शाखाएँ	198	198	198	198	198	198	198
सदस्य (हजार)	21	52	55.5	18440	20083	20010	43590
अंश पूँजी							
(1) कुल	4783.28	5201.10	5993.42	9968.17	8290.37	8492.46	14458.20
(2) शासकीय	508.16	505.24	467.29	3333.13	799.14	768.43	1059.11
अमानतें	129337.53	141025.46	149694.46	159766.10	186593.36	178687.47	262492.96
कार्यशील पूँजी	150966.90	172365.20	184035.17	209180.69	252957.21	240832.13	369911.59
ऋण वितरण							
(अ) कुल	43925.34	55018.24	57854.84	83330.61	79891.90	17148.56	185577.84
(ब) अल्पकालीन	40577.96	49549.52	52186.33	62249.42	71394.13	60975.30	118389.16
(स) मध्यकालीन	2086.58	4742.61	5185.69	2743.62	8497.77	9173.26	67188.68
ऋण बकाया							
(अ) कुल	58089.43	66972.52	17608.13	81189.96	87938.90	80670.15	104698.91
(ब) अल्पकालीन	30906.86	39570.63	44941.20	62325.84	64279.32	57209.12	57699.58
(स) मध्यकालीन	24515.18	24903.04	24387.52	17958.62	23964.54	23461.03	46999.33
कालातीत ऋण	29290.31	29050.22	31605.24	41939.18	53937.66	50543.71	41840.02
लाभ							
(अ) बैंक संख्या	01	06	06	05	05	04	04
(ब) राशि	9.17	775.58	1711.34	2827.01	3376.83	2824.72	6166.59
हानि							
(अ) बैंक संख्या	05	–	–	01	01	02	2
(ब) राशि	1948.92	–	–	707.35	156.38	144.43	733.77

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

टीपः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़ बन्द होने के कारण बैंक की संख्या आलोच्य वर्ष में 06 हेा गई है ।

तालिका–8.2

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ

विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1	2	4	5	6	7	8	9	10
समितियाँ	संख्या	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	1918	1932	1964	2099	2128	2109	1440
अनुसूचित जाति	–,,–	302	296	303	301	329	340	291
अनुसूचित जन जाति	–,,–	592	549	613	638	643	639	359
कुल ऋणी सदस्य	–,,–	1021	1081	1126	1240	1249	1305	909
अनुसूचित जाति	–,,–	167	116	164	173	190	201	336
अनुसूचित जन जाति	–,,–	277	365	327	320	238	245	179
कुल अंशपूंजी	लाख रू.	8205.66	8313.42	8671.06	26224.85	24492.11	24071.23	12919.16
कुल ऋण वितरण	–,,–	27381	49941	87082	50397.13	46334.79	45343.97	98680.41
(अ) अल्पकालीन	–,,–	25403	42037	33899	45114.91	32085.10	32701.09	93671.97
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	1978	3904	1615	5282.22	14528.72	12642.88	5008.44
कुल ऋण बकाया	–,,–	43250	6770	52745	53968.97	55058.34	31021.80	96624.38
(अ) अल्पकालीन	–,,–	24434	42915	29027	31237.37	30785.54	25231.20	79191.57
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	18816	23614	18431	22631.60	23999.35	5790.60	17432.81
कालातीत ऋण	–,,–	25122	25113	26883	24813.94	284206.05	263104.03	29223.53

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका–8.3

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2009–10
1	2	3
1	बैकों की संख्या	12
2	शाखाओं की संख्या	84
3	सदस्य (हजार)	129617
4	अंश पूँजी (1) कुल	1620.80
	(2) शासन	480.97
5	अमानतें	1596.89
6	कार्यशील पूँजी	28968.77
7	ऋण वितरण (अ) कुल	1361.86
	(ब) अल्पकालीन	30.61
	(स) मध्यकालीन	.....
	(द) दीर्घकालीन	1331.25
8	ऋण बकाया	
	(अ) कुल	16266.20
	(ब) अल्पकालीन	22.00
	(स) मध्यकालीन	.....
	(द) दीर्घकालीन	16244.20
9	कालातीत ऋण	4713.80
10	लाभ (अ) बैंक संख्या	04
	(ब) राशि	189.71
11	हानि (अ) बैंक संख्या	08
	(ब) राशि	1853.28

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका–9.1

प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमाराशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1998–1999	1046	5602	2070	36.95
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.10
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005*	1331	17605	11269	64.01
2005–2006*	1334	22053	12684	57.52
2006–2007*	1356	26014	15420	58.27
2007–2008*	1416	31618	19094	60.39
2008–2009*	1500	39437	23043	57.99
2009–2010*	1590	49379	27943	56.59
2010–2011 (सित.)*	1632	50566	26659	52.72

स्त्रोत – भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

*** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति छ.ग. 22, 34, 38 एवं 40वीं बैठक प्रकाशन,**